प्रतिलेखन संख्या - 1

महोदय, पर्यावरण से तात्पर्य किसी एक व्यक्ति के परिवेश से नहीं, वरन् व्यक्ति के, समाज के, राष्ट्र के और इस सारी पृथ्वी के ही [25] परिवेश से है जिसका प्रभाव व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और सारे विश्व पर पड़ता है । पर्यावरण से तात्पर्य पेड़-पौधों, नदी-पहाड़ या किसी [50] तंत्र विशेष से नहीं, वरन् उस समग्र वास्तविकता से है जिस पर मानव-मात्र का अस्तित्व और उसका संपूर्ण आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास [75] निर्भर है । अस्तित्व केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं मानसिक भी । स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन ही अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा है । शारीरिक स्वास्थ्य हमारे [100] आहार पर निर्भर है जिसका स्रोत इस पृथ्वी का जल-थल वायुमंडल है । मानसिक स्वास्थ्य भी प्रकारांतर से इन्हीं पर निर्भर है, [125] क्योंकि 'जैसा खाए अन्न वैसा बने मन' । स्वस्थ जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव हमारे चिंतन का, हमारी परंपराओं का और उन सब परिस्थितियों [150] का पड़ता है जो हमारे ऊपर आरोपित हैं या की गई है, या की जा रही हैं । इसलिए पर्यावरण या परिवेश में [175] जल-थल-वायु ही नहीं, बल्कि वे सारे घटक महत्वपूर्ण हैं जिनका कुछ भी प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारी क्रियाशीलता पर पड़ता है, जैसे [200] हमारे विचार, हमारे आचरण और हमारी परंपराएँ एवं संस्कृति आदि ।

सदा से मानव की आकांक्षा उन्नति और विकास की रही है । जगत का अर्थ [225] ही है गतिमान और गति दोनों ओर संभव है, उन्नति की ओर भी और अवनति की ओर भी । पहली को हम प्रगति कहते हैं, [250] दूसरी को अगति, विगति, अधोगति या दुर्गति कह सकते हैं । वास्तव में मनुष्य ऐसा जटिल प्राणी है जिसमें अनेक विरोधाभासी और असंगत प्रतीत [275] होने वाली प्रवृत्तियाँ और प्रतिक्रियाएँ होती हैं । वह कानून और व्यवस्था की माँग करता है, किंतु चल-चित्र, दूरदर्शन आदि में स्वत: भड़की हिंसा या [300] खेलों में युक्तिपूर्वक की गई हिंसा अथवा अनीति से मंत्र-मुग्ध भी हो जाता है । मनुष्य अपनी ही जाति या वर्ग के व्यक्तियों [325] के प्रति प्राय: बहुत अधिक प्रतिद्वंद्वी होता है, किंतु कोई बाहरी खतरा उपस्थित होने पर उनके प्रति हद से ज्यादा सहयोगी बन [350] जाता है । वह सड़कों पर या युद्धों में सामूहिक विनाश के प्रति उदासीन रहता है, किंतु किसी खान में फँसे हुए एक व्यक्ति या [375] किसी कुएँ में गिरे हुए एक बालक की रक्षा करने के लिए ढेरों साधन जुटा लेता है । कुछ विद्वान कहते हैं कि मनुष्य बंदर की [400] संतान हो या न हो, किंतु उसमें खालिस बंदर की द्वैध प्रकृति प्राय: ही होती है - उसमें शाकाहारी बंदरों की भाँति वृक्षों में उछल-कूद [425] करने की प्रवृत्ति तो होती ही है, साथ ही ऐसे बंदरों की स्वाभाविक जिज्ञासा भी होती है जो अत्यंत संगठित गिरोहों में रहते हैं और भाँति-भाँति [450] का मांस खाने में मजा लेते हैं । मनुष्य की ऐसी परस्पर विरोधी इच्छा-आकांक्षाओं से निपटना असंभव होता है, फिर भी किसी प्रकार का संतुलित [475] मध्यम मार्ग अपनाना अनिवार्य होता है । यही बुद्धिमानी का रास्ता है । विद्वानों ने मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को पाँच स्तरों में रखा है । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 2

महोदय, जो एक के बाद एक आते हैं, शारीरिक आवश्यकताएँ, यथा भोजन, कपड़ा, मकान और आराम जीवन की मौलिक आवश्यकताएँ हैं। दूसरे स्तर पर आती 525 हैं सुरक्षा और भविष्य के प्रति निश्चिंतता। इनके लिए मनुष्य भाँति-भाँति की वस्तुओं का संग्रह करता है। फिर हैं सामाजिक आवश्यकताएँ, जैसे 550 अपने परिवार के भीतर और फिर बाहर के दूसरे लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और मनोरंजनात्मक संगठन बनाना। चौथे 575 स्तर पर हैं अहम् संबंधी आवश्यकताएँ, जैसे आत्म-सम्मान, आत्म-विश्वास, और आत्म-तुष्टि आदि। आत्म-परितोष अर्थात् उन्नति, विकास और ख्याति-प्राप्ति की 600 क्षमताओं को साकार करना व्यक्ति की अंतिम और उच्चतम अपेक्षाएँ हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य अपने आसपास उपलब्ध पर्यावरण का दोहन 625 करता है। जल-थल-वायु ही नहीं पेड़-पौधों, पशु-पक्षी, जीव-जंतुओं तक का उपयोग करता है। सभी शक्तियों का, यहाँ तक 650 कि सबल व्यक्ति अपने से निर्बल व्यक्तियों तक का दोहन करता है, जो शोषण की सीमा तक पहुँच जाता है। इसके लिए भाँति-भाँति 675 की तकनीकें खोजी और अपनाई जाती हैं।

प्रौद्योगिकी ने मनुष्य को भाँति-भाँति की आवश्यकता की वस्तुएँ अभूतपूर्व प्रचुरता से देकर संतुष्ट किया है 700 और आवश्यकता की सीमा-रेखा भी खिसकाई है। विलासिता और सजावट की ऐसी सामग्री भी दी है जो अब बहुत-कुछ आवश्यकताओं में गिनी जाने 725 लगी है। स्वचल वाहन, दूरदर्शन, धुलाई मशीन, सफाई मशीन, सिलाई मशीन, स्टोव-चूल्हे, मिक्सी, फ्रिज आदि-आदि अब बहुत-से लोगों के लिए 750 अनिवार्य आवश्यकता की कोटि में आ गई हैं। तकनीकी और औद्योगिकी से यह सब संभव हुआ है। किंतु एक ऐसा अल्प-वर्ग भी है 775 जिसके लिए विलासिता आवश्यकता की कोटि में आ चुकी है। विज्ञान की जन-समुदाय के लिए तो मौलिक न्यूनतम आवश्यकताएँ भी विलासिता ही बनी हुई हैं। 800 औद्योगीकरण के सहारे मनुष्य ने जितना भी विकास किया है, उसे वह उन्नति कहकर संतोष करने लगता है और अपनी द्वैध प्रकृति के 825 कारण यह ध्यान नहीं देता कि इस विकास से वर्गभेद पनपा है, अमीरी-गरीबी के बीच की खाई चौड़ी हुई है। जो व्यक्ति 850 मानव-मानव की समानता, समाजवाद या साम्यवाद के गीत गाता है, वही अपनी द्वैध प्रकृति के कारण अपने पर्यावरण, यहाँ तक कि मानव के 875 भी, शोषण के नए-नए तरीके खोजता है। यह शोषण बलात्कार की सीमा तक पहुँच गया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। 900 फलस्वरूप भाँति-भाँति का औद्योगीकरण हुआ, और जल, थल, वायु, सब प्रदूषण के शिकार हो गए। जितना ही अधिक विकास हुआ उतना ही 925 अधिक विनाश हुआ। प्राकृतिक संपदा का भीषण ह्रास हुआ। व्यापक वन-विनाश से भूमि बंजर और मरुस्थल बन गई। एक बड़ा हवाई जहाज 950 एक दिन में जितनी ऑक्सीजन खर्च करता है उतनी आक्सीजन 17,000 हेक्टेयर वन में तैयार होती है, और वन बचे ही कितने हैं। 975 इस उद्योग-प्रधान सभ्यता का केंद्र पूँजी है और धर्म स्वार्थ है। मनुष्य, मनुष्य का शोषण कर रहा है, देश-देश का। 1000

प्रतिलेखन संख्या - 3

आइए, आज हम अपने विचारों को उस दिन तक ले जाएँ जब हमने गणराज्य की घोषणा की थी । अपनी विकास की योजनाओं के 25 संबंध में हमने वास्तव में काफी प्रगति की है । परंतु क्या हम भारत के सब नागरिकों को दरिद्रता, अभाव तथा कष्ट से मुक्त करा 50 पाए हैं ? प्रकृति की शक्तियों को अपने अधीन करने और जनता के कल्याण के लिए उन्हें नियंत्रण में लाने की दिशा में भी हम आगे 75 बढ़े हैं । किंतु हम यह नहीं भूल सकते कि, कुछ महीने ही हुए, हमें भारत के उत्तर-पूर्वी प्रदेशों में भयानक बाढ़ का सामना करना 100 पड़ा था, जिसके कारण यातायात के साधन छिन्न-भिन्न हो गए और वहाँ की जनता को भारी हानि उठानी पड़ी । निस्संदेह साक्षरता-प्रसार और 125 रोगों के निराकरण के महत्वपूर्ण उपाय भी हमने सोचे हैं, यद्यपि अभी भी देश के बहुत-से भागों में निरक्षरता और बीमारी पर्याप्त मात्रा 150 में दिखाई देती है । जनकल्याण की योजनाओं को हम बराबर आगे बढ़ाते रहेंगे, यह हमारा दृढ़ संकल्प है । इसमें संदेह नहीं किया जा सकता ।175 इन योजनाओं के पूरे होने के संबंध में जो प्रयास अब तक किया गया है, उससे भी हमें असंतुष्ट नहीं होना चाहिए । फिर भी,200 जो कुछ अब तक किया जा सका है, यदि वह बहुत चमत्कारी नहीं दीखता तो उसका कारण यह है कि अभी निर्माण कार्य जारी 225 है और समाप्त नहीं हुआ है । राष्ट्र के निर्माण में समय की आवश्यकता होती है । आज हमारा गणराज्य दिवस है और भारत जैसे 250 प्राचीन राष्ट्र के इतिहास में पाँच-सात वर्ष की अवधि एक स्वल्पकाल है । आइए, अब हम विगत वर्ष की घटनाओं पर नजर डालें और 275 यह देखें कि विकास के कार्यों और निर्माण-योजनाओं की दिशा में हम कहाँ तक आगे बढ़ सके हैं ।

यदि मुझसे यह कहा जाए 300 कि बीते वर्ष की घटनाओं का वर्णन मैं एक वाक्य में करूँ, तो मैं कहना चाहूँगा कि संविधान में दिए गए निर्देशों के अनुसार 325 हमने समस्त राष्ट्र के साधनों को ऐसे ढंग से जुटाना आरंभ कर दिया है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में 350 कल्याणकारी राज्य की स्थापना का श्रीगणेश हो चुका है । पिछले वर्षों में हमने जो संकल्प और दावे किए थे, अब वे मूर्तिमान होने 375 लगे हैं । इसलिए अब यह समझना, कठिन नहीं है कि राष्ट्र किधर जा रहा है और आगामी दस या पंद्रह वर्षों में हम किस 400 स्थिति में होंगे । महान नदी घाटी योजनाओं पर कार्य बराबर जारी है । इनमें से एक योजना, भाखड़ा-नंगल योजना से बहुमूल्य पानी 425 और बिजली, पंजाब, पेप्सू तथा राजस्थान के भागों को मिलने भी लग गई है । दामोदर घाटी योजना से कुछ समय हुआ बिजली प्राप्त 450 होने लगी थी और हीराकुंड, चंबल तथा दूसरी महान योजनाओं की भाँति यह योजना भी यथेष्ट रूप से आगे बढ़ रही है । भाखड़ा-नंगल 475 योजना का प्रथम चरण समाप्त होने से अब यह स्पष्ट है कि इन महान योजनाओं के द्वारा देश में कितने महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाएँगे । 500

प्रतिलेखन संख्या - 4

महोदय, कोसी नदी, जिसे शोक और दुख का सूचक माना जाता है, इस वर्ष फिर अपने प्रकोप से महान हानि का कारण बनी । अब इस नदी 525 पर काबू पाने और इसकी उपद्रवी लीला समाप्त करने के लिए भी योजना तैयार हो गई है । इस योजना की रूपरेखा तैयार हो 550 चुकी है और निर्माण का काम हाथ में लिया जा चुका है । आशा है इस योजना के निर्माण से बड़े पैमाने पर जनसाधारण को 575 सेवाएँ उपलब्ध होंगी । जब यह नया परीक्षण सफल होगा, तो महान योजनाओं के निर्माण में और भारत की महान जन-शक्ति के उपयोग के संबंध 600 में हमारी जानकारी और अनुभव में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी । औद्योगीकरण के क्षेत्र में उन्नति, उत्पादन में और अधिक वृद्धि और भारत की प्रति व्यक्ति आय 625 में वृद्धि विचाराधीन, वर्ष की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं । औद्योगीकरण के साथ ही रोज़गार के क्षेत्र को विस्तृत करने के प्रयत्न भी बराबर जारी हैं ।650 कुटीर उद्योगों और घरेलू धंधों को प्रोत्साहन देकर औद्योगीकरण और रोज़गार में समुचित संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है । यह बात 675 सभी स्वीकार करते हैं कि यदि भारत के जनसाधारण को उदासीनता और हार मानने की भावना से मुक्त करना है, तो बढ़ती हुई 700 बेरोज़गारी को दूर करने का उपाय करना होगा । इस दिशा में घरेलू उद्योग धंधे, बहुत-से लोगों को आंशिक या पूर्ण उपयोगी काम देकर इस 725 समस्या का बहुत कुछ समाधान कर सकते हैं । इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं में पुराने घरेलू उद्योगों को पुनर्जीवित करने और चालू कुटीर उद्योगों को 750 प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जा रही है ।

विदेशी मामलों के क्षेत्र में हमारी सफलता और भी अधिक है। हमारी नीति, जिसे मैं सक्रिय और 775 सोद्देश्य तटस्थता की नीति कहना चाहूँगा, वास्तविक व्यवहार में किसी भी देश अथवा यहाँ के लोगों को अपना शत्रु न समझने की नीति है । 800 इस नीति के फलस्वरूप हमें विश्वशांति के पक्ष की कुछ सेवा करने का अवसर मिला है । हम प्रसन्न और आभारी हैं कि संसार 825 के राष्ट्रों में भारत का स्थान इतना ऊँचा है । 'इंडोचीन निरीक्षण और नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय आयोग' की अध्यक्षता हमने स्वेच्छा से स्वीकार की है 850 और हमारे नागरिक यथासाध्य उस देश में शांतिपूर्ण निर्वाचन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं । हम सभी राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का 875 निबटारा शांतिपूर्ण ढंग से चाहते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भारत में फ्रांसीसी बस्तियों की समस्या शांति और सद्भावना के वातावरण में सुलझ सकी है । 900 शांतिपूर्ण प्रणाली की सफलता का वह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है । दुर्भाग्य से भारत में पुर्तगाली बस्तियों की ऐसी ही समस्या को सुलझाने की दिशा में 925 प्रगति नहीं की जा सकी । मैं आशा करता हूँ कि पुर्तगाल इन बस्तियों में रहने वाले लोगों के स्वाधीनता के अधिकार को स्वीकार करेगा और 950 फ्रांस और ब्रिटेन की सरकारों का अनुसरण करेगा । जैसे ही यह वर्ष समाप्त हो रहा है, हम अपने सबसे निकट के पड़ोसी 975 पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में अपने सुखद परिवर्तन देखते हैं । पाकिस्तान के लिए हमारे हृदय में सदैव से पूर्ण सद्भावना और शुभकामनाएँ है । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 5

महोदय, बच्चों को जो ज्ञान प्राप्त हो वह अनुभव से प्राप्त हो न कि केवल स्मरण शक्ति पर आश्रित रहकर रटाई द्वारा । उन्होंने [25] सोचा था, और उच्चतम शिक्षाशास्त्रियों का भी यही विचार है कि इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान बच्चों में जागरूकता, कार्यकुशलता, स्वतंत्र भावना पैदा [50] करता है जो इस जीवन के संग्राम में बहुत सहायक हो सकता है । दूसरा मौलिक विचार उनका यह था कि इस प्रकार की शिक्षा [75] इस देश के लिए अनुकूल ही नहीं बल्कि अनिवार्य है । बच्चों से जो कुछ भी काम कराया जाए, वह उत्पादक काम हो और उससे [100] जो कुछ भी पैदा हो उससे शिक्षा का व्यय यदि पूरा-पूरा नहीं तो अधिकांश निकल सके क्योंकि यदि शिक्षा का व्यय दूसरे [125] प्रकार से निकालने का प्रयत्न किया जाएगा तो वह बोझ इतना बड़ा होगा कि शिक्षा सार्वजनिक नहीं बन सकेगी । पिछले वर्षों में जो [150] कुछ भी विचार किया गया था या प्रयोग करके देखा गया उससे जहाँ तक मैं समझता हूँ वही निष्कर्ष निकाला जा सकता है [175] जो पहले सम्मेलन में हुई बहस से निकाला जा सकता था । हमारे शिक्षाशास्त्रियों ने इस पद्धति की अनुकूलता और श्रेष्ठता तो मान ली थी, [200] पर उनकी दृष्टि में इसके द्वारा शिक्षा का व्यय निकालना असंभव ही नहीं अनुचित भी था । प्रयोग से देखा गया है कि इस [225] पद्धति की उपयोगिता है और इससे पूरा नहीं तो अधिकांश व्यय निकाला जा सकता है । यह मैं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के संबंध में [250] कह रहा हूँ ।

उच्च कोटि की शिक्षा के संबंध में अभी प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है, इसलिए उसके संबंध में अभी कुछ [275] भी कहना संभव नहीं है । इतना होते हुए भी हम देखते हैं कि इस पद्धति को उतना प्रोत्साहन नहीं मिला और न इसका उतना [300] प्रचार ही हुआ जितना होना चाहिए था और जितना स्वराज्य प्राप्ति के बाद हम कर सकते थे । इसका कारण, जहाँ तक मैं समझता हूँ, [325] यही है कि इसकी उपयोगिता प्रमाणित होने पर भी पुरानी पद्धति पर जो आस्था थी, वह अभी दूर नहीं हुई है और इसी कारण [350] शिक्षा के काम में जो व्यक्ति लगे हुए हैं उनका न तो इस ओर ध्यान गया है और न उन्होंने इस विषय पर [375] गहराई से चिंतन ही किया है ।

आज भी हम इतना ही कह सकते हैं कि इस पद्धति का, अभी केवल प्रयोग ही किया जा रहा है । [400] इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम मानकर हमारी सरकार ने उसको चालू करने का निश्चय नहीं किया और क्रियात्मक रूप से कुछ करने की बात [425] तो नहीं के बराबर ही है । उसका परिणाम यह हुआ है कि पुरानी पद्धति की संस्थाएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और शिक्षा पर [450] सरकार जो कुछ भी व्यय कर सकती है या करना चाहती है उसका बहुत बड़ा अंश उस पद्धति को ही बनाए [475] रखने में व्यय हो रहा है और इस पद्धति को बहुत कम प्रोत्साहन मिला है । मेरा अपना विश्वास है कि शिक्षा में मौलिक परिवर्तन अवश्य किया जाएगा । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 6

महोदय, बहुत बड़ा अंश अनुभव और लोगों की कही-सुनी बातों से, देखे हुए दृश्यों से और कुल तथा समाज की परंपरा से प्राप्त होता है । सिनेमा इस सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति में सहायक हो सकता है, क्योंकि यह मनुष्य की दृश्य और श्रव्य अनुभूतियों के क्षेत्र को बहुत ही बढ़ा सकता है । यह एक साधारण-सी बात है जिसे सभी जानते हैं कि केवल सुनी-सुनाई बात की अपेक्षा हम पर देखे हुए दृश्य का प्रभाव अधिक पड़ता है और हम यदि सिनेमा द्वारा किसी चीज को देख लेते हैं, तो उसका उतना फल तो नहीं होता जितना स्वयं आँखों द्वारा देखने से मिलता है । उससे तो कहीं अधिक अमिट छाप किसी के सामने किसी दृश्य के वर्णन करने से पड़ती है । मनबहलाव के भी साधन कितने ही प्रकार के होते हैं । कुछ तो ऐसे हैं जो मनबहलाव के साथ-साथ शिक्षाप्रद भी होते हैं और इसके विपरीत बुरे संस्कारों का साधन बन जाते हैं । मैं स्वयं यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने बहुत-सी फिल्में देखी हैं । सच पूछिए तो मुझे बहुत कम फिल्में देखने का अवसर मिला है । पर मेरे पास जो खबरें पहुँचती हैं, बहुतेरे विश्वसनीय भाइयों और बहनों द्वारा जो शिकायतें पहुँचाई जाती हैं, उनसे मालूम होता है कि बहुतेरी फिल्में दूसरी कोटि की हैं जो शिक्षा अथवा मनबहलाव का साधन न बनकर बुरी वासनाओं को जागृत करती हैं, विशेषकर युवकों के चरित्र पर बुरा प्रभाव डालती हैं । हो सकता है कि इस प्रकार की फिल्में अधिक लोकप्रिय होती हों, उनके द्वारा अधिक पैसे कमाए जा सकते हों । कुछ लोग यह कह सकते हैं कि फिल्म-निर्माताओं का काम ऐसी फिल्मों को बनाना है जो लोकप्रिय हों क्योंकि वे एक प्रकार की माँग को पूरा करती हैं ।

यह भी कहा जा सकता है कि फिल्मों का ध्येय मनबहलाव ही है । उसको तो तभी सफल मानना चाहिए जब फिल्में उन लोगों का मन बहला सकें जिन लोगों के लिए बनाई गई हों । ये सब बातें बहस के रूप में कही जा सकती हैं, पर मैं चाहूँगा कि कोई भी सिनेमा हो अथवा फिल्म के बनाने वाले हों, वे यदि अपना कर्तव्य समाज-सेवा समझते हैं और उन्हें ऐसा समझना भी चाहिए तो उन सबके लिए ये सब बातें यदि अग्राह्य नहीं तो गौण अवश्य हैं और उनका मुख्य उद्देश्य तो सेवा ही होना चाहिए ।

सेवा तभी तक सेवा रहती है जब तक वह सेव्य का हित करे न कि उसे गिराए । इसलिए मैं चाहूँगा कि फिल्म बनाने वाले इस पर विचार करें कि उनका उद्देश्य क्या है । उद्देश्य सेवा ही होना चाहिए और सेवा के साथ-साथ यदि धनोपार्जन भी हो जाए तो निर्दोष है । यदि धनोपार्जन ही उद्देश्य हो और सेवा न हो, तो वह अग्राह्य होना चाहिए । यदि मुनष्य अपने स्वार्थवश कुछ ऐसा काम करता है जो उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए तो ठीक हो पर जिससे समाज को हानि पहुँचती हो, तो उसे रोकना पड़ता है ।

प्रतिलेखन संख्या - 7

महोदय, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शीत युद्ध की समाप्ति व समाधान एशिया की घटनाओं तथा अफ़गानिस्तान से सोवियत सेना की वापसी से ही हुआ [25] है । अफ़गानिस्तान में लंबे अरसे तक चला युद्ध सोवियत संघ के अस्तित्व के लिए कष्टदायी और मुश्किल हो गया । इस भयावह युद्ध से सोवियत सेनाओं [50] की वापसी से अनेक घटनाओं ने जन्म लिया जिनकी परिणति शीत युद्ध की समाप्ति से हुई तथा जिसमें जर्मनी का एकीकरण तथा सोवियत संघ [75] का विघटन शामिल है । संक्षेप में, शीत युद्ध का और इस तनाव का एशिया की एकता पर दूरगामी प्रभाव पड़ा । एशिया के सभी देश [100] यह चाहते थे कि क्षेत्र में शांति बनी रहे । चीन और सोवियत संघ का सीमा विवाद, चीन और वियतनाम का झगड़ा और भारत व चीन का [125] सीमा विवाद उस समय की परिस्थितियों को स्पष्ट करता है । इस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से थाईलैंड और फिलीपींस के साथ अमरीका [150] के खेमे में चला गया था । जापान अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के कारण पश्चिम के देशों में सामीप्य स्थापित कर रहा था । इससे [175] एशिया की एकता को एक नया धक्का लगा है क्योंकि एशिया के देश अलग-अलग खेमों में बँट गए थे । 1960 के दशक में [200] एक नया मोड़ आया, जब शीत युद्ध के समय में आसियान के नाम से एक नए गुट का प्रादुर्भाव हुआ । इससे दक्षिणी-पूर्वी एशिया [225] के देशों में नए आर्थिक और सुरक्षा संबंधी प्रयास किए गए । इन देशों में सांस्कृतिक एकरूपता की वजह से भी एक नए गुट ने [250] जन्म लिया । लेकिन यह कहना कठिन होगा कि इन दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों से समूचे एशिया की पहचान या एकता बनाने में सहायता मिली [275] है या उससे धक्का लगा है क्योंकि इन देशों ने अपनी नीति बहुत स्पष्ट नहीं की और केवल अपने ही गुट के अंदर [300] भूमिपुत्र नीति को जन्म दिया । भारत भी अब आसियान का सहयोगी सदस्य बनने जा रहा है ।

भारत की पहल से दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन [325] (सार्क) की स्थापना सन् 1985 में की गई जिसके फलस्वरूप पड़ोसी देशों के आपसी सहयोग के लिए नया वातावरण तैयार हुआ । यह प्रयास [350] शनैः शनैः उपयोगी रूप लेता जा रहा है, जो एशिया की पहचान बनाने की ओर महत्वपूर्ण कदम है । व्यापार, निवेश, तकनीकी ज्ञान, संचार माध्यमों में [375] बढ़ोतरी ने 'विश्व गाँव' के विचार को भी पैदा किया । बढ़ते हुए व्यापार, निवेश, संचार एवं विज्ञान की आधुनिक तकनीकों ने पूरी दुनिया में [400] एक-दूसरे-पर, निर्भर रहने के नए विचारों को जन्म दिया । अंग्रेजी भाषा, हालीवुड, कंप्यूटर्स और उपभोक्ता संस्कृति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, [425] जिससे देशों में फासले कम हुए, संस्कृति और सभ्यता भी प्रभावित हुई । हो सकता है कि इसके अच्छे परिणाम न हों, ऐसी भी [450] आशंका की जाती है । उदाहरणतः जापान दूसरे महायुद्ध तक अपनी संस्कृति और सभ्यता व संयुक्त परिवार जैसी आधारभूत सामाजिक मान्यताओं को केवल अपनाए [475] हुए नहीं था, बल्कि उससे चिपटा हुआ था, लेकिन जापान जैसे सभ्यता वाले देश भी यूरोप के प्रभाव से बच नहीं सके । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 8

महोदय, दूसरे शब्दों में आर्थिक, व्यापारिक निवेश और तकनीकी कारणों से द्वितीय महायुद्ध के बाद और शीत युद्ध के दौरान एशिया के देशों [525] में पुनः धुँधलापन पैदा हुआ । लेकिन, यह बात सही नहीं है कि एशिया की संस्कृति और सभ्यता को पश्चिम के प्रभाव और आधुनिकतम तरीकों ने [550] नष्ट कर दिया, हाँ एक धक्का जरूर दिया । पर समय-समय-पर एशिया का यह रूप, एशिया की यह सभ्यता और संस्कृति बलशाली तरीके [575] से उदयमान होती दिखाई देती है । पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1945 में अपनी पुस्तक 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' में एशिया की पहचान पर लिखा है कि हजार [600] वर्षों से जब यूरोप अपने अंधकार के युग में था एशिया ने अपने मनुष्यों की प्रगतिशील आत्मा को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया । उन्होंने यह [625] विश्वास भी जताया कि एशिया की संस्कृति और सभ्यता यूरोप की संस्कृति और सभ्यता से अधिक प्राचीन है । आज के दिनों में भी चीन के [650] नेता अपने यहाँ आध्यात्मिक क्रांति की बात करते दिखाई देते हैं, और अपने आर्थिक विकास को भी प्रतिबिंबित करते हैं । मलेशिया के प्रधानमंत्री [675] भी बड़े गर्व के साथ 'मलेशिया के रास्ते' की बात करते हैं, और आधुनिकता और पारंपरिक संस्कृति के मिश्रण से मलेशिया का विकास करना चाहते हैं। [700] भारत के प्रधानमंत्री भी मध्य मार्ग की बात करते हैं जिसको वे भारत का पारंपरिक विचार कहा करते हैं। वियतनाम के यशस्वी नेता [725] भी साम्यवादी विचारधारा को पारंपरिक सहिष्णुता के अनुसार ढालना चाहते थे । एशिया के इन सब नेताओं की समय-समय पर की गई घोषणाओं का वर्तमान [750] संदर्भों में पूरा अर्थ लिया जाना चाहिए जो एशिया की पहचान को नए सिरे से बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा हे ।

यहाँ यह भी [775] बताना उचित होगा कि हाल के वर्षों में एशियाई देश, विशेष रूप से पूर्वी एवं दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देश, एशिया के सुदृढ़ देशों के [800] रूप में उभरे हैं और इन देशों के आर्थिक विकास की दर विश्व के किसी भी अन्य देश के आर्थिक विकास की दर से अधिक है तथा [825] जिनके, आने वाली शताब्दी में, विश्व आर्थिक व्यवस्था के निर्माताओं के रूप में उभरने की आशा है । आर्थिक सफलता की इन कहानियों का श्रेय [850] मुख्य रूप से अनुशासित कार्य, किफायत एवं बचत की ऊँची दरों जैसी एशियाई विशेषताओं को जाता है तथा इनसे देशों की जनता के जीवन [875] स्तर में सुधार आया है और एशिया की 'पुनः खोज' जैसा वातावरण बन रहा है । एशिया के देशों में अब आपसी भाईचारे की भावना [900] उभर रही है और इससे ये देश परस्पर निर्भर हो रहे हैं तथा शीत युद्ध के प्रभाव से मुक्त होते जा रहे हैं । [925] हमारी सरकार ने अपने एशियाई पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाने में पहल करके इस बदलते रुख के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाया है । [950] इन सब प्रश्नों का जवाब आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन शनैः शनैः इन प्रश्नों में ही इसके उत्तर मिलेंगे । एशिया अपने इन प्रश्नों के उत्तर [975] में एक नए एशिया को जन्म देगा और अपनी एक नई पहचान बनाएगा । यूरोप और अमरीका के आधुनिक औद्योगिक विकास में फर्क नज़र आता है ।[1000]

प्रतिलेखन संख्या - 9

महोदय, बच्चे किसी भी देश के भविष्य होते हैं । यह यथार्थ सत्य है और सदियों से इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल 25 दिया गया है । जन्म से लेकर बच्चों के स्वास्थ्य, रहन-सहन और उनकी शिक्षा को लेकर उनके माता-पिता का चिंतित होना स्वाभाविक 50 है । लेकिन तेजी से अपनी जड़ें जमा रहे भौतिकवाद ने हर छोटे-बड़े समाज के सामने ऐसे कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि बच्चों 75 को किस तरह उनका हक दिलाया जाए जिससे वे आगे चलकर मजबूती और आत्मविश्वास के साथ समाज के सजग प्रहरी बन सकें । 100 पिछले कुछ दशकों से बच्चों के भविष्य को लेकर उपजी चिंताओं ने वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों को शोध और अनुसंधान के लिए बाध्य किया है । 125 नित नई-नई समस्याओं ने माता-पिता को दुविधा में डाल दिया है । एक ओर जहाँ जीवनयापन के लिए महिलाएँ भी पुरुषों की तरह 150 कमर कस कर घर की चारदीवारी से बाहर निकल रही हैं वहीं इसके कारण सदियों से चली आ रही सामाजिक संरचना गड़बड़ाने 175 लगी है । आजीविका कमाने और अत्यधिक सुख वैभव की चाहत ने हर दंपत्ति को जीवन-शैली बदलने पर मजबूर कर दिया है । समाज में 200 हो रहे इस बदलाव के कारण बच्चे सबसे ज्यादा उपेक्षित होने लगे हैं । अब तक की तमाम रिपोर्टों के मुताबिक यह स्पष्ट है कि 225 अगर बच्चों के प्रति माता-पिता की उदासीनता इसी प्रकार बढ़ती रही तो आने वाला वक्त तमाम परेशानियों के कारण जटिलता भरा हो जाएगा । 250 बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो सबसे पहली समस्या सामने आती है वह है उनका स्वास्थ्य ।

माता-पिता अपने बच्चों के स्वास्थ्य को 275 लेकर चिंतित रहते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार वह कम से कम बच्चों के खाने-पीने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देना चाहते । 300 इस प्रयास में अक्सर यही देखा गया है कि माता-पिता खाने-पीने के मामले में बच्चों पर मनोवैज्ञानिक दबाव रखने में लगे रहते हैं । 325 उनकी कोशिश यही रहती है कि उनका बच्चा हमेशा खाता-पीता रहे और फिर यह होता है कि बच्चे के खाने-पीने का 350 कोई समय निर्धारित नहीं हो पाता और उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं । असमय खाने-पीने के कारण कई प्रकार की समस्याएँ पैदा होती हैं । 375 इन बच्चों में मोटापा होना प्रमुख है । अगर आँकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि विकसित देशों में खासतौर से बच्चों 400 का मोटापा चिंता का विषय बनता जा रहा है । पिछले पाँच दशकों से खासतौर से अमरीका में मोटापे के शिकार बच्चों की संख्या दुगुनी 425 हो गई है । कुल मिलाकर छह से सत्रह वर्ष की उम्र के ऐसे अमरीकी बच्चों की संख्या लगभग 450 47 लाख थी । यही नहीं इस उम्र के मोटापे के शिकार बच्चों का कुल औसत 10.9 प्रतिशत था । ऐसे बच्चों की प्रतिशत 475 औसत की तुलना में दो गुना से अधिक थी । इनमें मोटापे के शिकार बच्चों की संख्या पिछले दस-बारह सालों में काफी तेजी से बढ़ी है । 500

प्रतिलेखन संख्या - 10

महोदय, विकसित देशों की भाँति विकासशील देशों में फिलहाल यह समस्या नहीं है लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में विशेषकर संभ्रांत परिवारों और 525 कामकाजी माता-पिता के बच्चों के बीच मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। वैसे तो बच्चों के मोटे होने के लिए 550 कई परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं जैसे उनके पैतृक गुण, भूख, उसका स्वभाव और दुखी होना। किन्हीं विशेष प्रकरणों में हार्मोन संचय में 575 गड़बड़ी होना मोटापे का कारण बन जाता है। यदि बच्चे के माता-पिता मोटे हैं तो बच्चे की भी मोटे होने की संभावना बढ़ 600 जाती है। पैतृक कारणों के अलावा बच्चे का स्वभाव भी उसके मोटापे के लिए जिम्मेदार साबित होता है। जो बच्चे ज्यादा नाखुश रहते हैं 625 वे प्रत्यक्ष रूप से ज्यादा खाने के आदी हो जाते हैं। ऐसे बच्चों में असमय खाने की आदतें कहीं ज्यादा होती है। जब कभी 650 उनका मन नहीं लगता वे कुछ खा पीकर अपना मन बहलाने की कोशिश करते हैं। और धीरे-धीरे यह आदत बढ़ती जाती है जो 675 उनके मोटापे का कारण बन जाती है। इसके अलावा जो बच्चे खेलकूद में दिलचस्पी नहीं रखते उनके भी मोटा होने 700 की संभावना होती है। व्यायाम की कमी से शरीर की ऊर्जा चर्बी में परिणत होने लगती है। इन सब परिस्थितियों में मोटापे के आसार बढ़ने 725 लगते हैं। 'अधिक भूख लगना और अधिक भोजन खाना' मोटापे का सबसे बड़ा कारण होता है। नवजात शिशु ही क्यों न हो उसे 750 आवश्यकता से अधिक दूध पिलाना अवांछनीय है। दूध के स्थान पर ठोस आहार देना कहीं अधिक श्रेयस्कर होता है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है 775 उसके खाने-पीने में खासकर इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसमें चर्बी बढ़ाने का कारण बनने वाले खाद्य पदार्थ 800 खासकर घी, मक्खन आदि का इस्तेमाल अनुपात से ज्यादा न होने पाए।

करीब छह-सात वर्ष से लेकर चौदह पंद्रह वर्ष तक की उम्र 825 के बच्चों का शारीरिक विकास अत्यधिक तेज हो जाता है। इस उम्र के दौरान विभिन्न शारीरिक एवं हार्मोन परिवर्तनों के कारण बच्चों में मोटापा बढ़ने 850 का खतरा रहता है। मोटापा बच्चों के लिए कई बार अभिशाप बन जाता है। अन्य बच्चे उसे मोटा कहकर चिढ़ाते हैं तथा उसके 875 साथ खेलना पसंद नहीं करते। इस प्रकार दुखी होने और अकेलेपन के कारण स्वयं को सांत्वना देने के लिए बच्चा सामान्य से क्रमशः मोटा ही 900 होता चला जाता है। इतना ही नहीं यही मोटापा बच्चे के आलसी होने का मुख्य कारण बनता है। सामान्य जीवन में वह और बच्चों की 925 तुलना में पहले खेलने-कूदने में और फिर कई बार पढ़ने-लिखने में पिछड़ने लगता है। यही नहीं बचपन का मोटापा युवावस्था और अधिक 950 उम्र होने पर रोगों का कारण बनता है। मोटापा हृदय रोग, कुछ प्रकार के कैंसर और समय से पहले मौत का प्रमुख कारण बन जाता 975 है। अत्यधिक मोटापा शरीर में चर्बी को जन्म देता है जिसका असर रक्त की धमनियों और शिराओं पर पड़ने लगता है। 1000

प्रतिलेखन संख्या - 11

भाइयो, आखिरकार एक लंबे संघर्ष के बाद, जो कि मुख्य रूप से अहिंसात्मक था और जिसका नेतृत्व ऐसे विलक्षण व्यक्ति ने किया जो [25] अहिंसा और सत्य को ईश्वर का पर्याय मानता था, परंतु स्वतंत्रता के किनारे पहुँचने के अंतिम चरण में, भारत को खून की नदी में से [50] होकर गुजरना पड़ा । और यह नदी भारतीयों ने ही खोदी थी, तथा इसमें भारतीयों का ही खून बह रहा था । अभूतपूर्व पैमाने पर लोगों [75] का निष्क्रमण हुआ । पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों, बीमारों समेत एक करोड़ व्यक्ति जिनके शरीरों से खून चूकर भारत की भूमि तक को रंग रहा [100] था, भारत के एक ओर से दूसरी ओर गए । उन्होंने अपने पीछे न केवल मकान और जमीनें छोड़ीं, बल्कि अपने घर के व्यक्तियों के [125] मृत शरीर भी छोड़े । स्वतंत्र भारत के किनारे तक पहुँचने के लिए देश को यह मूल्य चुकाना पड़ा और वह दो प्रभुतासंपन्न राष्ट्रों [150] भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया । यह 15 अगस्त, 1947 की बात है । कांग्रेस ने, जो वास्तविक रूप से 1885 से भारत की राष्ट्रीय [175] वाणी थी, हमेशा भारत की एक राजनीतिक इकाई के रूप में संकल्पना की थी । कांग्रेस को अंत में भारत का विभाजन स्वीकार करना पड़ा [200] वैसे तो यह स्वीकृति सहमति से दी गई थी परंतु वास्तविक रूप में देखा जाए, तो यह ब्रिटिश शासकों द्वारा पिछले कई दशकों से उत्पन्न [225] की गई परिस्थितियों के दबाव के कारण था । 'फूट डालो और राज करो' की नीति पहले-पहल अलीगढ़ मुस्लिम कालिज की स्थापना के साथ शुरू [250] की गई । एक दूसरे के बाद आने वाले तीन ब्रिटिश प्रिंसिपलों ने पृथकता का विचार मुस्लिम नेताओं और छात्रों के मन पर बैठाया ।

सर [275] सैयद अहमद को विभाजनमूलक विचारों को फैलाने के लिए उनसे हर प्रकार की मदद मिली । हम यह नहीं कहेंगे कि इसमें हिंदुओं का [300] कोई दोष नहीं था, जो मुसलमानों से सामाजिक स्तर पर अलगाव बनाए रखते थे और आर्थिक दृष्टि से उनका शोषण करते थे । अलीगढ़ कालिज [325] के अधिकारियों को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपजाऊ भूमि मिली । यह सब कुछ पिछली शताब्दी के अंतिम वर्षों में हुआ । इन्होंने [350] सोच-समझकर राष्ट्रीय मुसलमानों की उपेक्षा करने की नीति अपनाई । 1947 में कांग्रेस के पास विभाजन स्वीकार करने के सिवा कोई विकल्प नहीं [375] था, विशेषकर गंभीर सांप्रदायिक झगड़ों के कारण, जो कि गृह युद्ध का रूप धारण कर रहे थे । जिन्ना ने यह सुझाव भी दिया [400] कि सांप्रदायिक आधार पर आबादी की अदला-बदली की जाए । शायद वह बेहतर समाधान होता क्योंकि इससे शायद वे क्रूर कृत्य न [425] होते, जो बहुत लंबे काल तक पड़ोस में रहने वालों के साथ उनके पड़ोसियों ने किए । विभाजन को स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने [450] 15 जून, 1947 को दिल्ली में एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें अंतिम बार भारत की मूलभूत एकता का आग्रह किया गया था । इसमें कहा [475] गया था 'पिछली दो पीढ़ियों के श्रम और बलिदान की नहीं, बल्कि भारत का विस्तृत इतिहास और परंपरा भी इस मूलभूत एकता की साक्षी है ।' [500]

प्रतिलेखन संख्या - 12

भाइयो, भूगोल, पर्वत और समुद्र ने भारत के स्वरूप का निर्माण किया है। कोई मानव संस्था इसके आकार को बदल नहीं सकती और 525 न ही उसके अंतिम लक्ष्य में बाधक बन सकती है। आर्थिक परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की लगातार माँगों के कारण भारत की एकता 550 और भी आवश्यक हो गई है। भारत के जिस चित्र को हमने अपने दिलों में संजोया है, वह सदा हमारे दिलों और दिमागों में 575 रहेगा। अ. भा. कांग्रेस समिति गंभीरता से यह विश्वास करती है कि जब वर्तमान भावनाओं की उत्तेजना समाप्त हो जाएगी, तो भारत की समस्याओं को 600 उचित परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा और भारत में दो राष्ट्रों के अस्तित्व के झूठे सिद्धांत को समाप्त कर दिया जाएगा और सभी इसका 625 त्याग कर देंगे। सामान्यतः राष्ट्रीयता जातीय, भाषाई अथवा भौगोलिक तत्वों पर आधारित होती है। परंतु इस्लाम का अलग अस्तित्व है, जो अन्य धार्मिक वर्गों में 650 मिश्रित नहीं होता। 55 वर्ष की स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीयता के बाद आज भी कई जिम्मेदार मुस्लिम नेता दावा करते हैं कि मुसलमान अलग राष्ट्र है। 675

एक जिम्मेदार दल द्वारा इतने अधिक करुणाजनक और आत्म-भ्रामक प्रस्ताव की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जितना कि अ. भा. कांग्रेस 700 समिति ने 15 जून 1947 को पास किया था। सभी नेता थक चुके थे और बूढ़े हो रहे थे। आदर्शवाद की जिस ज्वाला ने 725 उन्हें 26 वर्ष पूर्व प्रेरित किया था, उसका जोश ठंडा होने लगा था। कांग्रेस का विकास सदा ही बदलते नेतृत्व के माध्यम से हुआ 750 था। परंतु पिछले 25 वर्षों में वही नेता कांग्रेस की सत्ता संभाले हुए थे। उनके व्यक्तित्व और उनके त्याग ने उनको 775 जो ख्याति प्रदान की थी, उनको जो बल प्रदान किया था, उसको कोई युवा नेता चुनौती देने का साहस नहीं कर सकता था। विभाजन के विरोध में केवल एक ही 800 स्वर था और वह था, गांधी जी का। परंतु वे भी बहुत बूढ़े हो गए थे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। 825 उन्होंने अ. भा. कांग्रेस समिति से प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कहा, यदि वे नई कार्यकारिणी समिति और नई अंतरिम सरकार के लिए 850 नए नेता नहीं चुन सकते। प्रस्ताव को पहले कार्य समिति ने पास किया। गांधीजी से विशेष रूप से प्रार्थना की गई थी कि 875 वे उपस्थित हों और सभा को संबोधित भी करें। लेखक अ. भा. कांग्रेस समिति की बैठक में उपस्थित था। गांधीजी का भाषण स्पष्ट रूप 900 से उनके दुख का द्योतक था। उन्होंने कहा कि उनके विचार सर्वविदित हैं। फिर भी उन्होंने अ. भा. कांग्रेस समिति 925 को प्रस्ताव पास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अ. भा. कांग्रेस समिति को इसे रद्द करने का अधिकार है। परंतु किसी ने 950 इसका उत्तर नहीं दिया। उस समय ब्रिटेन भारत से चले जाने के लिए और अपनी साम्राज्यवादी धाक छोड़ने के लिए बहुत उत्सुक था। 975 अब यह बोझ उनके लिए बहुत भारी हो गया था। एशिया के राजनीतिक पुनरुत्थान की उठती हुई लहर को नियंत्रित करना था। 1000

प्रतिलेखन संख्या - 13

महोदय, निस्संदेह ही आज भी हम भले ही कई मुश्किलों का सामना कर रहे हों, फिर भी हम 1991 के उन दिनों जैसी स्थिति में [25] नहीं हैं । एक राष्ट्र के रूप में हमने काफी भरपाई करली है और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं । श्री राव के [50] नेतृत्व के बिना यह संभव नहीं था । अब यह अटकल लगाना व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण भी है कि कोई और नेता होता तो क्या कुछ ज्यादा [75] और बेहतर किया जा सकता था या नहीं । तथ्य यह है कि वही नेता थे जिनके कारण हम एक ऐसी स्थिति तक पहुँच [100] गए हैं जो देश और उसकी तरक्की के लिए निरापद है । हम जिस अवधि से गुज़रे हैं वह बहुत मुश्किल और हलचलपूर्ण थी । [125] सोवियत संघ के पतन और विघटन से हमारी जो कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थी उसका आधार ही खत्म हो गया । ऐसा लगता है [150] कि हमारे देश में कुछ लोग इस घटना का पूरा मतलब नहीं समझ पाए हैं । बेशक यह कम्युनिस्टों और आधुनिक समाजवाद के अन्य समर्थकों के [175] लिए बेहद चिंता का विषय था । इससे उन सभी निष्पक्ष देशभक्तों को काफी दुख हुआ जिनके लिए सोवियत संघ अच्छा मित्र [200] था और अकेली विदेशी शक्ति थी जो हमेशा हमारे साथ खड़ी होती थी । उससे हमें काफी नैतिक और भौतिक समर्थन भी मिला था । [225] हमारे देश में सोवियत संघ के तमाम मित्रों में भी सभी लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के हिसाब [250] से इसका क्या मतलब था और है। जब हमें सख्त जरूरत थी तो कोई ऐसा नहीं था जिसकी ओर हम देखते । घबराने और [275] अपने देश को दिवालिया राष्ट्र घोषित करने के बजाय प्रधानमंत्री ने मुश्किलों का डटकर मुकाबला किया । हमें इस संकट से निकालने की व्यवस्था [300] की और साहस के साथ देश को एक नए आर्थिक रास्ते पर अग्रसर किया ।

कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणपत्र में इसकी मोटी [325] रूपरेखा न बना ली होती तो बेशक यह सभंव न हो पाता । इस घोषणापत्र के मुख्य निर्माता स्वयं राजीव गांधी थे और इसे [350] तैयार करने में श्री राव उनके मुख्य सहायक थे । देश को संकट से उबारने और नए आर्थिक रास्ते पर ले जाने में बेशक मनमोहन सिंह [375] की देशभक्ति, विद्वत्ता और ख्याति महत्वपूर्ण कारण थे । नई आर्थिक नीति जनता के हित में नहीं है, इस काल्पनिक तथ्य को लेकर काफी हंगामा [400] मचाया जा रहा है । इसके उलट अगर उसे अपेक्षित ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है तो इसकी वजह यह है कि [425] जनता के नाम पर हर तरह की आंशिक और कारपोरेट माँगे पूरी की जा रही हैं । प्रधान मंत्री ने दो महत्वपूर्ण तरीकों से नई आर्थिक [450] नीतियाँ बनाने में अपना योगदान दिया है । सबसे पहले तो उन्होंने नई नीति लागू करने के लिए मध्यम मार्ग अपनाने पर जोर दिया है । [475] नए आर्थिक कार्यक्रम को लागू करने में उन्होंने जो दूसरा महत्वपूर्ण योगदान किया है वह है इसके पक्ष में राष्ट्रीय सहमति बनाना । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 14

महोदय, हमारे देश में राजनैतिक विचारों में जितनी भिन्नता है उसके मद्देनज़र यह एक असाधारण बात है। जबकि इनमें से ज्यादातर लोग [525] यही ठाने रहते हैं कि चाहे जो हो और जो भी मुद्दा हो उन्हें विरोध करना है। चुनावों में झटकों और यदाकदा टेढ़े-मेढ़े [550] रास्तों के बावजूद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो नई आर्थिक नीति बनाई गई है उसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लिया गया [575] है, माकपा से लेकर जनता दल और भाजपा तक। आर्थिक क्षेत्र में मूलभूत सुधार के अलावा पंजाब में नाटकीय बदलाव [600] आया है। बंदूक की लड़ाई की जगह अब पूरी तरह बैलट की लड़ाई ने ले ली है। उस प्रदेश की जनता के लिए यह दूसरी [625] आजादी से कुछ कम नहीं है। असम और उत्तरपूर्व के कई हिस्सों में भी ऐसे बदलाव आए हैं। हालाँकि वे पंजाब जैसे [650] नहीं हैं। ऐसा समझना कि आतंकवाद का ख़तरा टल गया है बेशक ग़लत होगा, पर जो सफलताएँ हमने पाई हैं उन्हें स्वीकार न करना [675] कम गलत नहीं होगा। पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव कराने को भी साधारण काम नहीं समझा जाना चाहिए। इस कदम से महात्मा गांधी के [700] सपने और दिवंगत राजीव गांधी की लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता फलीभूत हुई है। यह संविधान की अपेक्षाओं के अनुरूप लोकतांत्रिक क्रांति को [725] आगे बढ़ाने का प्रतीक है। इससे हमारे राष्ट्र का लोकतांत्रिक आधार मजबूत हुआ है।

हिंदुत्व के घटते उन्माद का ध्यान रखना भी [750] उतना ही महत्वपूर्ण है। भाजपा और शिवसेना को चुनावी सफलता भले ही मिल गई हो पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व [775] भी मानता है कि उसका मुख्य कारण कुछ राज्यों में भ्रष्टाचार, बढ़ती कीमतों, बेरोज़गारी आदि जैसी सामान्य समस्याओं से निपटने में कांग्रेस सरकार की [800] नाकामी थी न कि सांप्रदायिक भावनाएँ। हिंदू सांप्रदायिकतावाद में स्पष्ट कमी आना बहुत बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि है। इन सबसे महत्वपूर्ण है सार्वभौमिक मामलों में [825] भारतीय व्यक्तित्व का फिर से उभरना। इसके आयाम हमारे विदेश संबंधों में आर्थिक अंश की वृद्धि से कहीं अधिक हैं। चीन से संबंध लगातार [850] सामान्य होते जा रहे हैं, भारत-ईरान संबंध फिर कायम हो गए हैं। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका के साथ परस्पर लाभ के सहयोग की नई [875] संभावनाएँ बनी हैं। अमरीका और अन्य विकसित पूँजीवादी देशों से सहयोग बढ़ाने की दिशा में समुचित ध्यान दिए जाने के बावजूद किसी भी मसले पर [900] हम नहीं झुके हैं, समर्पण की बात तो दूर है। इसमें आर्थिक संबंधों के महत्वपूर्ण स्वरूपों के अलावा रक्षा का क्षेत्र भी शामिल है। [925] इसका सबसे ताजा उदाहरण है परमाणु अप्रसार संधि के मामले में हमारा अपनी नीति पर कायम रहना। जबकि इसके लिए हम [950] पर कई दिशाओं से भारी दबाव डाला गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन को नई नीति देने के प्रयास भी चल रहे हैं। इन सब उपलब्धियों को मिलाकर [975] एक वाक्य यह है कि प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा काम यह किया कि हमारे देश में शासन पुनःस्थापित कर दिया और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाया। [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 15

महोदय, देश की लगभग तीन-चौथाई जनसंख्या गाँवों में रहती है, जिनकी आय कम होने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि [25] अन्य आवश्यक सुविधाएँ भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं । ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीणों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, कमजोर वर्गों और [50] गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का विकास एवं गरीबी उन्मूलन भारत की विकास योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रहा है । ग्रामीण विकास [75] का व्यापक दायरा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों एवं ग्रामीणों के जीवन-स्तर का सर्वांगीण विकास शामिल है । इसका अर्थ निर्धनतम लोगों [100] की अपने स्थानीय सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में उत्पादन क्षमता की वृद्धि है । ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में पूँजी का निवेश एवं उसका विस्तार [125] उत्पादक शक्तियों का विकास तथा निर्धन एवं बेरोज़गार ग्रामीणों का अर्थव्यवस्था के उत्पादक विकासशील क्षेत्रों में सम्मिलित होना आवश्यक है । मंत्रालय की गतिविधियों [150] का मुख्य उद्देश्य गरीबी पर सीधा प्रहार है, जिसके अंतर्गत विशेष मजदूरी रोज़गार व स्वरोज़गार कार्यक्रम, भूमि सुधार, बंजर भूमि विकास एवं जल संभरण [175] विकास कार्यक्रम हैं । इनमें स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, ग्रामीण स्वच्छता, कृषि विपणन, ग्रामीण आवास है तथा लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद द्वारा [200] सहायता और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान एवं कृषि विपणन केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था शामिल है ।

गरीबी उन्मूलन के प्रयासों का महत्व [225] इसकी योजनाओं के आबंटन में वृद्धि को बताता है । जहाँ नौवीं योजना में इसका परिव्यय 40,000 करोड़ रुपए था, उसे बढ़ाकर [250] दसवीं योजना में 80,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है । इस बढ़े हुए परिव्यय के साथ-साथ, जैसा कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित [275] महत्वपूर्ण संविधान अधिनियम 1992 में बताया गया है, लोगों की कार्यक्रमों में बेहतर भागीदारी प्राप्त होगी, जिससे निर्धन ग्रामीणों के जीवन-स्तर [300] में सुधार लाने के प्रयास को नई दिशा प्राप्त होगी । ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय प्रयास में ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुख्य कार्यक्रमों [325] को दी गई नई दिशा की एक झलक इस पुस्तिका में प्रस्तुत है । ग्रामीण गरीबी की समस्या कम ग्रामीण उत्पादकता और अल्परोज़गार व बेरोजगारी से [350] जुड़ी है। यद्यपि विकास की सामान्य प्रक्रिया के अधीन ही उत्पादक रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित किए जाते हैं, फिर भी ग्रामीण लोगों के [375] लिए रोज़गार पैदा करने तथा आय के कुछ न्यूनतम स्तर प्राप्त करने हेतु विशेष रोज़गार कार्यक्रमों की सतत आधार पर जरूरत है । [400] उपर्युक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर रोज़गार सृजन की विभिन्न योजनाएँ चलाई गई थीं। सातवीं योजना के आखिरी वर्ष में 1 अप्रैल, [425] 1989 से उस समय विद्यमान दो रोज़गार कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारंटी कार्यक्रम को जवाहर रोजगार [450] योजना नामक ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम में मिला दिया गया था । जवाहर रोज़गार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गार पुरुषों तथा महिलाओं के लिए अतिरिक्त [475] फायदेमंद रोज़गार का सृजन करना है । ग्रामीण आर्थिक आधार ढाँचे को सुदृढ़ बनाकर सतत आधार पर रोज़गार के अवसर सृजित करना है । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 16

महोदय, सामुदायिक और सामाजिक परिसंपत्तियाँ सृजित करना ग्रामीण गरीबों को प्रत्यक्ष तथा निरंतर लाभ पहुँचाने हेतु उनके लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करना । मजदूरी स्तरों [525] पर सकारात्मक प्रभाव डालना । ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में समग्र रूप से सुधार लाना । गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोग [550] लक्षित वर्ग हैं । अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों को वरीयता दी जाती है । रोज़गार के 30 प्रतिशत अवसर महिलाओं के लिए [575] आरक्षित हैं । केंद्र और राज्यों द्वारा 80 व 20 के अनुपात में व्यय वहन किया जाता है । केंद्रीय आबंटन देश के कुल गरीबों की तुलना [600] में राज्य/संघशासित क्षेत्र के गरीब ग्रामीण लोगों के अनुपात के आधार पर किया जाता है । वे सभी कार्य शुरू किए जा सकते हैं [625] जिनसे टिकाऊ उत्पादक स्वरूप की सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन होता है । । पंचायत समिति द्वारा परियोजना का मूल्यांकन और अनुमोदन किए जाने के [650] पश्चात उसे अनुमोदन देने हेतु ग्राम पंचायत सक्षम है । संसाधनों का कम से कम 60 प्रतिशत भाग मजदूरी घटक पर खर्च करना होता है । [675]

जवाहर रोज़गार योजना के कार्यों के निष्पादन हेतु ठेकेदारों अथवा बिचौलियों को लगाए जाने की अनुमति नहीं है । मजदूरों को रियायती दरों पर प्रतिदिन 2 किलोग्राम [700] खाद्यान्न दिया जाता है । 1755 पुनर्गठित ब्लाकों में मजदूरों को दिए जाने वाले खाद्यान्नों का जारी मूल्य प्रति किलोग्राम 50 पैसे कम है । [725] जवाहर रोज़गार योजना की सामान्य प्रणाली के अलावा पिछड़ेपन के आधार पर चयन किए गए 120 पिछड़े जिलों में कार्यक्रम को तेज करने [750] के लिए 700 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं । जवाहर रोज़गार योजना की तीसरी पद्धति में विशेष और अभिनव परियोजनाएँ प्रारंभ करने का प्रावधान है [775] जिनका उद्देश्य मजदूरों का नगरों में पलायन को रोकना, महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ाना तथा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम [800] से ऐसे विशेष कार्यक्रम चलाना है, जिनका ध्येय जल संभरण विकास/बंजर भूमि का विकास करना हो । मानव जीवनयापन के लिए आवास [825] महत्वपूर्ण है और इसलिए सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है । ग्रामीण लोग अच्छे उन्नत किस्म के मकानों की अत्यंत आवश्यकता महसूस [850] करते हैं। ग्रामीण गरीब लोगों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयासों के एक भाग के रूप में मई, 1985 में इंदिरा आवास [875] योजना शुरू की गई थी । यह कार्यक्रम अब जवाहर रोज़गार योजना की उप-योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है । [900] इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में निर्धनतम लोगों के लिए नि:शुल्क रिहायशी मकानों का निर्माण करना है । ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित [925] जनजातियों तथा बंधुआ मजदूरों को वरीयता दी जाती है । जवाहर रोज़गार योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 10 प्रतिशत संसाधन इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित [950] किए जाते हैं । जिलों में निधियों का वितरण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों की कुल ग्रामीण जनसंख्या में से इस विशेष वर्ग [975] के गरीबों के अनुपात के अनुसार किया जाता है । मकानों का आबंटन लाभभोगी परिवार की महिला सदस्य के नाम किया जाता है । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 17

बहनो, भारतीय स्त्री-जाति की प्राचीन गौरव-गरिमा एवं उच्च परंपराओं को ध्यान में रखकर न केवल आपको शिक्षित होना है बल्कि शिक्षा [25] समाप्त करने के पश्चात पुरुषों के साथ सहगामिनी बन कर आपको सब दिशाओं में कदम बढ़ाना है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद अब राष्ट्र के [50] नव-निर्माण के कार्य में आपको भी उचित रीति से भाग लेना चाहिए। यह सब तभी संभव हो सकता है जब हम वर्तमान [75] शिक्षा पद्धति की कमियों एवं दोषों को दूर कर उसको अपने अनुकूल एवं उपयोगी बना सकेंगे। इस संबंध में भी देश में परस्पर-विरोधी [100] विचारधाराएँ प्रचलित हैं। आधुनिक सुधारवादियों या जो अपने को प्रगतिशील कहते हैं, उनकी धारणा यह है कि बालक-बालिकाओं को एक-साथ शिक्षा [125] दी जाए और दोनों की शिक्षा-प्रणाली एक-सी हो। उनका यह भी विचार है कि स्त्रियों को न केवल शिक्षा-पद्धति में ही [150] बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी पुरुषों के बराबर के अधिकार मिलने चाहिए तथा उन्हें संपूर्ण सामाजिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्हें समाज के समस्त व्यवसाय [175] और व्यापारों में समान रूप से भाग लेना चाहिए और शिक्षा-प्रणाली की रचना इन सबके अनुकूल होनी चाहिए। दूसरी ओर कट्टरपंथियों के विचार [200] इनके विपरीत हैं। इस प्रकार स्त्री-शिक्षा और अन्य बातों के संबंध में हमारे देश में वर्तमान समय में परस्पर-विरोधी विचारधाराएँ प्रचलित हैं। [225] इन दोनों में से कौन-सी विचारधारा उपयुक्त हो सकती है और किसके द्वारा हमारी संस्कृति एवं सभ्यता फलफूल सकती है, इस [250] पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। जहाँ तक मेरा अपना विचार है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इन दोनों के बीच के मार्ग को [275] अपनाना श्रेयस्कर होगा।

वर्तमान शिक्षा-पद्धति के आदर्श एवं उद्देश्यों में जो दोष पाए जाते हैं, उनके अतिरिक्त वह बहुत महँगी सिद्ध हो रही [300] है। प्रतिवर्ष हम अपने शिक्षालयों द्वारा हजारों विद्यार्थियों को तैयार करते हैं जिन में से बहुतों को नौकरियाँ न मिलने पर जीविका चलाना बहुत [325] कठिन हो जाता है। इस प्रकार हम अपने शिक्षालयों द्वारा जहाँ काफी संख्या में विद्यार्थी बेकार तैयार होते देखते हैं वहाँ फैशनपरस्त भी तैयार [350] होते देखते हैं। हमारे साधारण गृहस्थ-घरों की लड़कियाँ जब प्रारंभ में आधुनिक शिक्षालयों में प्रवेश पाती हैं तो धीरे-धीरे वे भी वहाँ [375] की फैशनपरस्ती की शिकार हो जाती हैं और सुंदर-सुंदर बहुमूल्य साड़ियाँ एवं भाँति-भाँति की साज-शृंगार की वस्तुओं की नकल [400] करने लगती हैं जिससे अपने माँ-बाप या अभिभावकों को पर्याप्त मात्रा में व्यय कराने के संकट में डाल देती हैं। ऐसी शिक्षा प्राप्त [425] कर जब वे स्कूल या कालेज छोड़कर जाती हैं तो उनका जीवन भार-स्वरूप होने का भय रहता है क्योंकि जीवन के [450] कार्यक्षेत्र में वह अपव्ययी शिक्षा-पद्धति धनोपार्जन के उपयुक्त सिद्ध नहीं हो सकती। यह नौकरी की आशा भी पूरी नहीं कर सकती और [475] अंत में यह शिक्षा उनके लिए निकम्मी मालूम पड़ती है। इसलिए हमें सचेत होकर सोचना है कि क्या वर्तमान शिक्षा पद्धति ही हमारे लिए उपयुक्त है। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 18

महोदय, कुछ समय बाद जैसे ही समाचारपत्रों में बहुत-से लोग काम करने लगे, और प्रकाशन कार्य के लिए व्यवसाय यंत्रों की आवश्यकता पड़ी, [525] इस कार्य ने उद्योग का रूप धारण किया । निःशुल्क प्रचार अथवा सेवा की भावना अब अव्यावहारिक जान पड़ी और प्रायः लुप्त हो गई । समाचार [550] पत्र उद्योग का यह विकास संभवतः स्वाभाविक है और आधुनिक विचारधारा के अनुरूप है । फिर भी, यद्यपि पत्रों का प्रकाशन एक उद्योग के रूप [575] में होता है, समाचारपत्र सोद्देश्य राष्ट्र सेवा की भावना तथा नैतिक दायित्व से एकदम मुँह नहीं मोड़ सकते । यह भी स्वीकार करना होगा [600] कि इस उद्योग की यथोचित उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि दूसरे उद्योगों की भाँति यह भी उन सभी साधनों से संपन्न हो जो [625] अन्य उद्योगों ने या तो प्राप्त कर लिए हैं या वे उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं । इसलिए यह सभी के हित में [650] है कि समाचारपत्र उद्योग उन्नत हो और इसका आधार अधिक से अधिक ठोस हो । इधर कुछ वर्षों से हमारे देश के समाचारपत्रों [675] में जागृति की लहर आई है । उद्योग की आवश्यकताओं, श्रमजीवी पत्रकारों की माँगों और पाठकों के हितों ने मिलकर ऐसी स्थिति पैदा कर [700] दी कि समाचारपत्रों की दशा पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया । समाचारपत्र आयोग की नियुक्ति, आयोग की सिफारिशों का प्रकाशन और उन [725] सिफारिशों पर सरकार का निर्णय - ये सभी उक्त समस्या को सुलझाने के सम्मिलित प्रयत्न हैं । मैं आशा करता हूँ कि इन प्रयत्नों द्वारा समस्या [750] का समाधान हो सकेगा, समाचारपत्र उन्नत होंगे और इस उद्योग में कार्य करने वाले सभी लोगों को संतुष्ट किया जा सकेगा । मैं जानता हूँ [775] कि यह सब कहना सरल दिखाई देता है, किंतु व्यवहार में लाना बहुत कठिन होता है । परंतु मुझे सुशिक्षित श्रोताओं से यह कहने की आवश्यकता [800] नहीं कि मानवीय गतिविधि के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह राजनीति, उद्योग अथवा प्रशासन का क्षेत्र हो विभिन्न हितों और विचारों में सहयोग की भावना [825] से राष्ट्र तथा समाज के हितों को सामने रखकर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास आवश्यक है ।

मैं इतना निराशावादी नहीं कि मैं यह समझूँ [850] कि वे लोग जिनके सुझाव बड़ी-बड़ी समस्याओं को सुलझाने में सहायक होते हैं, निजी समस्याओं का निबटारा करने में असफल रहेंगे । हाल में [875] भारतीय संसद ने इस संबंध में जो अधिनियम पास किए हैं, उनका उद्देश्य समाचारपत्रों की समस्याओं को सुलझाना है । यह कहना अनावश्यक होता कि [900] कोई भी अधिनियम, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में सुधार के लिए लागू किया जाए, प्रभावपूर्ण रूप से तभी कार्यान्वित हो सकता है जब [925] सभी संबद्ध दल उसे सहयोग की भावना से ही कार्य रूप दें । इन मामलों में अधिनियम के शब्दों का इतना महत्व नहीं जितना उनके [950] पीछे निहित भावना का होता है। क्या मैं आपकी संस्था से यह अनुरोध कर सकता हूँ कि इस मामले में आप समाचारपत्रों को [975] मार्ग दिखाएँ । आपकी संस्था निश्चय ही प्रमुख तथा अत्यंत प्रभावशाली समाचारपत्रों की प्रतिनिधि संस्था है । प्रायः सभी बड़े समाचारपत्र आपके सदस्य हैं । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 19

आदरणीय साथियो, भारत में पंचायती राज की मान्यता सदियों से रही है। पंचों में परमेश्वर वास करता है, ऐसी हमारी मान्यता रही है। वेदों में [25] कहा है कि पाँच व्यक्ति समर्पित रूप से मिलकर यज्ञ को पूर्ण करें। स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मान्यता थी कि 'भारत की [50] आत्मा गाँवों में बसती है। जब तक गाँव स्वतंत्र नहीं होते, देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होगा।' गांधी जी के अनुसार सच्चे लोकतंत्र [75] का परिचालन केंद्र में बैठे 20 व्यक्तियों द्वारा नहीं कराया जा सकता है। इसका क्रियान्वयन प्रत्येक गाँव के निवासियों के माध्यम से ही होना [100] चाहिए। उनके अनुसार जन-समर्थन प्राप्त पंचायतों को कोई भी कानूनी कार्य करने से नहीं रोक सकता। गाँवों का प्रत्येक समूह या उस समूह [125] के सदस्य अपनी पंचायत बना सकते हैं, चाहे भारत के अन्य गाँवों में पंचायतें हों अथवा नहीं हों। गांधी जी की यह मान्यता थी कि [150] हर अधिकार कर्तव्य से ही मिलता है। ऐसे अधिकारों से कोई भी वंचित नहीं कर सकता। पंचायत लोगों की सेवा करने के लिए है तथा [175] भारत का हर लोकतंत्र इकाई गाँव ही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के संबंध में अंकित किया गया है कि [200] 'राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा तथा उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों [225] के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।' इस उद्देश्य से प्रेरित होकर भारत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने [250] के लिए समय-समय पर कदम उठाए हैं। 2 अक्तूबर, 1952 को भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। [275] इसके अधीन स्थानीय विकास हेतु सरकार द्वारा विकास खंडों को अनुदान राशि दी गई। भारत सरकार ने देश के ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करने [300] हेतु पंचायत राज संस्थाओं के संबंध में 1957 में बलवंत रोय मेहता समिति का गठन किया। इस समिति ने सिफारिश की कि विकास से संबंधित [325] समस्त कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं को सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए।

समिति की सिफारिश के अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें पूर्णतः निर्वाचित हों। [350] इनमें दो महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि मनोनीत हो। ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति विकास के समस्त कार्य हाथ में ले। [375] ऐसी व्यवस्था है कि पंचायत समिति धीरे-धीरे एक सक्षम प्रजातांत्रिक संस्था के रूप में कार्य करे। जिला स्तर पर पंचायत समिति में समन्वय [400] रखने हेतु प्रत्येक जिले में जिला परिषद का गठन हो तथा उसमें सांसद, विधानसभा सदस्य भी सदस्य रहें। भारत सरकार द्वारा बलवंत राय मेहता [425] समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने हेतु पंचायती राज व्यवस्था शुरू की जाए। [450] राजस्थान सरकार ने देश में सबसे पहले 2 अक्तूबर, 1959 को नागौर में दीप प्रज्ज्वलित कर त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आरंभ की। यद्यपि राज्य [475] में ग्राम पंचायतें पहले से थीं। ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति व जिला स्तर पर जिला परिषदों का गठन किया गया। वर्ष 1960 में प्रथम चुनाव हुए। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 20

आदरणीय साथियो, कई सरपंच निर्विरोध चुने गए । अनेक चुनाव के बाद जीत कर सरपंच बने । ग्राम पंचायतों के सरपंच ही पंचायत समितियों के सदस्य बने 525 एवं उनमें से प्रधान व उपप्रधान अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते रहे । सब पंचायत समितियों के प्रधान, सांसद व विधान सभा सदस्य जिला परिषद 550 के सदस्य बनते रहे । उन्हीं में से जिला परिषदों के प्रमुख व उप प्रमुख चुने जाते रहे हैं । न केवल, राजस्थान राज्य में ही अपितु 575 देश के अधिकांश राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के आरंभ के वर्षों में इन संस्थाओं ने ग्रामीण विकास की दिशा में अच्छे परिणाम 600 दिए । लेकिन, कुछ वर्षों बाद किन्हीं कारणों की वजह से पंचायती राज संस्थाएँ अपने सौंपे गए उत्तरदायित्व को सही ढंग से निष्पादित करने में असमर्थ 625 दिखाई देने लगीं अर्थात् ये संस्थाएँ अपेक्षित परिणाम देने में असफल रहीं । इसका सबसे बड़ा कारण इन संस्थाओं के पास वित्तीय साधनों की 650 कमी रही । साथ ही अधिकांश राज्य सरकारों ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भी अधिक रुचि नहीं ली । पंचायती राज संस्थाओं को अधिक गतिशील 675 बनाने हेतु अशोक मेहता कमेटी ने सिफारिश की कि विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी जिला परिषदों की हो । समिति के अनुसार 700 पंचायतें 10-15 गाँवों की मंडल पंचायतें हों तो अधिक सक्षम होंगी । ये मंडल पंचायतें ग्रामीण विकास योजनाओं को क्रियान्वित करेंगी । साथ ही समिति 725 ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी से करवाने की सिफारिश भी की । ग्रामीण विकास की प्रशासनिक व्यवस्था व गरीबी उन्मूलन समस्याओं हेतु 750 गठित जी.वी.के. राव कमेटी ने जिला स्तर पर योजनाएँ बनाने व नियमित चुनाव कराने की सिफारिश की थी । देश की पंचायत राज व्यवस्था 775 को सुदृढ़ व पुनर्जीवित करने हेतु गठित डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी ने ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त वित्तीय साधन देकर अधिक सक्षम बनाने पर बल दिया 800 तथा साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दिए जाने पर भी विशेष बल दिया ।

देश में पंचायती राज संस्थाओं की बिगड़ती हुई स्थिति 825 को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायती राज ढाँचे को सुदृढ़ बनाने की कल्पना की थी और उन्होंने 850 पंचायतों को अधिक अधिकार सौंपने तथा महिलाओं और कमजोर वर्गों की इन संस्थाओं में अधिक से अधिक भागीदारी देने की परिकल्पना की थी । हमारे वर्तमान 875 प्रधानमंत्री के प्रयासों से अब यह संभव हो पाया है कि इस संबंध में शुरू किए गए प्रयासों तथा 900 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार बनाने की दृष्टि से संविधान में 73वीं संशोधन की कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र 925 करना चाहूँगा । पंचायती राज संस्थाओं को प्रथम बार संवैधानिक दर्जा दिया गया । सभी राज्यों में पंचायती राज की त्रि-स्तरीय पद्धति लागू की गई । लेकिन जिन 950 राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ बीच के स्तर की इकाई गठित करने की मर्जी राज्य सरकारों पर छोड़ी गई है । 975 ग्राम सभा को वैधानिक दर्जा दिया गया । हर पाँच वर्षों में अनिवार्य रूप से चुनाव होंगे । चुनावों की व्यवस्था एक स्वतंत्र चुनाव आयोग करवाएगा । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 21

महोदय, भारत जैसे बहुभाषाभाषी देश में, जहाँ विभिन्न-भाषा परिवारों की 1652 भाषाएँ बोली जाती हों, अष्टम सूची के अनुसार भी देश [25] की 18 प्रधान भाषाएँ हों; खान-पान, वेशभूषा, रीति-रिवाज़ आदि की दृष्टि से भी एक प्रांत दूसरे प्रांत से बहुत भिन्न हो, [50] वहाँ देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक यह है कि संपूर्ण देश के नागरिकों का वैचारिक स्तर पर [75] आदान-प्रदान हो, सांस्कृतिक विनिमय हो, एक दूसरे को समझने-सराहने की चेष्टा हो। जहाँ संपूर्ण देश की भाषा एक हो, वहाँ तो शायद [100] उस एक राष्ट्रभाषा से यह संभव भी हो सके, किंतु भारत जैसे विशाल तथा विभिन्न संस्कृतियों और विविध भाषाओं वाले देश में अनुवाद ही [125] सबसे सशक्त माध्यम है, जो संपूर्ण देश को एक सूत्र में बाँधे रखने में सहायक हो सकता हे । द्विभाषिकता का महत्व भारत में प्राचीन [150] काल से रहा है। आज भी भारतीय जनसंख्या के सांख्यिकीय आँकड़े यह बताते हैं कि भारत में द्विभाषियों का प्रतिशत काफ़ी ऊँचा है । [175] कहने की आवश्यकता नहीं कि सभी भारतवासी सामान्यत: हिंदी या निकटवर्ती प्रांत की भाषा को दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। अहिंदीभाषियों [200] के मध्य हिंदी का प्रचार, शिक्षा, व्यवसाय, जनसंचार, फ़िल्म आदि कई कारणों से हुआ। द्विभाषिकता का महत्व रोज़ी-रोटी तथा आत्मविकास [225] या आत्मप्रचार से बढ़ता है। यह द्विभाषिकता अनुवाद की मूल भित्ति है। एक व्यक्ति अपने भावों व विचारों को दूसरे तक पहुँचा सके तथा [250] दूसरे की बात स्वयं समझ सके, इसीलिए वह दो या अधिक भाषाएँ सीखता है। यह व्यावहारिक सत्य है कि जो व्यक्ति जितनी अधिक भाषाएँ [275] जानता है, वह उतना ही बहुज्ञ है, क्योंकि भाषा के सहारे उसका, परिचय-क्षेत्र तो बढ़ता ही है, वह विभिन्न भाषिक संस्कृतियों से [300] भी परिचित होता है।

देश चाहे भौगोलिक दृष्टि से छोटा हो या बड़ा, शक्तिशाली हो या निर्बल, धनी हो या निर्धन, संश्लिष्ट अंतर्राष्ट्रीय [325] राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए, दूसरे देशों की साहित्यिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक स्थिति को समझने तथा उनसे लाभ उठाने के लिए उसे अनुवाद का [350] सहारा लेना पड़ता है। सभी विकसित देशों में इसीलिए अनुवाद का बड़ा महत्व है। अनुवाद संबंधी बड़े-बड़े संस्थान हैं तथा बड़े सुनियोजित [375] ढंग से अनुवाद कार्य होता है। मैं आपको यूरोप के एक छोटे से देश बल्गारिया का उदाहरण देता हूँ। बल्गारिया की जनसंख्या [400] 40 लाख है। बल्गारिया में पर्यटकों की वर्ष भर भरमार रहती है और उसका विदेशी मुद्रा अर्जन का मुख्य स्रोत भी पर्यटन उद्योग [425] ही है। विश्व के अनेक देशों के पर्यटक वहाँ आते हैं, जिनमें बल्गारियन भाषा जानने वालों की संख्या नहीं के बराबर ही होती है। [450] इन पर्यटकों की सुख-सुविधा के लिए तथा उन्हें भाषा की कठिनाई न हो इसलिए दुभाषियों की, जो यूरोप की विभिन्न भाषाएँ जानते हों, [475] आवश्यकता होती है। इसके लिए विश्व-विद्यालयों में नियमित रूप से युवक-युवतियाँ विदेशी भाषाएँ सीखते हैं और दुभाषिए का काम करते हैं। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 22

महोदय, सरकार की ओर से इन भाषा संस्थानों को विशेष संरक्षण तथा सुविधाएँ प्राप्त हैं। यह द्विभाषी केवल पर्यटन से जुड़े हुए हों, ऐसा नहीं है। दूसरी भाषा सीख कर ये अनुवाद कार्य करते हैं, प्रकाशन संस्थानों में, जन-संचार माध्यमों में तथा विज्ञान निकायों में प्रतिष्ठित अनुवादक के रूप में जाने जाते हैं। ये सर्जनात्मक ललित साहित्य का अनुवाद करते हैं, विदेशी समाचारों का अपनी भाषा में तथा बल्गारिया के समाचारों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद करते हैं। ये अनुवादक अपनी-अपनी भाषा के विशेषज्ञ माने जाते हैं। यदि आप कभी बल्गारिया जाएँ तो आप देखेंगे कि आप चाहे इनकी भाषा न जानते हों, किंतु आपकी भाषा जानने वाले आपको जरूर मिलेंगे। अभी कुछ महीने पहले की ही तो बात है, जब भारत के राष्ट्रपति डॉ॰ शंकर दयाल शर्मा बल्गारिया गए। वहाँ बल्गारियावासियों ने हिंदी में उनका स्वागत किया और भारत संबंधी प्रश्न भी उन्होंने राष्ट्रपति जी से हिंदी में ही किए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए यह सुखद आश्चर्य था। वस्तुतः अनुवाद या भाषांतरण उनके लिए व्यावसायिक अनिवार्यता है। यूरोप के अन्य देशों में भी यही स्थिति है, जहाँ विश्व में प्रकाशित किसी भी भाषा का महत्वपूर्ण शोध निबंध, या कोई विदेशी चर्चित साहित्यिक कृति उस देश की भाषा में तत्काल अनूदित हो जाती है।

इतिहास साक्षी है कि ईसाई धर्म के प्रचार में अनुवाद की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है। ईसाई धर्म के विश्वव्यापी प्रचार के लिए बाइबिल के अनुवाद की व्यापक योजना बनाई गई। अनुवाद ने ही बाइबिल को भारत के गाँव-गाँव, यहाँ तक कि आदिवासी क्षेत्रों तक पहुँचा दिया। बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषाओं में और एक ही भाषा में कई बार भगवद्गीता का अनुवाद हुआ। भारतीय दर्शन और प्रतिभा को समझने की लालसा ने विदेशियों को प्रेरित किया कि वे गीता का अनुवाद अपनी भाषा में करें। आज विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में गीता का अनुवाद आपको मिलेगा। अवधि भाषा में लिखित रामचरितमानस भी देश और विदेश की अनेक भाषाओं में अनूदित होकर विश्व साहित्य का अनुपम ग्रंथ बन गया है। वस्तुतः अनुवाद ही वह माध्यम है, जो देशीय रचना को भौगोलिक सीमा से मुक्त कर विश्व-मंच पर प्रतिष्ठित करता है। गीतांजलि की ख्याति का एक प्रमुख कारण उसका विदेशी भाषाओं में अनूदित होना भी है। अनुवाद दो भाषाओं के मध्य सेतु का काम करता है और दो संस्कृतियों को निकट लाता है। अनुवाद की नींव है दो भाषाओं का ज्ञान और उन भाषाओं पर व्याकरण और शैली की दृष्टि से ऐसा पूर्ण अधिकार कि अनुवादक एक भाषा भाव व विचार राशि को दूसरी भाषा में पूर्णतः इस प्रकार रूपांतरित करे कि पाठक मूल रचना की संवेदना से भी परिचित हो सके तथा अनुवाद पढ़कर उसे मूल का सा आनंद भी मिल सके। यही लक्ष्य अनुवादक के लिए समस्या उत्पन्न करता है और इसी में उसके कौशल की पहचान भी होती है। स्रोतभाषा का ज्ञान अनुवादक के लिए इसीलिए अपरिहार्य माना जाता है।

प्रतिलेखन संख्या - 23

भाइयो और बहनो, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे बड़े-बड़े कृषि वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ अपने अनुसंधानों के सार राष्ट्रभाषा हिंदी में [25] प्रस्तुत करने के लिए पूरे देश से यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं तो हमेशा ही कहता रहा हूँ कि किसानों तक नई जानकारी उनकी [50] ही भाषा में पहुँचाई जा सकती है। आपने अच्छा किया कि श्रीगणेश राष्ट्रभाषा हिंदी से किया। मैं तो चाहूँगा कि सभी भारतीय [75] भाषाओं में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित किए जाएँ, ताकि सभी क्षेत्रों के किसानों को पता चले कि उनके लिए इस देश के कृषि वैज्ञानिक [100] कितनी मेहनत से नई-नई किस्में और तकनीकें निकाल रहे हैं। अब से तीन दिन बाद हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। मुझे बताया गया [125] कि सन् 1995 के वर्ष को 'यूनेस्को' ने सहनशीलता का वर्ष घोषित किया हुआ था। शायद भारत में इसके बारे में ज्यादा चहल-पहल [150] या चर्चा नहीं हुई, क्योंकि भारत देश और भारतीय लोग तो हैं ही सहनशील। इसमें भी सबसे ज्यादा सहनशील हैं किसान। आप [175] खुद हिसाब लगा लो। हर तरह से भारत का किसान संसार का सबसे सहनशील प्राणी सिद्ध होगा।

आजकल जाड़ा जोरों से पड़ना शुरू [200] हो गया है। फिर भी उत्तर भारत का किसान शीत लहर की परवाह किए बिना आधी रात को उठकर अपने गेहूँ के खेत में [225] पानी लगा रहा है, क्योंकि बिजली कुछ घंटों के लिए आती है। किसान ठंड सहकर फसल उगाएगा और फसल पकते-पकते गर्मियाँ शुरू [250] हो जाएँगी तो जेठ की तपती धूप में वह खेतों में कटाई व मड़ाई का काम करेगा। यह जाड़ा, पाला सहना और कड़ी गर्मी में [275] पसीने से लथपथ होकर काम करते रहना, इतनी सहनशीलता बस किसान के बूते की ही है। फिर हिंदी बोलने वाला तो और भी ज्यादा [300] सहनशील है। हर हाल में जी रहा है। गेहूँ, चावल विदेशों में किस भाव बिकता है और हम उसे क्या भाव देते हैं ? हर चीज [325] के दाम आसमान पर पहुँच गए हैं। महँगाई इतनी बढ़ गई है मगर किसान की मेहनत का पूरा मुआवजा देने में हम दस बहाने [350] बनाते हैं और किसान है कि बर्दाश्त कर रहा है। बिजली महँगी हो गई, डीज़ल महँगा हो गया, संकर बीज महँगा मिलता है, रासायनिक खादें [375] महँगी मिलती हैं, मगर दालों के भाव चढ़ गए तो चिल्लपों शुरू हो जाती है। मेहनत करता है किसान और उसकी मेहनत पर [400] फलते-फूलते हैं बिचौलिए; मंडी के दलाल, आलू के चिप्स बनाने वाले व्यापारी; उसकी फसलों का तेल निकालने वाले व्यवसायी। ये सारी बातें सहते [425] हैं हमारे किसान भाई। सो किसान से बड़ा सहनशील और कोई नहीं। कोई आता है तो खराब किस्म का बीज बेच जाता है। तो दूसरा [450] जिप्सम के नाम पर मिट्टी बेच जाता है। कई एक नकली कीटनाशक दवाए बिक रही हैं; छिड़को तो कोई असर ही नहीं होता। किसान बेचारा सब [475] कुछ सह रहा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ जो कृषि वैज्ञानिक हिंदी में अपने शोध-पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, वे भी बड़े सहनशील होंगे। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 24

भाइयो और बहनो, मतलब यह है कि अगर संसार को सहनशील बनाना है तो सभी लोगों को दुनिया भर में हिंदी भाषा का प्रचार और 525 प्रसार करना चाहिए । ज्यादातर व्यापार के लिए कच्चा माल तो किसान ही पैदा करता है । फिर किसान के लिए कृषि अनुसंधान के खर्च में दुनिया 550 भर में कटौती क्यों की जा रही है । कटौती करनी है तो बहुत-से और क्षेत्र भी हैं । अमीर देश सन् 1990 में खेती-बाड़ी 575 को आगे बढ़ाने के लिए जो सहायता दे रहे थे वह थी 12 अरब डालर और दस साल बाद 2000 में 2 अरब डालर की 600 कटौती कर दी और यह 10 अरब डालर रह गई । तो पूरी दुनिया को खेती-बाड़ी से जोड़ने की जरूरत है, तभी ये दुनिया आपस 625 में लड़ना-मरना बंद करेगी । मेरा बस चले तो, मैं तो हिमालय की सबसे ऊँची चोटी 'सगरमाथा' जिसे दुनिया 'एवरेस्ट' कहती है पर 650 चढ़ूँ और पूरे जोर से आवाज लगाऊँ कि ऐ धरती के वासियो.बंदूकें छोड़ो और हल उठाओ । नहीं तो आप ही सोचो कि 20 साल 675 बाद 2020 में जब दुनिया की आबादी 8 अरब हो जाएगी तो सबको खिलाने लायक खाद्यान्न कैसे उपलब्ध होगा । उस समय चीन को भी 700 बाहर से गेहूँ मँगाना पड़ेगा । सौभाग्य से भारत के बारे में तो कृषि विशेषज्ञों का यही अनुमान है कि भारत के किसान और कृषि वैज्ञानिक 725 मिल-जुलकर बढ़ी हुई आबादी का भी पेट भर पाएँगे ।

आज हमारे अन्न भंडार में साढ़े तीन करोड़ टन से ज्यादा अनाज भरा है 750 रबी की फसल आने के बाद यह बढ़कर पाँच करोड़ टन तक जा सकता है । रखने की जगह नहीं है इसलिए समाज 775 कल्याण के कामों में लगाने और विविध रूपों में निर्यात करने के अवसर बढ़ रहे हैं । काम के बदले अनाज और बच्चों को पाठशालाओं में 800 नाश्ता कराने व खाना खिलाने के कार्यक्रम पूरे देश में चलाए जा सकेंगे । यह एक तरह से दूसरी कृषि क्रांति का ही नतीजा है 825 कि हम 101 करोड़ से ज्यादा आबादी को अपने खेतों में उपजाई फसल से ही खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं । खाने वाले तेल की कुछ 850 वर्ष पहले कमी हुई थी । हमने पुरजोर कोशिश की । पिछले कुछ वर्षों में आयात तो घटकर प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपए का हो 875 गया, वहीं तिलहनी फसलों और उनसे उत्पन्न पदार्थों का निर्यात आठ गुना बढ़कर 2500 करोड़ रुपए से भी ऊपर हो गया। यह सब 900 फल है किसानों, वैज्ञानिकों एवं प्रसार कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास का । इस प्रगति में आज कृषि वैज्ञानिकों का योगदान किसी से छुपा नहीं है, 925 इसे सारी दुनिया मानती है । जहाँ भी भूख है, वहाँ लोग भारत की मिसाल देते हैं कि देखो इस महान देश ने भूख की 950 चुनौती का किस तरह डटकर सामना किया । आज जब निर्यात के अवसर खुले हैं, विश्व का परिवेश बदल रहा है । सारी दुनिया के बाजार 975 खुल गए हैं । सौभाग्य से दुनिया में शाकाहार भी बढ़ रहा है । इस समय हमारे विविध व्यंजनों को विश्व बाजार में प्रचलित करने के बड़े मौके हैं। 1000

प्रतिलेखन संख्या - 25

उपाध्यक्ष महोदय, आज स्वतंत्र भारत में जब हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा घोषित हो चुकी है, अब संघर्ष अथवा विरोध का समय नहीं रहा । आज का समय ठोस रचनात्मक कार्य का समय है । मैं जानता हूँ संघर्ष करना कठिन है, परंतु उसी एकाग्रता से रचनात्मक कार्य करना उससे भी कहीं अधिक कठिन है । यह भी स्पष्ट है कि संघर्ष के बाद यदि रचनात्मक कार्य नहीं होता तो संघर्ष की उपादेयता ही लुप्त हो जाती है और जो सफलता प्राप्त की गई हो उसकी सार्थकता संकट में पड़ जाती है । इसीलिए रचनात्मक कार्य के समय को वास्तविक परीक्षा का समय माना जाता है, जिसमें उन सभी सिद्धांतों, उद्देश्यों और आदर्शों की पूरी परख होती है जिनका सहारा लेकर संघर्ष को जीवित रखा गया हो । हिंदी के हितैषियों और साहित्य-सेवियों के लिए अब यही समय है । मैं कह सकता हूँ कि शायद पहले कभी उन पर इतना गंभीर दायित्व नहीं आया था जितना कि अब हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने से आया है । समस्त राष्ट्र ने सर्वसम्मति से हिंदी भाषा का जो मान किया है और हमारे संविधान ने उसे जो स्थान दिया है, वह हम सब के लिए एक सद्भावनापूर्ण चुनौती के समान है । यह निर्णय एक प्रकार से सभी हिंदी-भाषियों और साहित्यिकों में विश्वास के प्रस्ताव के समान है । इस आदर को हम कैसे निभाएँ जिससे विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के बोलने वाले प्रतिनिधियों द्वारा किए गए उक्त निर्णय के औचित्य को सिद्ध कर सकें ? यह एक गंभीर प्रश्न है जिस पर सभी हिंदी-सेवियों को विचार करना चाहिए ।

हिंदी साहित्य सम्मेलन बहुत बड़ी संस्था है जिसके निर्माण में इस देश के अनेकों यशस्वी विद्वानों और देशभक्तों ने योग दिया है । मैं समझता हूँ कि यद्यपि सम्मेलन की स्थापना हिंदी के प्रचारार्थ हुई थी, इसे हिंदीभाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं के प्रचार का कार्य भी अपने हाथ में ले लेना चाहिए । इससे एक ओर हिंदी और दूसरी भाषाओं में पारस्परिक आदान-प्रदान बढ़ेगा और दूसरी ओर सम्मेलन का आधार भी अधिक व्यापक हो जाएगा । मेरे विचार से यह कार्य राष्ट्रीय साहित्य, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य सम्मेलन तीनों के हित की दृष्टि से उचित होगा । बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने, जिसके रजत जयंती समारोह के उद्घाटन के लिए आपने मुझे आमंत्रित करने की कृपा की है, पच्चीस वर्षों से भी अधिक समय पूर्व सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में पदार्पण किया था । इस राज्य के सभी लोग सम्मेलन की सेवाओं से भली प्रकार परिचित हैं । मैंआशा करता हूँ कि यह रजत जयंती समारोह इस राज्य के साहित्य सेवियों को और अधिक बल देगा जिससे वे साहित्य की समृद्धि द्वारा और हिंदी तथा अहिंदी प्रदेशों के बीच पूर्ण सद्भावना का वातावरण तैयार करके, इस राज्य के लोगों की ही नहीं बल्कि देश भर की सेवा कर सकेंगे । मेरे विचार से हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि करके और सभी भाषाभाषियों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए रखकर हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं । कम से कम इस ओर सबका ध्यान आकृष्ट हो चुका है ।

प्रतिलेखन संख्या - 26

बहनो, शिक्षा संस्थाओं से जब कभी भी मुझे बुलावा आता है तो मैं वहाँ जाने से इंकार नहीं कर पाता क्योंकि शिक्षा संस्थाओं 525 से मेरा आरंभ से ही कुछ न कुछ संबंध रहा है और शिक्षाशास्त्र में भी मेरी पहले से काफी रुचि रही है । अतएव मुझे 550 जब आपका निमंत्रण मिला, मैंने उसे बड़े हर्ष के साथ स्वीकार किया और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज मैं यहाँ आ सका । 575 आप सब बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं कि आप इस कन्या महाविद्यालय में शिक्षा पा रही हैं क्योंकि इस महाविद्यालय का इस राज्य 600 में अपना एक विशेष महत्व है और इसका इतिहास नारी जागृति तथा उन्नति का इतिहास है । इसकी स्थापना उच्च आदर्शों को लेकर एवं 625 नारी-जागृति तथा राष्ट्रीय उन्नति की पुनीत भावनाओं से प्रेरित होकर आज से बहुत साल पहले एक ऐसे सच्चे समाज-सुधारक के द्वारा हुई थी 650 जिनके हृदय में मुख्यतः नारी जाति के प्रति विशेष गौरव और महान आदर था । आप सबको मालूम ही होगा कि हमारे देश में 675 दो प्रकार की शिक्षा संस्थाएँ विद्यमान हैं । एक तो वे जो अंग्रेजी शासकों द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित की गई थीं 700 और दूसरी वे जो स्वतंत्र रूप से राष्ट्र प्रेमियों द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर अपने देश की संस्कृति एवं सभ्यता को पुनर्जीवित 725 एवं पुनःस्थापित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थीं । आपका यह कन्या महाविद्यालय भी लगभग इन्हीं पवित्र भावनाओं से प्रेरित होकर 750 बहुत साल पहले स्थापित किया गया था और आपके लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपमें से कुछ आज इस विद्यालय 775 में अपनी शिक्षा समाप्त कर जीवन के कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने जा रही हैं । उच्च शिक्षा-प्राप्ति की उपाधि जो आपको मिल चुकी 800 है, आपकी एक अमूल निधि है जिससे आपकी गुरुता और भी बढ़ती है ।

आपमें से जो आज प्रमाणपत्र लेकर जा 825 रही हैं, वे इस विद्यालय के सीमित दायरे में से निकलकर जीवन के विशाल प्रांगण में कर्मठ कार्यक्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं । 850 आपके कंधों पर जीवन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी शिक्षा और अनुभव के बल और आधार पर 875 उसे योग्यतापूर्वक संभाल सकने में सफल हो सकेंगी । अब तक आपका विद्यार्थी जीवन रहा, अब आगे आपका व्यावहारिक एवं क्रियात्मक जीवन रहेगा 900 और आपको अपने जीवन के कार्यक्षेत्र में अनेक समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना है । मुझे आशा है कि आपने 925 यहाँ जो शिक्षा-दीक्षा ग्रहण की उससे आप शक्ति और स्फूर्ति ग्रहण कर स्वतंत्र देश की दायित्वपूर्ण नागरिकाओं की भाँति उसे निबाह सकेंगी । 950 यह सब आपके लिए तभी संभव होगा जब आप यह भलीभाँति समझ लेंगी कि आपको अपने जीवन में क्या करना है । 975 आप सब यह भलीभाँति जानती ही होंगी कि प्राचीन काल में हमारे देश में स्त्रियों का कितना महत्वपूर्ण व उत्कृष्ट स्थान रहा है । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 27

महोदय, जब हम भारत की संपदाओं और उत्पादन के उपादानों के संदर्भ में भारत की अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हैं तो उस समय अनिवार्य [25] रूप से उपयुक्त टैक्नोलॉजी से संबद्ध प्रश्न उठ खड़े होते हैं । इसके लिए कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता; यह तो अलग-अलग [50] उद्योग के लिए अलग-अलग होगा । कुछ उद्योग अपरिहार्य रूप से पूँजी-प्रधान होंगे । इसका हमारे सुधारों और विदेशी निवेश से कोई संबंध [75] नहीं है । हमारे अपने सरकारी क्षेत्र में स्थापित कई उद्योग बहुत ही पूँजी-प्रधान हैं । ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जहाँ उत्पादन के श्रम-प्रधान [100] तरीकों का उपयोग होता है और वे प्रतियोगिता का सामना भी करते हैं। सारी दुनिया में हम आज यह देख रहे हैं कि एक जगह [125] वेतन अधिक होने के कारण तथा दूसरी जगह सस्ते विकल्प होने के कारण उद्योग अपने स्थान बदलते रहते हैं । यह बात एक दूसरे से [150] कतई भिन्न क्षेत्रों पर भी लागू होती है जैसे वस्त्र उद्योग, चमड़े का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य उद्योग । अन्य स्थानों से आकर भारत में [175] जो निवेश किए जा रहे हैं, वे ठीक इन्हीं कारणों से किए जाते हैं और ये उद्योग बड़ी मात्रा में रोज़गार प्रदान करेंगे। यह आर्थिक [200] निर्णय लेने की स्वाभाविक प्रक्रिया का अंग होता है । ऐसा सोचना अनुभवहीनता ही कहा जाएगा कि भारत में पूँजी-प्रधान उद्योगों की स्थापना लोग जानबूझ [225] कर करें बिना इस बात पर विचार किए कि दोनों देशों में आपेक्षिक मूल्य और हमारे सुस्थापित तुलनात्मक लाभ क्या हैं ? उसी के साथ [250] जहाँ पूँजी-प्रधान टैक्नोलॉजियाँ, और उच्चतर उत्पादकता तथा वेतन साथ-साथ चलते हैं, उनका हमें स्वागत करना चाहिए । उन्हें टालना नहीं चाहिए । [275] अंतिम निर्णय तो बाजार की शक्तियों पर निर्भर करेगा ।

मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि हमारे उद्यमी निर्णय करने में किसी से कम कुशल हैं । [300] तथापि यहाँ पर यह जोर देना अप्रासंगिक नहीं होगा कि टैक्नोलॉजी का चुनाव अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए । इस संदर्भ में विदेशी टैक्नोलॉजी का [325] आयात करने वालों को देश में उपलब्ध टैक्नोलॉजियों की भी सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए । सामान्य रूप से टैक्नोलॉजी का विलयन और अंगीकरण उतना महत्वपूर्ण [350] नहीं होता जितना टैक्नोलॉजी को तैयार करने की क्षमता पैदा करना । हमारे पास क्षमताएँ हैं और इस क्षेत्र में हमें अपनी संपदाओं का इष्टतम उपयोग [375] करना चाहिए । वास्तव में तो अपने ही देश में विकास और अनुसंधान करने का स्थान और कुछ नहीं ले सकता । तभी हम प्रतियोगिताओं का [400] लाभ उठा सकते हैं विशेषकर उस स्थिति में जब अन्यत्र टैक्नोलॉजी में विकास बड़ी तेजी से हो रहा है और उनके पुराने पड़ने [425] की दर भी बहुत ही ज्यादा है । यह बात पूरी तरह स्वीकार की जाती है कि नियंत्रणों और परमिटों की प्रणाली से ईमानदारी का खात्मा [450] हो जाता है । उदारीकरण प्रक्रिया का तात्पर्य इन नियंत्रणों को समाप्त करना है । मुझे यह देखकर सचमुच बहुत खेद होता है कि इस संक्रमण [475] काल में, जब हम लाइसेंस राज से उदारीकरण की प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं, संरचनात्मक समायोजन हो रहा है । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 28

महोदय, पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में एक उत्साहजनक जागरूकता देखने को मिल रही है । जैस-जैसे हम अपने विकास का 525 खाका बनाने लगे हैं, वैसे-वैसे यह बात अनुभव की जाने लगी है कि वह अपने बूते पर खड़ा रह सके और पर्यावरण की दृष्टि 550 से भी उपयुक्त हो । अपने देश की जनता के प्रति हमारा यह दायित्व है कि हम अपनी प्राकृतिक संपदा की रक्षा करें । अपने प्रयासों द्वारा 575 और यदि आवश्यक हो तो विदेशी टैक्नोलॉजियों का उपयोग करके हमें पर्यावरण के विनाश की समस्याओं को हल करने की चेष्टा करनी चाहिए । 600 असल में तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि भारत इस दिशा में पीछे नहीं है क्योंकि उन्होंने अब तक जिन टैक्नोलॉजियों का प्रयोग 625 किया है वे विनाशकारी रहीं और उन्हें तुरंत छोड़ देने की आवश्यकता है । वे भी नई टैक्नोलॉजियों की खोज कर रहे हैं । इसलिए हम 650 उनसे बहुत पीछे नहीं हैं । कमोबेश हम उनके साथ-साथ ही हैं । इसलिए हम सबके लिए, अन्य देशों के लिए भी 675 और हमारे देश के लिए भी यह संभव होगा कि हम मिलकर समूचे विश्व के लिए, इस पृथ्वी ग्रह के लिए अपना योगदान 700 दें ताकि मिल-जुलकर सहयोग से हम पर्यावरण की रक्षा के उपाय ढूँढ सकें । ब्राजील में दो वर्ष पहले हुए विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन 725 में जिस कार्यसूची 21 को हमने स्वीकार किया था, वह इस बात का अच्छा उदाहरण है, और मुझे विश्वास है कि इस 750 कार्यसूची के अनुसार, काम किया जा रहा है, यद्यपि कोई भी काम बिना कठिनाइयों से भरा नहीं होता विशेषकर जब इसे जटिल विश्व 775 में एक जटिल स्थिति में लागू करना पड़े । परंतु मुझे विश्वास है कि स्थिति आशाजनक है, और यह आशा बढ़ती जा रही है । 800 और जहाँ तक विश्व के पर्यावरण के भविष्य का सवाल है, वह पहले जैसा अंधकारमय नहीं है ।

ऐसी टैक्नोलॉजियों को अपनाना संभव होना चाहिए 825 जिनसे पर्यावरण के बेहतर स्तर कायम हो सकें, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण मिल सके और व्यर्थ पड़ी चीजों की बेहतर व्यवस्था हो सके । 850 पहल करने के ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनसे पर्यावरण को होने वाले खतरे को रोका जा सका है और लागत की दृष्टि से 875 भी वे प्रभावकारी सिद्ध हुए हैं । इस बड़े चिंतनीय विषय पर विचार करते समय हम सबको मिल-जुलकर प्रयास करना होगा । 900 हमारी सांस्कृतिक परंपरा विशेष रूप से प्रकृति और पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण रही है, इसलिए हम अपने देशी ढंग से भी इस दिशा में 925 बहुत कुछ कर सकते हैं । मैं जानता हूँ कि सुधारों का यह मार्ग फूलों की सेज नहीं है, विशेषकर इतने बड़े आकार के 950 एक लोकतंत्री देश में । जिस देश ने भी इस दिशा में चेष्टा की है, यह उनके लिए बड़ा दुष्कर कार्य सिद्ध हुआ है । 975 मुझे इसके बारे में कोई भ्रम नहीं है; और राजनीतिक दृष्टि से भी इस मार्ग का चुनाव करना एक कठिन कार्य था । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 29

अध्यक्ष महोदय, नई तालीम में मेरी रुचि उसी दिन से रही है जिस दिन प्रातः स्मरणीय पूज्य महात्मा गांधी जी ने इस विषय पर विचार [25] करने के लिए पहले-पहल एक सम्मेलन वर्धा में किया था जिसमें देश के कुछ शिक्षाशास्त्री और राष्ट्रीय शिक्षा से संबंध रखने वाले [50] कार्यकर्ता आमंत्रित थे। उस दिन से इस पद्धति की जिस प्रकार से जाँच और प्रगति हुई है, मेरा उससे कुछ न कुछ संबंध [75] रहा है और इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने आज मुझे शिक्षा संबंधी विचारों को व्यक्त करने का अवसर [100] दिया, यद्यपि मैं जानता हूँ कि ऐसा करने में बहुत अंश में पुनरावृत्ति करूँगा और हो सकता है मेरे मत से दूसरों का, विशेषकर [125] शिक्षाशास्त्रियों का मत न मिले। इसके अतिरिक्त विचारणीय बात यह भी है कि शिक्षा के संबंध में केंद्रीय और राज्यों की सरकारें आज [150] जो नीति बरत रही हैं, उसका मेरे मत के साथ कहाँ तक मेल होता है और मेरे मत में अथवा उस नीति में परिवर्तन [175] कहाँ तक आवश्यक दीखता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मैं आज जो कुछ कहूँगा, वह व्यक्तिगत विचार के रूप में ही समझा [200] और देखा जाएगा और उस पर आप निर्भीकतापूर्वक और निर्लिप्त रूप से भलीभाँति विचार करेंगे। यह एक मानी हुई बात है कि जो [225] पद्धति आज तक प्राथमिक वर्ग से लेकर विश्वविद्यालयों की उच्चतम कक्षा तक प्रचलित है, वह वही पद्धति है जिसको ब्रिटिश सरकार ने इस [250] देश में चलाया था और स्वराज्य-प्राप्ति के बाद भी अभी तक उसमें कहीं कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ हे। उसके लिए [275] हम किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सकते क्योंकि जिस प्रकार शांतिपूर्वक हमें स्वराज्य प्राप्त हुआ, उसमें यह अनिवार्य था कि स्वराज्य के [300] साथ-साथ वह शासन-पद्धति, शिक्षा पद्धति तथा सारा उपक्रम जो अंग्रेजी राज्य में प्रचलित था उस परिस्थिति के प्रकाश में विचार करें और जो कुछ परिवर्तन [325] आवश्यक जँचे, उसे अमल में लाएँ।

इसमें संदेह नहीं कि अंग्रेजों ने जो शिक्षापद्धति आरंभ की, वह विशेषकर अपने राज को आसानी से [350] और सुविधा के साथ चलाने के लिए जारी की थी। उसके साथ-साथ उनके दिल और दिमाग में भी यह विचारधारा काम कर [375] रही थी कि यहाँ की संस्कृति और साहित्य में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको वे अपनी संस्कृति, साहित्य इत्यादि की अपेक्षा अधिक [400] अच्छा समझें अथवा जिनको वे बनाए रखना उचित समझें। धीर-धीरे उनकी विचारधारा में थोड़ा-बहुत परिवर्तन भी हुआ पर मूल रूप से [425] नहीं और इसी बीच यूरोप में विज्ञान की जो प्रगति हुई, वह इस देश में उनकी भाषा के द्वारा ही प्रसारित हो सकती थी। [450] इन सबका परिणाम यह हुआ कि शासन की सुविधा और अपनी भाषा तथा संस्कृति के प्रति श्रद्धा के कारण उन्होंने इस पद्धति को [475] जारी रखा और इसको अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी कई पीढ़ियों ने जो शिक्षा पाई इसी पद्धति से पाई। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 30

अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों का विचार है कि हमारी अपनी भाषा ही ऐसी भाषा हो सकती है जो **केवल शिक्षालयों** के लिए ही नहीं बल्कि [525] प्रत्येक **व्यक्ति** के लिए शिक्षा का माध्यम बन सकती है और जब तक उसको **माध्यम** बनाने की ओर **ध्यान नहीं दिया जाएगा** तब तक [550] शिक्षा इने-गिने लोगों की ही वस्तु रहेगी और **जन-समूह** के जीवन तक नहीं पहुँच सकेगी। दूसरी **विचारधारा** यह है कि आज के [575] **विज्ञान-युग** में हम इस देश को **यूरोपीय** विचारधारा से अलग नहीं रख सकते और न इसका अलग रहना **वांछनीय** है, और इसलिए [600] कम से कम उच्च शिक्षा अंग्रेजी के **माध्यम** द्वारा ही **दी जानी चाहिए**। यदि ऐसा **नहीं किया जाएगा** तो हम जीवन की **दौड़** में और [625] देशों की तुलना में पीछे रह जाएँगे और प्रगति **नहीं कर सकेंगे**। यह बात केवल शिक्षा के माध्यम **के संबंध में** ही नहीं बल्कि विचार [650] करके देखा जाए तो बहुत गहरी है और सारी पद्धति के संबंध में है। इससे **स्पष्ट हो जाता है** कि देश में शिक्षा [675] प्राप्त करने की इच्छा बहुत अधिक है जो अब शहरों तक ही सीमित न रह कर ग्रामीण जनता में भी दीख रही है। पर उसका [700] एक फल यह भी देखने में आ रहा है कि इतने लोग इन संस्थाओं से **उत्तीर्ण** होकर अपने को **एक प्रकार से** बेकार पा रहे हैं। [725] सरकारी **नौकरियाँ** अथवा दूसरे प्रकार के काम जो **शिक्षित वर्ग** को मिल सकते हैं सीमित हैं, और जितने लोग **उत्तीर्ण** होते हैं उनमें से [750] थोड़े ही लोग उनमें लग सकते हैं या उनमें लगने की योग्यता रखते हैं। **अधिकांश** विद्यार्थी अब वह काम **नहीं कर सकते** जो [775] उनके पिता और दूसरे **पूर्वज** लोग किया करते थे। अंग्रेजी शिक्षा के **फलस्वरूप** उस काम के प्रति उनकी भावना में परिवर्तन आ गया। [800] परिणाम हुआ कि बेकारी बढ़ी और उसके फलस्वरूप जीवन के प्रति **असंतोष** और **उपेक्षा** की **भावना** को बल मिला। यह इस देश [825] के लिए बहुत **भयंकर** चीज है। इसलिए हम इस विषय पर **मौलिक रूप से** विचार करें कि जो पद्धति आज चल रही है और [850] जिस पर हम इतना व्यय करके युवक और युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित कर रहे हैं, वह आज की परिस्थितियों के [875] कहाँ तक अनुकूल और लाभदायक है।

महात्मा गांधी ने इस आने वाली परिस्थिति का अनुमान लगा कर यह **निश्चय कर लिया था कि** यदि [900] इस देश में अमीर और गरीब प्रत्येक **भारतवासी** के लिए शिक्षा आवश्यक है तो वह इस पद्धति से नहीं दी जा सकेगी, क्योंकि इसमें [925] व्यय इतना है कि यह देश उस भार को नहीं उठा सकेगा। इन्हीं दोनों विचारों से उन्होंने नई तालीम की पद्धति निकाली जिसको [950] अन्य देशों के **उच्चकोटि** के शिक्षाशास्त्रियों ने भी **शास्त्रीय** ढंग से विचार करके उपयोगी और **लाभदायक ठहराया**। महात्मा जी के विचार से [975] जहाँ तक मैं उसको समझ सकता हूँ, इस पद्धति में अपने दो मौलिक तथ्य थे। एक तो इसमें शिक्षा केवल पुस्तकों के द्वारा ही दी जाए। [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 31

महोदय, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा विज्ञान का विषय है, परंतु आज ऊर्जा-संसाधनों का जो संकट हमारे सामने उपस्थित है उसको देखते [25] हुए हमारी आशाएँ सूर्य और उससे मिलने वाली ऊर्जा पर टिकी हैं। यों, यह विषय सामान्य हित का है और उसमें हमारी समान [50] अभिरुचि भी दीख पड़ती है। अतः इस पाठ में सौर-ऊर्जा की संकल्पना और उसकी उपयोगिता पर स्फुट विचार अर्ध तकनीकी भाषा में [75] यहाँ प्रस्तुत हैं। ऊर्जा संसार के प्राणियों के जीवित रहने और दैनिक कार्यों के लिए परम आवश्यक है। पेड़-पौधे, सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। [100] सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। समस्त स्रोतों से ऊर्जा-प्राप्त करते हैं। ऊर्जा के बिना न तो जीवन [125] संभव है और न ही कोई कार्य हो सकता है। इसीलिए मानव प्राचीन युग से लेकर आज तक ऊर्जा प्राप्ति के लिए अनेक स्रोतों [150] और प्रक्रियाओं को खोजता रहा है। ऊर्जा जिन साधनों से प्राप्त होती रही है, उन्हें हम ऊर्जा-प्राप्ति के पारंपरिक स्रोत कहते हैं। स्रोत हैं [175] लकड़ी, कोयला, पैट्रोल, मिट्टी का तेल आदि। इनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वायु और जल को भी ऊर्जा के स्रोत के रूप में [200] प्रयोग किया जाता रहा है। आधुनिक युग में विज्ञान ने ऊर्जा के और नए स्रोत निकाले हैं। इन्हें आजकल गैर-पारंपरिक स्रोत कहा [225] जाता है। आज ऊर्जा के अनेक रूप हमें ज्ञात हैं: ईंधन वाली ऊर्जा, पवनऊर्जा, जलऊर्जा जीवाष्मी ऊर्जा या जमीन के नीचे पथराए [250] ईंधन वाली ऊर्जा, गैस ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा आदि।

पारंपरिक स्रोतों से निकलने वाली ऊर्जा की कमी के [275] कारण गैर-पारंपरिक स्रोतों की खोज का काम आज बड़ी तेजी से किया जा रहा है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने सन् [300] 1950 से ही सौर-ऊर्जा का प्रयोग आरंभ किया। सन् 1973 में जब पेट्रोल, मिट्टी के तेल आदि पदार्थों का संकट अनेक देशों ने अनुभव [325] किया, तब वैज्ञानिकों ने व्यावहारिक स्तर पर सूर्य को ऊर्जा के प्रमुख स्रोत में स्वीकार किया। भारत सरकार के गैर-पारंपरिक ऊर्जा-स्रोत विभाग [350] ने एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है। वह राज्यों के ऊर्जा-विभागों की सहायता से इन कार्यक्रमों और साधनों को अधिक से अधिक लोकप्रिय [375] बनाने का प्रयास कर रहा है। ऊर्जा-कार्यक्रमों के अंतर्गत गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के निर्माण और उनके रख-रखाव और प्रचार आदि [400] पर बल दिया जाता है। इनके अनुसंधान तथा विकास के लिए उच्चतम तकनीकी ज्ञान तथा प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। सौर ऊर्जा [425] हमारे अनेक कार्यों में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। सौर ऊर्जा से बिजली भी पैदा की जाती है जिससे घरों में और सड़कों पर [450] प्रकाश होता है। सौरऊर्जा से सोलर-कुकर, सोलर-हीटर, सोलर-ड्रायर, सोलर-रेफ्रिजरेटर इत्यादि का विकास राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशालाओं में हो [475] रहा है। सोलर-कुकर संदूक के आकार का होता है जो धूप वाले दिनों में दो घंटे में दाल, चावल आदि पका सकता है। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 32

महोदय, मांस, मछली आदि को भी इससे पकाया जा सकता है। सोलर-हीटर सार्वजनिक स्थानों जैसे अस्पताल, होटल, कारखाने आदि में पानी गरम करने के लिए काम में लाए जाते हैं। सोलर ड्रायर की सहायता से अनाज, तंबाकू, नारियल, इमारती लकड़ियाँ आदि को सुखाया जाता है। अब तो ऐसे सौर संयंत्रों का विकास किया जा रहा है जिनसे समुद्र जल के खारेपन को दूर किया जा सकता है। सौर ऊर्जा से हमारे दूर-दराज के गाँव भी अब प्रकाश से जगमगा उठेंगे और गाँव भी शहरों की तरह सभी आधुनिक साधनों से संपन्न हो जाएँगे। हम भारतवासी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में सौर ऊर्जा बारहों महीने सुलभ है। हमें चाहिए कि हम सौर ऊर्जा का भरपूर लाभ उठाएँ। इससे न केवल पारंपरिक ऊर्जा की बचत होगी, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि के लिए विदेशों का मुँह नहीं ताकना पड़ेगा बल्कि विदेशी मुद्रा में भी ज्यादा बचत हो सकेगी। निस्संदेह सौर ऊर्जा की क्रांति से सामान्य व्यक्ति को लाभ मिलेगा और देश चहुँमुखी विकास का स्वप्न साकार कर सकेगा। चुनाव के पहले की स्थिति से देश गुजर रहा है। देश का लाखों-करोड़ों का खर्च चुनाव पर होता है - चुनाव प्रक्रिया पर होता है अतिरिक्त इसके चुनाव प्रत्याशी भी लाखों करोड़ों का खर्च करते हैं, जन-जन तक पहुँचने के लिए, जननेता बनने के लिए। अशिक्षित जनता भीड़ देखती है, दिखावा देखती है, प्रदर्शन देखती है - फिर कुछ छोटे-मोटे लालच भी काम करते हैं और जनता गुमराह हो जाती हे। ऐसी स्थिति में चुने गए प्रत्याशियों से भला क्या देश का हित हो सकता है। शिक्षित, बुद्धिजीवी व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया से, चुनाव परिणामों से हताश होकर प्रक्रिया से ही अपने को दूर रखने का उपक्रम करते हैं या करने को मजबूर हो जाते हैं, लंबी खड़ी कतारों में अपना समय नहीं लगाना चाहते।

लोकसभा, विधान सभा, पंचायत सभी चुनाव यदि एक ही समय कराए जाएँ तो बहुत संभव है लोगों में रुचि बने, समय का व्यय रुके। आर्थिक खर्च भार जो देश को बार-बार करना पड़ता है वह बच सकता है। क्या ऐसा कुछ सोचा नहीं जा सकता। प्रत्याशी बनने के लिए भी कुछ मापदंड निर्धारित होने चाहिए। उनको शिक्षित होना चाहिए और चुने जाने के बाद उनके लिए एक आचार संहिता होनी चाहिए। उनके खर्च एवं संपदा पर एक प्रतिबंध होना चाहिए; एक गवेषणात्मक दृष्टि होनी चाहिए। समाज का हित चाहने वाले ऐसे चुनिंदा लोगों का जीवन महात्मा गांधी की तरह सरल, स्वच्छ एवं सादगी वाला होना चाहिए। यदि ऐसा होने लगा तो व्यापारिक भावना से आने वाले प्रत्याशी स्वयं हट जाएँगे। अच्छे चुनिंदा व्यक्ति ही देश को सही दिशा दे सकते हैं - देश का हित कर सकते हैं। बहुजन-संप्रेषण के माध्यमों के अभिनव विकास तथा राष्ट्रीय चेतना का अंतर्राष्ट्रीय जीवन से संबंध बढ़ा है जिसके कारण मनुष्य की सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ भी जटिल होती गई हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास भी निरंतर उर्ध्वमुखी हो रहा है।

प्रतिलेखन संख्या - 33

महोदय, आज के इस समारोह का अपना अलग महत्व है । 'पंचायत' भारतवर्ष की एक बहुत पुरानी संस्था है और जैसा अभी कहा गया इन्हीं [25] पंचायतों के कारण ही भारतवर्ष अब तक जीवित रह सका है । हम पर बाहर से बार-बार आक्रमण हुए, विदेशियों की विजय हुई पर [50] ग्राम पंचायतें अपने स्थान पर ज्यों-की-त्यों बनी रहीं । अंग्रेजी शासन के विस्तार के फलस्वरूप अन्य संस्थाओं के बिखर जाने के साथ-साथ [75] ये पंचायतें भी नष्ट हो गईं । जिस समय हम लोग ब्रिटिश सरकार से भारत के लिए स्वराज्य प्राप्त करने के प्रयत्न में लगे हुए थे [100] उस समय गाँव-गाँव में जो कांग्रेस कमेटियाँ स्थापित हुईं वे एक प्रकार से पंचायतें ही तो थीं । पर उस समय हमारे हाथों में अधिकार [125] नहीं था और जो पंचायतें स्थापित हुईं वे जनता की इच्छा से ही स्थापित हुईं । हमारे हाथों में जब अधिकार आया तो उस समय ये [150] ग्राम पंचायतें सभी स्थानों पर थीं । संविधान बनाते समय भी यही सोचा गया कि ऊँची व्यवस्थापिका सभाओं तक पहुँचने के लिए पंचायतें ही सबसे [175] पहली कड़ी होंगी । उसके बाद सभी प्रदेशों और राज्यों की सरकारों ने पंचायत संबंधी कानून पास किए और पंचायतें स्थापित होने लगीं। इस समय [200] प्रायः सभी राज्यों में पंचायतें हैं । यह दूसरी बात है कि कहीं पर उनका काम भली-भाँति चल रहा है और कहीं उतने सुचारु [225] रूप से नहीं चल रहा । आज यह सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आपके इस राज्य में पंचायतों को ठीक रूप से चलाने [250] पर बड़ा जोर दिया जा रहा है । जिनका काम सबसे अच्छा और सुंदर समझा जाता है उनको पुरस्कार दिया जाता है । [275] इसलिए मैंने आपकी ओर से आज दो-चार पंचायतों के मुखिया लोगों को अनुदान दिया । मैं उनको बधाई भी देना चाहता [300] हूँ कि उनका काम चार हजार ग्राम-पंचायतों में सबसे अच्छा समझा गया ।

हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि पहले की हमारी पंचायतें [325] क्यों मिट गईं । हमारे देश में पंचायतें परंपरा से चली आ रही थीं । अंग्रेजों ने भी मुक्त कंठ से इस बात को स्वीकार किया कि [350] भारत का प्रत्येक गाँव गणराज्य था । पर एक समय आया जब गाँव स्वतंत्र गणराज्य न रहे और देश परतंत्र हो गया । [375] इसका कारण हममें कमजोरियों का आना था । हमें उन कमजोरियों से अभी भी बचते रहना चाहिए जिससे फिर से वह दिन न देखना पड़े । [400] वह कमजोरी थी उन पंचायतों का संकीर्ण दृष्टिकोण । लोगों ने पंचायतों की परिधि के क्षेत्र को ही अपना देश माना और इस कारण जब एक [425] पंचायत पर आक्रमण हुआ तो दूसरी पंचायतों ने उसकी रक्षा में हाथ बँटाना अपना धर्म नहीं समझा । इसी प्रकार विदेशियों ने एक-एक पर [450] आक्रमण करके सारे देश पर अपना अधिकार कर लिया । हमारे शत्रुओं ने हमारे पारस्परिक वैमनस्य और भेदभाव से भी लाभ उठाया । अभी हाल [475] में जब भाषावार राज्यों का प्रश्न उपस्थित हुआ तो गाँव की छोटी-छोटी पंचायतों ने जैसी सम्मतियाँ प्रकट कीं उनसे यह स्पष्ट हो गया । [500]

34

प्रतिलेखन संख्या - 34

महोदय, अन्य उद्योगों और प्रत्येक राष्ट्रीय गतिविधि की भाँति समाचारपत्रों को भी समय-समय पर बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप बनना होता है। हमारे स्वाधीनता संग्राम के अवसर पर राष्ट्रीय पत्रों ने बहुत बड़ा काम किया जिसे राष्ट्र प्रशंसा की भावना के साथ सदा स्मरण रखेगा। देश के स्वाधीन होने के बाद से समाचारपत्रों के दायित्व में मौलिक परिवर्तन हुआ है। देश से विदेशी सत्ता के जाते ही शासनतंत्र राष्ट्र के प्रतिनिधियों के हाथ में आ गया। यह स्वाभाविक था कि इस परिवर्तन के बाद सभी समाचारपत्र अथवा उनमें से अधिकांश अपनी नीति पर पुनर्विचार करें। इन नौ वर्षों में अधिकांश पत्रों ने इस दायित्व को सुचारू रूप से निभाया है। मैं यह प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ कि पत्रों ने राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर सरकार का समर्थन कर उसका बल ही नहीं बढ़ाया, बल्कि जब कभी विचार-स्वातंत्र्य और सच्चे मतभेद की माँग हुई तो पत्रों ने आलोचना का आश्रय भी लिया। किसी भी पत्र का मूल्य अंततोगत्वा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उसके निर्भीक और निष्पक्ष विचारों के आधार पर ही आँका जा सकता है। मैं समझता हूँ, एक साधारण पाठक की दृष्टि में आदर्श समाचारपत्र वही है जो निष्पक्षता तथा निर्भीकता से सभी उचित बातों का समर्थन करे और प्रत्येक अनुचित कार्यवाही की निंदा करे। ऐसे देश में जहाँ विचार-स्वातंत्र्य की पूर्ण व्यवस्था है, समाचारपत्र ही अपने निष्पक्ष तथा वस्तुगत मूल्यांकन से जनता का पथप्रदर्शन कर सकते हैं। यह काम उतना ही आवश्यक है जितना जनसाधारण में संवादों का प्रसार करना।

भारत में समाचारपत्र उद्योग लगभग 100 वर्ष पुराना है। इस काल में पत्रों ने बहुत प्रगति की है और शक्ति तथा यश का उपार्जन किया है। किंतु जब हम भारतीय पत्रों की दूसरे प्रगतिशील देशों के पत्रों से तुलना करते हैं, तो हम बहुत-सी बातों में, विशेष कर प्रकाशन-संख्या की दृष्टि से अपने पत्रों को बहुत पिछड़ा हुआ पाते हैं। लघु प्रकाशन-संख्या का प्रमुख कारण हमारे देश में साक्षरता का भारी अभाव है। यह हर्ष का विषय है कि कुछ समय से पत्रों की प्रकाशन-संख्या बराबर बढ़ती जा रही है और देर-सवेर उसकी दूसरे देशों के पत्रों की प्रकाशन-संख्या से तुलना की जा सकेगी। यह कहना असंगत न होगा कि समाचारपत्र उद्योग दूसरे उद्योगों से कुछ भिन्न है। वास्तव में इस उद्योग और दूसरे उद्योगों में यदि कोई सामान्य बात है तो यही कि दोनों ही की गणना उद्योगों में होती है। इसके अतिरिक्त समाचारपत्रों और अन्य उद्योगों में बहुत कुछ भेद हैं। किसी भी उद्योग पर राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्र के लोगों के विचार, उनके लक्ष्य तथा महत्वाकांक्षाओं को व्यक्त करने का इतना भारी उत्तरदायित्व नहीं जितना समाचारपत्र उद्योग पर है। पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन संसार के सभी देशों में आरंभ में एक साधारण प्रचार कार्य के रूप में हुआ। उस समय यह कार्य आर्थिक लाभ से ऊपर था। धीरे-धीरे जैसे पत्रों के पाठकों तथा ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई और पत्र विज्ञापन का माध्यम माने जाने लगे।

प्रतिलेखन संख्या - 35

बहनो व भाइयो, ग्राम पंचायतों की तरह पंचायत समितियों व जिला परिषदों के सदस्य मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाएँगे । पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर [25] सभी पदों पर महिलाओं का एक-तिहाई आरक्षण सुनिश्चित किया गया अर्थात 33 प्रतिशत महिला पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख बन सकेंगे । अनुसूचित जाति व अनुसूचित [50] जनजाति के लिए भी जनसंख्या के प्रतिशत में पद आरक्षित रहेंगे । पिछड़ी जाति के हेतु भी राज्य सरकार ने आरक्षण किया है । [75] राज्य वित्त आयोग गठित होगा जो संसाधनों को देखकर पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार के करों की आय का हिस्सा दिलाने की सिफारिश करेगा । [100] राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1953 एवं पंचायत समिति व जिला परिषद अधिनियम, 1959 को समाहित कर तथा 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को ध्यान में [125] रखते हुए राजस्थान विधान सभा में नया पंचायती राज अधिनियम 9 अप्रैल, 1994 को पारित किया गया जो राज्यपाल महोदय के अनुमोदन के [150] पश्चात 23 अप्रैल, 1994 को राज्य में लागू हो गया । हमारे देश विशेषकर राजस्थान में पंचायती राज की आवश्यकता क्यों महसूस की गई ? यह [175] प्रश्न आज हमारे मन में कौंधता है । आज पंचायती राज इसलिए आवश्यक है कि इससे प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता बढ़ेगी । [200] इससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी । गाँव की आवश्यकता के अनुसार विकास योजनाएँ बनेंगी । योजनाओं का क्रियान्वयन सब लोगों के सामने होगा । [225] लोकतांत्रिक पद्धतियों में प्रशिक्षण पाने और जनतांत्रिक मूल्यों को ग्रहण करने का अवसर मिलेगा । ग्रामीणों का उत्तर-दायित्व बढ़ेगा तथा इससे भ्रष्टाचार में [250] कमी आएगी । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों की प्रभावकारी सहभागिता से राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक खाई पटेगी । विकास संबंधी निर्णयों में [275] महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तथा सामाजिक कुरीतियाँ मिटेंगी । लोगों में सहयोग और अपनत्व की भावना बढ़ेगी । इससे ग्रामीण जीवन सुंदर और सुखी बनेगा । [300] गाँव की समृद्धि - देश को गरिमा व शक्ति देगी और कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा ।

पंचायती राज संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों [325] का विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ें वर्गो आदि को उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व देने में विशेष ध्यान रखा है । [350] राज्य के पंचायती राज इतिहास में इस बार उपरोक्त वर्गों के जन-प्रतिनिधि अधिक मात्रा में निर्वाचित हो कर आए हैं । मैं इन सभी का स्वागत [375] करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इससे सभी वर्गों को समान रूप से इन संस्थाओं में भागीदारी मिलेगी, विशेषकर महिलाओं को । [400] जो लोग चुनकर आए हैं मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वे अपने गाँव, अपने मोहल्ले, अपने क्षेत्र के विकास के लिए [425] तन-मन-धन तथा पूरे मनोयोग से काम करें और अपने क्षेत्र की खुशहाली तथा उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहें । केंद्र सरकार पंचायतों के [450] उत्थान के लिए पूरी तरह से सभी राज्यों को यथाशक्ति मदद देगी । देश की लगभग तीन-चौथाई जनसंख्या गाँवों में रहती है, [475] जिनकी आय कम होने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि अन्य आवश्यक सुविधाएँ भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 36

बहनो व भाइयो, ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीणों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, कमजोर वर्गों और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का 525 विकास एवं गरीबी उन्मूलन भारत की विकास योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रहा है । हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण विकास हेतु जवाहर रोज़गार योजना, दस 550 लाख कुओं के निर्माण की योजना, सुनिश्चित रोज़गार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोज़गार प्रशिक्षण 575 योजना, ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औज़ार किट की आपूर्ति, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, राजीव 600 गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन तथा ग्रामीण स्वच्छता आदि कार्यक्रमों का कार्यान्वयन तेजी से किया जा रहा है । इन कार्यक्रमों के माध्यम से 625 गरीबों को रोज़गार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। हमारे ग्राम प्रधानों के लिए केंद्र सरकार ने हर गाँव में टेलीफोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था 650 की है, ताकि उन्हें राज्य के मुख्यालय तथा केंद्र सरकार के मुख्यालयों से संपर्क करने में कोई कठिनाई न हो । यदि कहीं यह सुविधा उपलब्ध 675 नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ यह सुविधा उपलब्ध हो जाए । केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों के माध्यम से सभी क्षेत्रों के विकास 700 के लिए 1 करोड़ रुपया मुहैया कराने का जो कार्यक्रम बनाया है उसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं और यह काम सभी 725 पंचायतों के जरिये से ही होना है । हम तो चाहते हैं कि शासन का केंद्रीकरण न होकर विकेंद्रीकरण हो । सरकार की सत्ता सभी लोगों 750 विशेषकर हमारी पंचायतों के हाथ में हो ।

हमारे प्रधानमंत्री जी गाँवों के उत्थान के लिए विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं । 775 उन्होंने अपने इस बजट में ग्राम विकास के लिए काफी अधिक धनराशि रखी है । आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 800 अभी हाल ही में कई योजनाओं की घोषणाएँ की हैं जो आरंभ भी हो चुकी हैं । जिसमें से एक है वृद्धावस्था पेंशन । इसके 825 तहत बुजुर्गों को 200 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। दूसरी योजना है, जिस परिवार के एकमात्र कमाने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु हो 850 जाती है तो उसे एक बीमा योजना के तहत 5 हजार रुपए तथा 10 हजार रुपये, जैसा भी मामला हो दिए जाते हैं । 875 प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर 5 हजार रुपये तथा दुर्घटना से हुई मृत्यु के मामले में 10 हजार रुपये सरकार देती है । एक योजना 900 हमने स्कूली बच्चों के लिए शुरू की है । हमने देखा है कि हमारे बच्चों का विकास पूर्णतया नहीं हो पाता है और बच्चों 925 से ही हमारे देश का भविष्य है । जिस देश के बच्चे कमज़ोर और कुपोषित होंगे उस देश की तरक्की स्वभावतः नहीं हो पाती है । अतः 950 हमने स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन देने की व्यवस्था की है । वैसे तो पंचायतों के माध्यम से हमने पहले से ही 975 कई योजनाएँ चलाई हुई हैं जैसे कि महिला समृद्धि योजना, इंदिरा आवास योजना, मातृत्व लाभ योजना के दौरान 300 रुपए दिए जाते हैं । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 37

महोदय, मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूँगा कि इस स्थिति का वास्तविक हल बेहोशी की दवा देकर नहीं किया जा सकता। इससे रोग के लक्षणों की उग्रता को तो कुछ समय के लिए भूला जा सकता है, पर अंततः तो रोग बढ़ ही जाता है। सभी जगह राजनीतिज्ञों की इस उलझन को मैं समझता हूँ जो बड़े उपायों पर सच्ची सहमति न होने के अभाव में तात्कालिक लाभ के उपायों को ही प्राथमिकता देने लगते हैं। इसलिए आज वास्तविक आवश्यकता इस बात की है कि लोगों और परिवारों को जल्दी से लाभ पहुँचाने के उपायों में और पूरे समाज को लाभ पहुँचाने वाले दीर्घकालीन उपायों के बीच सामंजस्य और तालमेल स्थापित किया जाए क्योंकि अप्रत्यक्ष ढंग से उन से भी लोगों और व्यक्तियों को लाभ पहुँचता है। इसलिए हमारा कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति, परिवार और समाज सभी के लिए उपयुक्त हो और माइक्रो स्तर पर तीनों तरफ चलने वाले हमारे प्रयास एक ओर मिल जाएँ। हमारी आठवीं योजना में इसी बात पर जोर दिया गया है। इस योजना में ग्रामीण विकास की राशि में भारी वृद्धि की गई है जो 11,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसमें जिन कार्यक्रमों को शामिल किया गया है, उनमें रोज़गार पैदा करना, रोज़गार का आश्वासन देना, समन्वित बाल विकास योजनाएँ, टीकाकरण शिक्षा और अन्य कई सामाजिक आवश्यकताएँ पूरी करने वाली योजनाएँ भी शामिल हैं। इस बात की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है कि समय-समय पर लोगों की जरूरतों और माँगों को देखते हुए उनमें हमेशा यथोचित सामंजस्य किया जाना चाहिए। तथापि केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होता कि योजनाएँ शुरू कर दी जाएँ। योजनाएँ शुरू करने के साथ-साथ यह भी जरूरी होता है कि लोगों को उन्हीं की भाषा में शिक्षित करने और समझाने के लिए एक व्यापक साधन और सतत अभियान चलाया जाए ताकि उनके समझने और देखने के ढंग में जो छिद्र या गलतफहमी है उसे दूर किया जाए क्योंकि प्रायः उसके कारण विभिन्न प्रकार के आंदोलन शुरू हो जाते हैं। इसलिए गाँवों में उन्हें समझाने के माध्यम में परिवर्तन करना अत्यधिक महत्व का है। और मुझे इस बात का निश्चय नहीं कि इस दिशा में हमने जो कुछ करना है, क्या वह हम कर चुके हैं।

प्रगति और वृद्धि की दर में तेजी लाने के मार्ग पर चलने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत होती है। यह जरूरी है कि सरकार प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर करे ताकि ऐसा वांछित वातावरण बन सके, उद्यम करने की भावना बढ़ सके, उसका विकास हो सके और वह पनप सके। हमने यही करने की चेष्टा की है। अब यह काम उद्यमियों का है कि पूँजी निवेश करके, उत्पादन बढ़ाकर तथा अधिक कुशलता लाकर ज्यादा रोज़गार पैदा करें और आय बढ़ाएँ। आय बढ़ने के साथ-साथ माँग बढ़ेगी और इस तरह उत्तरोत्तर वृद्धि का चक्र शुरू हो जाता है।

प्रतिलेखन संख्या - 138

महोदय, जरूरत इसीलिए सगुण और निर्गुण कविता को उसकी समग्रता में, भीतर तक थाहने और पहचानने की है । इसी क्रम में इन भक्तों [525] और संतों के अंतर्विरोध भी हमारे सामने आते हैं, उनकी शक्ति और सीमा हमारे सामने उद्घाटित होती है । अगली पंक्तियों में हमारा [550] लक्ष्य अंतर्विरोधों के बावजूद और उनके बीच से यह बताना होगा कि अपनी-अपनी जमीन, अपनी-अपनी शक्ति और सीमाओं के होते [575] हुए भी सामान्यतः अपने समय के लिए और हमारे समय के लिए भी भक्ति-कविता का, सगुण और निर्गुण भक्ति-कविता का महत्वपूर्ण सामाजिक [600] सांस्कृतिक महत्व है । भक्ति-काव्य की ये सामाजिक-सांस्कृतिक उपलब्धियाँ इन भक्तों और संतों के अपने-अपने समय और समाज से किए गए साक्षात्कार के [625] क्रम में, उनमें इनके द्वारा किए गए हस्तक्षेप के क्रम में और इनके अपने गहरे रचनात्मक आत्मसंघर्ष के क्रम में सामने [650] आई हैं । इन उपलब्धियों के पीछे गहरी और कठोर साधना का एक जीवंत इतिहास है, उसकी अपनी सफलताएँ, असफलताएँ, असंगतियाँ और अंतर्विरोध हैं । [675] कुल मिलाकर वे हमारी मूल्यवान विरासत हैं । आइए अपनी इस विरासत का हम खुले मन से जायजा लें ।

भक्तिकाल और भक्ति-काव्य [700] की चर्चा करने वाले सभी विद्वानों ने उस युग को सामाजिक और सांस्कृतिक संक्रांति का युग माना है । जिस युग में निर्गुण संत और सगुण [725] भक्तों की वाणी मुखर हुई और जिसे भक्ति-काव्य कहा जाता है उसका उद्भव संभव हुआ । इस संक्रांति का मुख्य कारण भारत के [750] सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में इस्लामी धर्म मत का आगमन और प्रसार था । इस बात को लेकर आचार्यों में भले ही मतभेद हो कि [775] भक्तिकाव्य के आविर्भाव के मूल में इस्लाम का क्या और कैसा प्रभाव है । जहाँ तक चले आ रहे भारतीय समाज का सवाल है [800] यह सब स्वीकार करते हैं कि इस्लाम के आगमन ने उसे एक गहरा धक्का दिया । विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में बँटे हुए विद्यमान भारतीय समाज को [825] एक व्यापक हिंदू धर्ममत के तले एकजुट होने के लिए विवश होना पड़ा । इस्लाम की ओर से आई सामाजिक-सांस्कृतिक चुनौती को इसी [850] प्रकार झेला जा सकता था और उसका प्रतिकार किया जा सकता था । विशृंखलित होती हुई समाज-व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया [875] और ऐसे रास्तों की खोज के प्रयास हुए जो भक्ति और अध्यात्म के संदर्भ में जनता के एक बड़े भाग को, बिना किसी भेदभाव [900] के आकर्षित करने और समेटने में सक्षम हों । सामाजिक स्तर पर भेदभाव विहीन सामाजिक संरचना का सवाल जटिल होने के नाते भले ही विचारणीय [925] न बन पाया हो, परंतु धर्म तथा भक्ति के अगुवा लोगों ने, आचार्यों और धर्माचार्यों ने कम से कम भक्ति के धरातल पर [950] मनुष्य और मनुष्य में भेद न करने की बात को जरूर उठाया और युग की अपनी विशेष स्थिति के संदर्भ में वे इस अभियान में [975] बहुत कुछ सफल भी हुए । उनकी इस सफलता को निर्गुण संतों की रचनाशीलता और सोच को परिलक्षित भी किया जा सकता है । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 39

सज्जनो और देवियो, विगत दो दशकों से मेरा संपर्क, जहाँ तक कार्यालयीन कार्यभार का प्रश्न है, देश के विभिन्न भागों में कार्यरत [25] स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं से रहा है । अतएव आज इस गौरवपूर्ण मंच से संस्थाओं और उनके इर्द-गिर्द की बातों पर अपने विचार केंद्रित करूँगा । [50] जहाँ हिंदी शिक्षण एवं परीक्षा संचालन हिंदी प्रचार-प्रसार के सर्वाधिक रचनात्मक कार्यक्रम हैं, वहीं हिंदीतर क्षेत्र में हिंदी के लिए अनुकूल वातावरण [75] निर्माण भी एक महत्वपूर्ण पहलू है । आज इन कार्यक्रमों के संचालन सहज सुगम नहीं रह गए बल्कि चुनौतीपूर्ण हो गए हैं । विद्यार्थियों की [100] योग्यता बढ़ाने के लिए शिक्षा एवं परीक्षा के अतिरिक्त हिंदी वक्तव्य, निबंध, वाद-विवाद के साथ-साथ नाटक-एकांकी प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं । [125] हिंदी शिक्षकों-प्रचारकों के लिए शिविर, पुनश्चर्या कार्य शिविर, पुरस्कार योजना जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अनुकूल वातावरण निर्माण के लिए जहाँ [150] इन कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी और परिणामी बनाने की आवश्यकता है वहीं अन्य प्रभावी कार्यक्रमों की परिकल्पना करनी होगी । हिंदी शिक्षण, परीक्षा संचालन [175] और वातावरण निर्माण इन तीनों के आनुपातिक और सफल आयोजन पर विद्यार्थियों का हिंदी ज्ञान अर्थात हिंदी बोलने, पढ़ने एवं लिखने की दक्षता का पूरा [200] दारोमदार टिका रहता है । आज जबकि बहुतेरे विद्यार्थी शिक्षक बनने की राह में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो हिंदी शिक्षक की योग्यता एवं [225] दक्षता ऐसे ध्यान देने का विषय हैं जो राज्य के इतने सारे हिंदी सीखने वाले विद्यार्थियों के स्तर के लिए निर्णायक पहलू है । यह [250] नकारा नहीं जा सकता कि किसी भी संस्था के लिए उनके प्रचारक ही आधारभूत परिसंपत्तियाँ होते हैं । प्रचारकों के सत्प्रयास एवं सुकार्य [275] से संस्था की जड़ें मजबूत होती हैं । वास्तव में हिंदी की प्रचार योजनाओं का सफल कार्यान्वयन सभी संबंधित पक्षों के प्रयास के समन्वय से [300] ही संभव है - संस्था के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, प्रचारकगण, विद्यार्थी और अंत में किंतु कदापि कम नहीं, सरकारी व्ययस्तता के तालमेल पर । [325] इन सबके कार्यों के उचित समन्वय का प्रयत्न स्वस्थ दृष्टि से निरंतर जारी रहना चाहिए, और यह भी ध्यान रहे कि जाने-अनजाने [350] दामन में दाग न लग जाए ।

भारत ग्रामों का देश है और अधिकांश भारतीय जनता ग्रामों में बसती है। नगरों और शहरों के नागरिकों [375] को शिक्षा की कई सुविधाएँ प्राप्त हैं, यों उन्हें हिंदी पढ़ने के यथेष्ठ अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। अब आवश्यकता इस बात [400] की है कि ग्रामवासियों को भी हिंदी सीखने के अधिक अवसर प्रदान किए जाएँ । हिंदी राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय गौरव की भाषा है । [425] यह राष्ट्रभाषा, राजभाषा घोषित तो हो चुकी है किंतु अब तक इसे अपना उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए [450] जब तक शासन और जनता दोनों ओर से समवेत प्रयास नहीं होगा, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी । राष्ट्रभाषा से ही किसी राष्ट्र की [475] भावात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति की जा सकती है। अपने देश की भाषा को छोड़ किसी अन्य विदेशी भाषा से इसकी प्राप्ति कदापि नहीं की जा सकती । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 40

महोदय, कुछ लोग आज यह कहते देखे गए हैं कि **राष्ट्रीय एकता अंग्रेजी** के **माध्यम** से हो सकती है । कई लोगों की धारणा है कि अंग्रेजी [525] निकाल दी जाए तो राष्ट्र **टुकड़े-टुकड़े** हो जाएगा, वैज्ञानिक प्रगति रुक जाएगी आदि । इससे **बढ़कर भ्रामक** विचार और कुछ भी नहीं हो [550] सकता। मैं अंग्रेजी की **उपादेयता** को नकार नहीं रहा, किंतु हर जगह उसका **वर्चस्व** हो यह स्वीकार्य नहीं हो सकता । किसी देश की भाषा [575] के साथ उस देश की संस्कृति, विचारधारा और **मान्याताएँ** जुड़ी रहती हैं, और उन्हें प्रकट करने के लिए उस देश की भाषा ही [600] **सर्वसक्षम** होती है। स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रीय **गौरव** आम जनता को दृष्टि में रख कर किया जाता था । राष्ट्रीय एकता का अर्थ [625] है करोड़ों **भारतीयों** की एकता और यह एकता हिंदी से ही लाई जा सकती है, अंग्रेजी से नहीं । अंग्रेजी को बनाए रखने की नीति [650] मानसिक दासता की द्योतक है यदि हिंदी और भारतीय भाषाओं के विरुद्ध अंग्रेजी **षडयंत्र** को विफल नहीं किया गया तो जनतंत्र एक मखौल [675] बनकर रह जाएगा। हिंदी और भारतीय भाषाएँ तो **सहोदराएँ** हैं । उनमें आपसी कोई विरोध नहीं । उनका विरोध और संघर्ष तो अंग्रेजी [700] के साथ है । जिस दिन **क्षेत्रीय भाषाएँ,** अपने क्षेत्र के प्रशासन, न्याय, शिक्षा आदि में स्थापित हो जाएँगी उसी दिन राष्ट्रीय स्तर पर **राष्ट्रभाषा,** [725] **राजभाषा** और **संपर्क भाषा** के रूप में हिंदी के स्थापित हो जाने का मार्ग **प्रशस्त** हो जाएगा। **स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएँ** अपने इस मूल उद्देश्य [750] को कभी भी **धूमिल** होने न दें क्योंकि हिंदी के **प्रचार-प्रसार** के क्षेत्र में वे **सर्वाधिक** महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं। **इस दृष्टि से** मैसूर [775] **हिंदी प्रचार परिषद** का यह कार्यक्रम **श्लाघनीय** है कि वह हिंदी के साथ **कन्नड़ेतर जिज्ञासुओं** के लिए कन्नड़ की प्रारंभिक और उच्च कक्षाएँ [800] एवं परीक्षाएँ चला रही हैं । अपनी **दैनंदिनी** में भी हिंदी के साथ-साथ कन्नड़ में दिन और तिथियाँ दी हैं। इस तरह के [825] छोटे किंतु दिन-दिन के व्यवहार में राष्ट्रभाषा और क्षेत्रीय भाषा साथ-साथ **गलबहियाँ** डालकर चलें, इससे बढ़कर सुखद स्थिति [850] और क्या हो सकती है ।

और प्रिय **स्नातको,** आज का दिन आपका है, और कल का दिन भी आपका ही होगा । विगत [875] महीनों और वर्षों में आपने कठिन परिश्रम कर हिंदी रत्न अथवा हिंदी प्रशिक्षण की **परीक्षाएँ** दी हैं, उत्तीर्ण हुए हैं । आपकी दीक्षा पूरी [900] हो चुकी है । अब आप समाज और राष्ट्र की सेवा में **समर्पित** हो जाइए । भारतीय भाषा, संस्कृति, उनकी रक्षा, उनका **संवर्धन** आपके [925] हाथों सौंप दिया गया है । आप दायित्व का निर्वाह कर सकें, जीवन में सफलता पाएँ, यही **शुभकामना** है । जिन्होंने हिंदी प्रवेश, हिंदी [950] **उत्तमा** की परीक्षाएँ **उत्तीर्ण** की हैं वे और आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे **यही आशा है** । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं की विभिन्न [975] परीक्षाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अंत में, इस गौरवपूर्ण समारोह में आपने मुझे **आमंत्रित** किया उसके लिए पुनः धन्यवाद देता हूँ । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 41

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मुझे खुशी है कि कृषि मंत्री एक क्रांतिकारी बिल लाए हैं, लेकिन दुख है [25] कि जैसा बिल लाया जाना चाहिए था, वह अभी तक नहीं आया है। मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने बड़ी हिम्मत से यह बिल [50] पेश किया है परंतु कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया है। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि जब तक वनों [75] को हम बचा कर नहीं रखेंगे और जमीन पर कब्जा करने की लोगों की जो भूख है, उसको नहीं रोकेंगे, तब तक हम वनों [100] को नहीं बढ़ा सकेंगे।

देश की जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, वह है बेरोज़गारी। उसे यही एक विभाग है जो सब से [125] ज्यादा दूर करता है। आदिवासी लोगों को, गरीब और पिछड़े लोगों को वनों से ही रोज़गार मिलता है। काफी ऐसे लोग हैं जो 6 महीने [150] वनों से ही फल-फूल द्वारा भोजन करते हैं। मैं इस विषय में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मेरा क्षेत्र अंडमान निकोबार [175] है, जो बहुत हरा-भरा है। वहाँ काफी जंगल हैं लेकिन उनको काटा जा रहा है। अगर इसको सही ढंग से रोकेंगे नहीं [200] तो एक दिन ऐसा आएगा जब वर्षा भी वहाँ नहीं होगी। मैंने प्रधानमंत्री जी को इस विषय में जुलाई मास में एक पत्र [225] लिखा था। उसमें मैंने कहा था कि हमारे यहाँ जंगलों की कुछ व्यवस्था की जाए। इसके बाद एक समिति बनी, जिसको [250] वहाँ जा कर सारी चीजों को देखना था। उसकी सिफारिश के अनुसार वहाँ काम होना था। इस समिति को बने हुए छह-सात महीने [275] हो गए हैं, लेकिन यह समिति आज तक वहाँ नहीं जा सकी है। झगड़ा क्या है ? झगड़ा यह है कि कनिष्ठ अधिकारी को इस समिति [300] का अध्यक्ष बना दिया गया है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वे कहते हैं कि हम इसके नीचे कैसे काम करेंगे, उनके साथ कैसे [325] जाएँगे। इस वास्ते यह जो चीज़ है, इसकी तरफ आपका ध्यान जल्दी से जल्दी जाना चाहिए और आपको इसको देखना चाहिए। [350]

हमारी जो अर्थ नीति है वह वनों पर आधारित है। जो गरीब लोग हैं, उनका गुजारा इन वनों से ही चलता है। जो इमारतें [375] हैं, वे लकड़ी की ही बनती हैं। ईंटें वहाँ नहीं बनती हैं, सीमेंट का वहाँ कोई कारखाना नहीं है। इधर से ही वहाँ सीमेंट जाता [400] है। उससे सरकारी काम भी पूरा नहीं हो पाता है तो वह लोगों को कैसे मिल सकता है। आज सारे देश में एक चर्चा, [425] चल रही है कि अंडमान में बहुत टिम्बर है। असम से टिम्बर नहीं आता है। चूँकि वहीं से आ सकता है, इस वास्ते वहाँ पर [450] भी इसका भाव बहुत ऊँचा हो गया है और वह असम से टिम्बर न आने की वजह से हुआ है। लकड़ी के दाम आज [475] इतने अधिक बढ़ चुके हैं कि बेचारे गरीब लोगों को तो अपने घर बनाने में भी बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 42

सभापति महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूँगा। मैं केवल एक दो बातों की ओर वित्त मंत्री और सरकार का ध्यान खींचना चाहता [525] हूँ। आज बिजली के मामले में राजस्थान की हालत बहुत नाजुक है। खास तौर से पिछले पाँच-सात दिनों से गाँव में परेशानी बहुत बढ़ [550] गई है। मैंने देखा है कि कई जिलों में पिछले कई दिनों से बिजली नहीं है। नतीजा यह हुआ है कि जो फसल बोई [575] गई है उसको पानी नहीं मिल पाया है। वहाँ पहले से ही अकाल की स्थिति है। बिजली ठीक तरह से न मिलने के कारण [600] किसानों की फसल बरबाद हो रही है। इसलिए बिजली को और अधिक फैलाने की बात को छोड़कर सरकार उसकी पूर्ति को नियमित [625] करे।

उधर से जो माननीय सदस्य बोलते हैं, वे बातें करीब-करीब वही करते हैं, जो हम कर रहे हैं। दोनों में कोई फर्क [650] नहीं है। वे भी कहते हैं कि मँहगाई है, बेकारी है और हालत खराब है। सरकार की तरफ से भी हरेक वक्तव्य को इसी [675] वाक्य से शुरू किया जाता है कि उसे विरासत में खराब हालत मिली है, जिसे सुधारने में समय लगेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि [700] सरकार एक अवधि निर्धारित कर दे कि वह कब इस पहले वाक्य को बोलना छोड़ देगी। हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे। वह हमको [725] भाषण लिखकर दे दे और बता दे कि हम क्या करेंगे। हम वैसे ही इस सदन में और बाहर जनता के सामने बोलेंगे। लेकिन [750] वह देश की हालत को सुधारे। आज चारों तरफ हालत बिगड़ रही है। आज गाँवों में कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार हम लोगों को कब तक [775] दोष देती रहेगी ? अगर हालत न सुधरी तो ये लोग भी डूबेंगे, हम लोग भी डूबेंगे और लोकतंत्र भी डूबेगा। आज गाँवों में [800] हालत बहुत खतरनाक ढंग से बिगड़ रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ यह बात कह रहा हूँ। आखिर सरकार का और [825] हमारा काम एक ही है। कुछ लोग उधर बैठे हैं और हम इधर बैठे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

हालत सब तरफ [850] से खराब है। बिजली खराब है, कोयला खराब है, तेल नहीं मिल रहा है। किसानों के काम सब तरफ से रुके हुए हैं। गाँवों के [875] अंदर इतनी महँगाई बढ़ रही है कि गरीबों के प्राण निकल रहे हैं और आगे यह महँगाई जोर से बढ़ेगी। गेहूँ का उत्पादन कम हो [900] गया है। भाव अभी ऊँचे हो रहे हैं, आगे और भी ऊँचे होंगे। आगे आप फिर कहेंगे कि आयात के बिल बढ़ रहे हैं, पैट्रोल [925] और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तो आप मुसीबत में फँस गए हैं। आप मुसीबत में फँसते हैं तो हमें भी खुशी नहीं होती [950] है। इसीलिए आप गंभीरता से सोचें कुछ हमसे सहायता लेना चाहते हैं तो लें, जिस तरह से भी लेना चाहते हैं लें। आप [975] जैसा कहेंगे वैसा ही हम जनता से जाकर बोलेंगे। अंत में, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप राजस्थान के लिए जरूर कुछ करें। [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 43

महोदय, हमारे जीवन में संगीत का व्यापक स्थान है। भारतवासियों को अपने प्राचीन युग से अथवा अपने पूर्वजों से शास्त्रीय संगीत के रूप में एक [25] बहुमूल्य निधि मिली है । हमारे पूर्वजों की दृष्टि में संगीत का ध्येय आध्यात्मिक साधना था और उन्होंने संगीत का इसी आदर्श के अनुकूल [50] विकास किया । हम कह सकते हैं कि हमारे देश में यह कला पूर्णता के शिखर पर पहुँच चुकी थी । संगीत के ध्येय के संबंध में [75] आज हमारे विचार चाहे कुछ भी हों, यह सभी स्वीकार करेंगे कि इसमें सामंजस्य की ओर ले जाने वाली और व्यक्त जगत से ऐक्य का [100] आभास कराने वाली शक्ति निहित है । संगीत के वातावरण में ही नहीं बल्कि श्रोताओं और गायकों के मन में भी सामंजस्य की उत्पत्ति होती है । [125] संगीत के उच्च ध्येय और व्यापक प्रभाव के कारण ही प्राचीनकाल में भारतवासियों ने संगीत को जनसाधारण के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में [150] ऊँचा स्थान दिया था। शायद ही कोई ऐसा भारतीय त्यौहार या उत्सव हो जिसमें संगीत का आयोजन न होता हो । संगीत जन्म से मृत्युपर्यंत [175] हमारे साथ रहता है । हमारे सभी रीति-रिवाज़ों में इसका कुछ-न-कुछ स्थान है । शताब्दियों से हम संगीत के प्रशंसक तथा उपासक रहे [200] हैं और हमने इसकी गणना सदा मानव की उच्चतम साधनाओं में की है।

काल के प्रभाव से हम लोगों की रुचि में [225] काफी परिवर्तन हुआ, परंतु शास्त्रीय संगीत उसी प्रकार बना रहा और उसमें कोई विशेष और मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। मुसलमान बादशाहों और अमीर-उमरों के [250] द्वारा संगीत को केवल प्रोत्साहन ही नहीं मिला, इसमें समयानुकूल हेर-फेर भी हुए और आज विशेषकर उत्तर भारत के संगीत ने उसी [275] युग से प्रभावित और बहुत अंशों में अनुप्राणित होकर अपना नया रूप ग्रहण कर लिया है । पर जो भी हेर-फेर हुए, वे हैं ऊपरी [300] पोषाक मात्र ही । भारतीय संगीत शरीर और आत्मा से अभी भी वही प्राचीन शास्त्रीय संगीत बना हुआ है । ऐसी आशा की जाती है कि इसमें [325] अभी भी इतनी शक्ति है कि यह अपने को एक बार फिर आधुनिक वातावरण के अनुकूल बना लेगा । प्राचीन संगीत-कला भारतीय रजवाड़ों के दरबारों [350] में उनके आश्रय से पनपती रही । यह स्वीकार करना होगा कि भारतीय नरेशों द्वारा दिए गए प्रश्रय के कारण संगीत लुप्त होने से बच [375] गया, परंतु यह भी मानना पड़ेगा कि इन वर्षों में भारत की जनता का शास्त्रीय संगीत से बहुत कम संपर्क रहा । अतः जनता और हमारे [400] परंपरागत सर्वश्रेष्ठ संगीत के बीच एक खाई पैदा हो गई । यदि हमें संगीत को जीवित रखना है और सहस्रों वर्ष पुरानी इस अमूल्य परंपरा [425] की रक्षा करनी है तो हमें इस खाई को पाटना होगा । यदि यह आवश्यक हो तो शास्त्रीय संगीत में ऐसे संशोधन करने में कोई [450] बुराई नहीं जिनके फलस्वरूप यह लोकप्रिय बन सके । इसके साथ ही जनसाधारण को भी शिक्षित करने की आवश्यकता है जिससे [475] उनकी रुचि अधिक परिष्कृत हो सके और वे शास्त्रीय संगीत का आनंद उठा सकें। भारत गणराज्य में नरेशों अथवा रजवाड़ो का अच्छा स्थान है । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 44

महोदय, आधुनिक युग की एक बड़ी देन यह है कि हम किसी भी चीज की बहुत प्रतियाँ बना सकते है । प्राचीनकाल में यदि कोई [525] पुस्तक लिखता था तो ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति एक ही होती थी। उसकी यदि प्रतियाँ बनानी हुईं तो दूसरे आदमी को पूरा ग्रंथ [550] लिखना पड़ता था, जो बहुत ही व्ययसाध्य और श्रमसाध्य काम होता था । आज किसी ग्रंथ या वस्तु की प्रतियाँ केवल मुद्रणालय में ही नहीं बल्कि [575] अन्य प्रकार से भी बन सकती हैं । एक का अनेक बना देना आज एक खेल-सा हो गया है। यदि किसी अच्छे नाटककार ने [600] मंच पर अच्छा खेल दिखलाया तो उसकी बड़ी ख्याति हुआ करती थी, पर वह नाटककार एक ही स्थान पर अपना खेल दिखला [625] सकता था और यह भी नहीं कहा जा सकता कि एक ही खेल को यदि वह फिर से दिखलाना चाहे तो उसे उतनी ही कुशलता [650] से दिखला सकेगा जितनी कुशलता से उसने पहली बार दिखलाया था । आज केवल यही नहीं कि नाटककार के चित्र की प्रतियाँ बहुत बन सकती [675] हैं, बल्कि उसके चलचित्र की प्रतियाँ बनती हैं और साथ-साथ उसकी वाणी भी सुनने में आ सकती है और वह केवल [700] एक स्थान पर ही नहीं बल्कि संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक जहाँ चाहें, सभी स्थानों पर और जितनी बार चाहें सुन सकते [725] हैं और देख सकते हैं । इसी का नाम साधारणतः फिल्म हो गया है।

फिल्म में बड़ी शक्ति है । यदि अच्छे पात्र, अच्छे कथानक और [750] अच्छा आदर्श दिखलाया जाए तो उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ता है जैसे किसी भी अच्छे नाटक का । पर वहाँ भी यदि कथानक दूषित [775] हो, पात्र चरित्रवान न हों और गतिविधि उनकी ऐसी हो जो समाज अथवा व्यक्ति को ऊपर उठाने के बदले नीचे ले जाने वाली [800] हो, तो उसका प्रभाव उतना ही बुरा पड़ता है । नाटक तो एक आदमी एक स्थान पर करके उसका भला या बुरा प्रभाव [825] वहाँ बैठे हुए लोगों पर ही डाल सकता है, दूर-दूर के लोगों तक उसका प्रभाव नहीं पहुँच सकता । पर फिल्मों में भला या [850] बुरा करने की शक्ति कई गुनी अधिक हो जाती है । किसी फिल्म की जितनी प्रतियाँ बना ली जाती हैं, उतना ही उसका प्रभाव भी [875] असीमित हो सकता है । इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि जिस चीज में इतनी शक्ति हो, उसका उपयोग इस प्रकार से किया [900] जाए कि उससे अच्छे से अच्छा फल मिले और उसमें किसी प्रकार की बुराई न आने पाए । आज सिनेमा का उपयोग तीन कामों में [925] होता है - शिक्षा, मनबहलाव और प्रचार । ये तीनों काम जीवन में महत्वपूर्ण हैं । सिनेमा का उपयोग शिक्षा के काम में जितना बढ़ेगा, उतना ही [950] हो सकता है, पर शर्त यह है कि कथानक शिक्षाप्रद हो और जो पद्धति अपनाई जाए वह ऐसी हो जिसके द्वारा शिक्षार्थियों [975] को सच्ची शिक्षा मिल सके। जब मैं शिक्षा शब्द का उपयोग करता हूँ, तो मेरे ध्यान में केवल बच्चों की ही शिक्षा नहीं है । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 45

महोदय, हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने शब्दों का उनके भिन्न देश अथवा भाषा में उद्‌गम होने के कारण बहिष्कार नहीं [25] किया । सच पूछिए तो सभी जीती-जागती भाषाओं का यह एक गुण है कि वे अपने शब्द-भंडार को बढ़ाने में हिचकती नहीं चाहे [50] शब्द किसी भी उद्‌गम के हों । उन पर अन्य भाषाओं का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता क्योंकि सभी जीती-जागती भाषाओं में आदान-प्रदान [75] होता ही रहता है । इसलिए जब हम हिंदी को भारत के लिए एक सार्वभौम भाषा बनाना चाहते हैं तो प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों और [100] मुहावरों के लिए भी द्‌वार खुला रखना चाहिए । मैंनें ऐसे कई लोगों के लेख देखे हैं जो हिंदी-भाषी नहीं हैं और जिन्होंने हिंदी [125] का अभ्यास राष्ट्रीय कामों के लिए ही किया है । उनके लेखों में कुछ ऐसे शब्द और मुहावरे देखने में आए हैं जो अर्थ तो [150] स्पष्ट कर देते हैं पर आधुनिक हिंदी में प्रचलित नहीं हैं। अन्य भाषा-भाषी ऐसे शब्दों और मुहावरों को अक्सर व्यवहार में लाया करेंगे और [175] हम हिंदी-भाषियों को उनका स्वागत करना चाहिए न कि बहिष्कार । हिंदी सच्चे अर्थ में राष्ट्रभाषा तभी होगी जब भारत के सभी निवासी [200] इसके साथ प्रेम करने लगेंगे और इसकी उन्नति में अपना गौरव मानने लगेंगे । यह भावना तभी उत्पन्न और परिपुष्ट हो सकती है जब [225] वे यह समझने लगें कि हिंदी में कुछ उनकी भी अपनी देन है और हिंदी पर उनका भी कुछ अधिकार है । मैं समझता [250] हूँ कि हमें इस भावना का स्वागत करना चाहिए और इससे डरना नहीं चाहिए । मैं तो यह भी मानता हूँ कि कहीं-कहीं [275] हमारे व्याकरण पर भी अहिंदी-भाषियों का प्रभाव पड़ेगा और हमको उससे भी नहीं डरना चाहिए ।

इसलिए मैं चाहता हूँ कि हिंदी-भाषी [300] और हिंदी संस्थाएँ निस्पृह भाव से हिंदी की श्रीवृद्‌धि में लग जाएँ जिससे अन्य भाषा-भाषी भी उसके विभिन्न प्रकार के साहित्य [325] से परिचय पाने के लिए उसे सीखना आवश्यक समझें जिस प्रकार आज कोई भी विद्‌वान आधुनिक विज्ञान से परिचय प्राप्त करने के लिए यूरोपीय भाषाओं [350] का अध्ययन करना आवश्यक समझता है । यदि केवल काव्य अथवा ललित कला संबंधी ग्रंथ ही यूरोपीय भाषाओं में होते तो हमको उन भाषाओं को [375] सीखने की शायद आवश्यकता भी न होती, पर विज्ञान से परिचय प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं का जानना अनिवार्य हो गया है । [400] उसी प्रकार हिंदी भी इतनी समृद्‌ध होनी चाहिए कि आधुनिक विद्‌याओं को प्राप्त करने के लिए उसका जानना केवल पर्याप्त ही नहीं, आवश्यक भी [425] हो जाए तथा इस भाषा में मौलिक ग्रंथ भी लिखे जाएँ जिनको पढ़ने के लिए अहिंदी-भाषियों के लिए हिंदी सीखना आवश्यक हो जाए । [450] जितनी बड़ी संख्या हिंदी जानने वालों की है, उतनी बड़ी संख्या संसार की दो-तीन भाषाओं के बोलने वालों की है । इसलिए यदि इतने [475] लोगों में यह भावना उत्पन्न हो जाए कि वे हिंदी को संसार की भाषाओं में समुचित स्थान उपलब्ध कराना चाहते हैं तो हिंदी का गौरव बढ़ेगा । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 46

आदरणीय महोदय, हिंदी के लिए यह अवश्य ही गौरव का विषय है कि उसे भारतीय संविधान ने अखिल भारतीय भाषा का स्थान दिया है । इससे हिंदी-भाषियों और हिंदी से संबंध रखने वाली सभी संस्थाओं का दायित्व बहुत बढ़ गया है । संविधान में हिंदी को यह ऊँचा स्थान दिए जाने का विशेष कारण यह था कि इसके जानने और बोलने वालों की संख्या भारत की दूसरी भाषाओं के जानने वालों से कहीं अधिक है । उन भाषाओं का भी अपना गौरवपूर्ण साहित्य है और उनके बोलने वाले अपनी भाषाओं के साथ प्रेम रखते हैं और उन पर गर्व करते हैं । इसलिए सभी ने हिंदी को जब वह स्थान दिया है, तो यह समझ कर नहीं कि उनकी अपनी भाषा किसी बात में कम है पर यह समझ कर कि राष्ट्रीय काम के लिए हिंदी का ही प्रचार और प्रसार सुगम और सुलभ होगा । हिंदी को अखिल भारतीय कामों के लिए प्रधानता देते हुए प्रादेशिक भाषाओं को यहाँ के कामों के लिए प्रधानता दी गई है । इसलिए यह अनिवार्य है कि जहाँ हिंदी का प्रचार हो, वहाँ प्रादेशिक कामों के लिए स्थानीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया जाए और वे अपने सीमित क्षेत्र में अपना काम सुचारू रूप से करें । शायद यह कहना भी अनुचित न होगा कि हिंदी-भाषी राज्यों में तो हिंदी का वही स्थान होगा जो किसी भी प्रादेशिक भाषा का उसके अपने राज्य में, पर अन्य भाषा-भाषी राज्यों में सीमित काम और अखिल भारतीय क्षेत्र में प्रायः सभी काम हिंदी द्वारा किए जाएँगे ।

हिंदी-भाषियों का प्रयत्न यह होना चाहिए कि अहिंदी-भाषियों ने जिस सद्भावना से हिंदी को राष्ट्रीय कामों के लिए स्थान दिया है, उसी सद्भावना के साथ वे हिंदी के प्रचार में तत्पर हों। हिंदी को किसी भी प्रादेशिक भाषा से होड़ नहीं है । सच पूछिए तो हिंदी-भाषियों को अन्य प्रादेशिक भाषाओं का पोषक और समर्थक होना चाहिए जिस प्रकार अहिंदी-भाषी हिंदी के पोषक और समर्थक होना चाहते हैं । हिंदी-भाषियों के व्यवहार और आचरण से यदि कहीं भूल से भी यह आभासित हुआ कि हिंदी अन्य सभी भाषाओं से अधिक समृद्ध, अधिक परिपुष्ट साहित्य वाली या प्राचीन तथा नवीन विचारों और भावों को व्यक्त करने में अधिक शक्तिशाली भाषा है और इसलिए इसको अधिकार है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कामों के लिए यह राष्ट्रभाषा मानी जाए, तो इसका फल यह होगा कि अन्य भाषा-भाषी हिंदी के प्रति ईर्ष्या करने लगेंगे और जो संविधान चाहता है, वह काम पूरा नहीं हो सकेगा और हिंदी उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सकेगी जो संविधान ने उसे देने का निश्चय किया है । दूसरे शब्दों में हमें हिंदी का प्रचार नम्रतापूर्वक करना चाहिए । मुझे यह कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि इस दिशा में नागरी प्रचारिणी सभा का दृष्टिकोण सदा से व्यापक और उदार रहा है। सभा के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने सदा ही अन्य भारतीय भाषाओं का समुचित आदर किया । यह सभा की परंपराओं के अनुकूल ही है कि हीरक जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रकाशन योजना बनाई गई है ।

प्रतिलेखन संख्या - 47

महोदय, इस उपग्रह पर मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि ऐसे विकास कार्यों को जारी रखा जाए [25] जो सामाजिक न्याय पर आधारित हों और जिन्हें न्यायपालिका का समर्थन प्राप्त हो अन्यथा पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण न तो पीने के लिए साफ [50] पानी मिलेगा और न साँस लेने के लिए शुद्ध वायु और न ही आश्रय देने वाले वृक्ष ही रहेंगे । इक्कीसवीं सदी में संपूर्ण संसार मात्र [75] श्मशान भूमि तथा उद्योगों की छीजन और रेडियोधर्मी कचरे की कूड़ेदानी बनकर रह जाएगा । लोभी मानव को सोने का अंडा देने [100] वाली मुर्गी को नहीं मारना चाहिए । वायु, जल, वनस्पतियाँ और पशु-पक्षी मनुष्य जाति के अस्तित्व के अभिन्न अंग हैं जिन पर उसका [125] भविष्य निर्भर करता है । सार्वभौमिक न्याय का यही मूल तत्व है जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का रूप दिया जाना चाहिए । कुछ विशेष अपवादों [150] को छोड़कर हमारे न्यायालय समझते हैं कि पर्यावरण संबंधी कानून से न्याय व्यवस्था भंग हो जाएगी और कानूनी अधिकारों का हनन होगा क्योंकि [175] हमारे विधिवेत्ता और न्याय प्रणाली कानून के इन नए आयामों से अपरिचित ही नहीं अनभिज्ञ भी हैं । यह अधिनियम काफी व्यापक है और इसमें विभिन्न [200] प्रकार के जल स्रोतों को शामिल किया गया है । अधिनियम में केंद्रीय और राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडलों की स्थापना का प्रावधान किया [225] गया है, जो स्वायत्त निकायों के रूप में कार्य करेंगे । अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए स्थापित इन मंडलों के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं प्रदूषण मानक [250] निर्धारित करना तथा उद्योगों के कचरे और वाहित-मल को नदियों में बहाने के लिए स्वीकृति प्रदान करना । केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल, केंद्र सरकार और [275] राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण मंडल राज्य सरकारों के लिखित निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे । राज्य में प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा निर्धारित [300] मानकों का अतिक्रमण और सहमति की शर्तों का उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड देने का प्रावधान किया गया है तथापि इस अधिनियम के अधीन [325] प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा शिकायत किए जाने पर या उसकी पूर्वानुमति से ही किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध पर विचार किया जा [350] सकता है । अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी कार्य से जल प्रदूषण की आशंका हो तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल [375] द्वारा उसे रोकने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। इस अधिनियम के द्वारा पानी के नमूने लेने, जाँच और मुआयना करने [400] के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडलों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं ।

केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जल प्रयोगशाला और राज्यों में राज्यस्तरीय जल प्रयोगशालाओं [425] की स्थापना और विशेषज्ञों की नियुक्ति का भी प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है । वाहित-मल और उद्योगों के कचरे से होने वाले [450] जल प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक उपाय स्वयं करने का अधिकार भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडलों को दिया गया है । यह अधिनिमय लगभग [475] ब्रिटिश अधिनियम की नकल है और प्रदूषण फैलाने वाले या उससे प्रभावित समुदाय दोनों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 48

महोदय, विधिवेत्ताओं ने इस अधिनियम की कमियों को बताया और कुछ मायनों में ब्रिटिश कानून से भिन्न होने के कारण यह उतना शक्तिशाली नहीं [525] रहा। भारत में प्रदूषण निवारण के लिए अनेक प्राधिकरण और अधिकारी, अनेक प्रकार के नियंत्रण और अलग-अलग कानून एक समस्या है जिससे [550] कानून कमजोर पड़ जाता है और उसका प्रभाव कम हो जाता है । इसके अलावा, जो लोग प्रदूषण के शिकार होते हैं वे [575] प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्वीकृति के बिना सीधे न्यायालय में नहीं जा सकते । इससे जनता कानून से विमुख हो जाती है । अधिनियम की खामियों [600] के कारण हाल ही में केरल उच्च न्यायालय द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मंडल का मुकदमा खारिज कर दिया गया । जल अधिनियम, 1974 के अनुरूप [625] वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 तैयार किया गया । खेद है कि अधिनियम का प्रारूप तैयार करने वालों और विधायकों ने इसके [650] लिए समाजवादी राष्ट्रों के व्यापक पर्यावरणीय कानूनों की सहायता नहीं ली । यह बड़े हर्ष का विषय है कि वर्तमान कानूनों की कमियों को देखते [675] हुए संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम, 1986 का 29वाँ अधिनियम पारित किया गया । यह अधिनियम काफी व्यापक है और इसका क्षेत्र भी [700] विस्तृत है तथा इसके अधीन भारत सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और किसी भी प्रकार के प्रदूषण को कम करने के लिए [725] काफी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसमें जल, वायु आदि के मानक निर्दिष्ट करने और उद्योगों की स्थापना तथा खतरनाक पदार्थों के रख-रखाव के [750] संबंध में प्रतिबंध लगाने में सावधानी बरती गई है ।

पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होने वाली दुर्घटना से बचने और उद्योगों की चिमनियों से निकलने [775] वाले प्रदूषणकारी तत्वों पर नियंत्रण के लिए अन्य उपाय करना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है । इसके अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशालाएँ स्थापित की [800] जा सकती हैं और विश्लेषक नियुक्त किए जा सकते हैं । दोषी निगमित क्षेत्र और सरकार के विभागों को भी दंड दिया जा सकता है । [825] यद्यपि यह कानून काफी साहसिक कदम समझा जा सकता है लेकिन संकट के समय निष्प्रभाव साबित हो सकता है । इन नए कानूनों में भयंकर [850] दोष रह गए हैं । आश्चर्य है कि ध्वनि प्रदूषण जैसे विषय को छोड़ दिया गया । यद्यपि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हाल ही में [875] इस संबंध में संशोधन किया गया है जिसे अभी लागू किया जाना है । जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित नहीं किया जाता और अफसरशाही पर अत्यधिक [900] भरोसा किया जाता है । कारबार की स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध लगाए गए हैं और पर्यावरण सुरक्षा के कारण खतरनाक उद्योगों को नियंत्रित या मनाही की [925] जा सकती है । संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार के अधीन प्रदूषक उद्योगों पर लगाए गए सारे प्रतिबंध वैध हैं । [950] बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा को नष्ट होने या क्षति से बचाने के लिए अनुच्छेद 39 के अधीन राज्य द्वारा औद्योगिक और कृषि कार्यों पर [975] प्रतिबंध लगाया जा सकता है । अनुच्छेद 39 (ख) के अधीन भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण ताकि उनका सामान्य हित में सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 49

महोदय, बहुत पहले से ही महिलाओं को अपने अधीन रखकर पुरुष प्रधान भारतीय समाज ने उनके विकास के द्वार बंद कर रखे है । [25] प्राचीन भारत में सामाजिक और राजनैतिक बदलाव के साथ-साथ महिलाओं की स्थिति में भी बदलाव आता रहा है । कभी तो यह माना गया [50] कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमते हैं तो कभी उसे ताड़ना का पात्र बताया गया । इतिहास के एक बड़े काल-खंड [75] में उसे चारदीवारी और परदे के अंदर रखा गया। इसके बावजूद जब भी नारी को परदे से बाहर आकर दुनिया को [100] देखने व समझने का अवसर दिया गया उसने अपनी क्षमता, योग्यता और प्रतिभा का भरपूर प्रदर्शन किया ।

भारत को स्वतंत्र हुए पाँच दशक पूरे [125] होने जा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद महिलाओं के विकास के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं, परंतु मात्र नियम-कानून [150] बना देने से किसी व्यक्ति या वर्ग में परिवर्तन नहीं आते, इसके लिए व्यवहार और अमल की भी आवश्यकता है, किंतु भारतीय महिलाओं के [175] लिए इसका प्रयोग नहीं किया गया । यूँ तो प्रथम योजना काल से ही महिला विकास के छिटपुट प्रयास आरंभ हो गए थे [200] परंतु हकीकत में सर्वप्रथम छठी योजना के दस्तावेज में महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक विकास का अध्याय जोड़ा गया । इसके बाद से [225] महिला विकास की योजनाएँ निरंतर क्रियाशील रहीं फिर भी भारतीय महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित परिवर्तन नहीं लाया जा सका है ।

जब भारतीय महिलाओं की तुलना [250] दूसरे देशों की महिलाओं से की जाती है तो हमें बड़े दिलचस्प तथ्यों से साक्षात्कार करना पड़ता है, और हम तभी जान [275] पाते हैं कि भारतीय महिलाओं की वास्तविक स्थिति क्या है, यानी बेहद चिंताजनक और दुरूह । क्योंकि एक अध्ययन से ज्ञात हुआ कि दुनिया के [300] 130 देशों में भारतीय महिलाएँ 99वें स्थान पर हैं । शायद इसका कारण है भारतीय महिलाओं के विकास के मार्ग में अनेक बाधाएँ । [325] जैसे, शिक्षा के अवसर उपलब्ध न होना इससे उसका स्वाभिमान, उसकी चिंतन-शक्ति और उसकी जिजीविषा का विकास अवरुद्ध हो गया । [350] इसका प्रमाण है, स्वतंत्रता के बाद 48 वर्षों तक कभी शिक्षा में महिलाओं को पुरुषों के बराबर न ला पाना । जबकि दूसरे [375] देशों ने महिलाओं को शिक्षित बनाने में अधिक जोर दिया । हाल ही में नई दिल्ली स्थित भारतीय विश्वविद्यालय संगठन, द्वारा प्रकाशित आँकड़े बताते हैं [400] कि हमारे देश की 15 वर्ष से अधिक आयु वाली 34 प्रतिशत महिलाएँ ही शिक्षा प्राप्त कर सकी हैं जबकि इस्राइल, स्पेन, [425] इटली व हंगरी की 89 से 94 प्रतिशत, श्रीलंका की 85 प्रतिशत, चीन की 68 प्रतिशत, ईरान की 52 प्रतिशत तथा पाकिस्तान की 14 प्रतिशत [450] महिलाएँ शिक्षित हैं ।

शिक्षा के इस अधोपतन के अतिरिक्त अल्पायु में महिलाओं का विवाह भी उनके विकास में एक बड़ी बाधा रही है । [475] वैसे तो भारत में बाल-विवाह बहुत पहले से ही प्रचलित रहा है परंतु अब क़ानून द्वारा बाल विवाह पर रोक लगा दी गई है । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 50

महोदय, राजस्थान, बिहार, मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 12 से 14 वर्ष की आयु में अबोध बच्चों का विवाह संपन्न होना एक सामान्य 525 सी घटना है । 'आखातीज' के दिन राजस्थान में छोटे-छोटे बच्चों के सामूहिक विवाह की परंपरा किसी से छिपी नहीं है । अल्पायु में विवाह के कारण 550 अपरिपक्व अवस्था में ही गर्भ धारण व प्रजनन कार्य आरंभ हो जाता हे । इसी कारण भारतीय महिलाओं में औसत कुल प्रजनन दर 3.4 है जबकि 575 जापान, इटली, स्पेन, हंगरी व कनाडा में यह दर 1.2 व 1.8 के मध्य तथा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका 600 तथा इस्राइल में 2.0 व 2.8 के मध्य पाई जाती है । महिलाओं में प्रजनन दर कम करने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम के जरिए 625 अनेक सरकारी प्रयास किए गए हैं, परंतु परंपरावादी विचारधारा, साक्षरता और सरकारी मशीनरी की सक्रियता में कमी जैसी समस्याओं के कारण भारतीय समाज 650 में विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भनिरोधक आधुनिक उपायों - कंडोम, गोली, नसबंदी आदि का प्रचलन कम हो पाया है । जब गर्भनिरोधक 675 उपायों का प्रचलन ही कम हो तो भला जनसंख्या वृद्धि के ग्राफ में गिरावट की आशा कैसे की जा सकती है ? 1990-2000 के 700 उपलब्ध आँकड़ों केअनुसार 36 प्रतिशत भारतीय महिलाओं में गर्भनिरोधक आधुनिक उपाय प्रचलित हैं जबकि पाकिस्तान को छोड़कर अमेरिका, कनाडा, हंगरी, 725 जापान, चीन, श्रीलंका तथा ईरान की महिलाओं में अधिक है। एक अनुमान के अनुसार विवाहित भारतीय महिलाओं के 750 प्रजनन काल का 80 प्रतिशत समय बच्चों को जन्म देने व उनको स्तनपान कराने में ही व्यतीत हो जाता है । यह गर्भनिरोधक 775 आधुनिक उपायों के कम प्रचलित होने का ही दुष्परिणाम है ।

अल्पायु में 'विवाह' तथा 'गर्भधारण' महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत 800 बुरा प्रभाव डालते हैं तथा प्रसव के समय प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की सेवाएँ उपलब्ध न हो पाने के कारण उनकी जान भी जोखिम में रहती है । 2000-2001 के आँकड़ों के 825 अनुसार प्रसव के समय भारत की 33 प्रतिशत महिलाओं को ही प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की सेवाएँ मिल पाती हैं 850 जबकि अमेरिका, कनाडा, हंगरी, स्पेन, इस्राइल, जापान, चीन तथा श्रीलंका की 94 से 100 प्रतिशत महिलाओं को प्रसव के समय प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की 875 सेवाएँ मिलती हैं । इस क्षेत्र में पाकिस्तान की महिलाएँ भी भारतीय महिलाओं की तुलना में बेहतर हैं । ग्रामीण भारत में अप्रशिक्षित दाइयों द्वारा परंपरागत 900 विधि द्वारा प्रसव कराए जाते हैं । इस प्रक्रिया में अनेक बार जच्चा को मृत्यु का शिकार भी होना पड़ता है । 1990-2000 के 925 आँकड़ों के अनुसार प्रति लाख प्रसव के समय 460 भारतीय महिलाएँ मृत्यु का शिकार हो जाती हैं जबकि पाकिस्तान को छोड़ कर अन्य देशों 950 में यह संख्या काफी कम है । यद्यपि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का पर्याप्त प्रसार हो गया है जिसके परिणामस्वरूप लोगों के सामान्य 975 स्वास्थ्य में सुधार आया है तथा व्यक्ति के जीवन जीने की प्रत्याशा बढ़ी है परंतु वर्तमान मृत्यु-दर पर भारतीय बालिका के जीवन जीने की प्रत्याशा 57 वर्ष की है । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 51

महोदय, मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि स्थिरता का अर्थ गलती से जड़ता नहीं समझ लिया जाना चाहिए। सुधारों के मूल में यह बात [25] समझनी होती है कि परिवर्तन आवश्यक है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हम जिन आर्थिक नीतियों पर चले, उनसे हम विकास के [50] एक ऐसे सोपान पर पहुँच गए कि जिससे 2001 तक हमारा काम अच्छी तरह चलता रहा। इससे पहले भी परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव [75] की गई थी और अस्सी के दशक के अंत में परिवर्तन शुरू भी किए गए थे। 1990-91 के संकट से तो इस प्रक्रिया [100] में तेजी आ गई। अपनी पिछली नीति से हमें जो सफलताएँ मिली थीं, ये सुधार उसी पर आधारित थे। यदि हम 1991 में नियमनों को [125] दूर कर सके और उदारीकरण को जारी कर सके तो इसका कारण यह था कि प्रधानमंत्री के [150] बुद्धिमत्तापूर्ण मार्गदर्शन में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों ने प्रगति करके एक आंतरिक शक्ति प्राप्त कर [175] ली थी। उनका घोषणा-पत्र, पार्टी का 1991 का घोषणा-पत्र इस बात का स्पष्ट और बिलकुल सही द्योतक है कि क्या आने [200] वाला है। कृषि में अपनी प्रगति के फलस्वरूप हम आत्मनिर्भर हो गए थे, हमारे उद्योग इतने मजबूत बन गए थे कि बाहर के [225] विदेशी संपर्क को वे झेल सकें - प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी और सहयोग के क्षेत्र में भी। हमारी नीति में एक निरंतरता बनी रही [250] है जिसके परिणामस्वरूप हमें अपने सुधारों के लिए आधार मिला है। जो नई आवश्यकताएँ आ रही थीं और जो वास्तविकताएँ सामने दीख पड़ रही [275] थीं, ये सुधार उन्हें देखते हुए किए गए थे। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि भविष्य में भी हमारे सुधारों का सिलसिला [300] इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारे सामने कैसी घरेलू जरूरतें आ रही हैं।

जैसे-जैसे हम इन सुधारों पर चलते जाएँगे, तो जहाँ कहीं [325] उनकी कमियाँ नजर आएँगी, उन्हें दूर करने की चेष्टा की जाएगी। मैं सुधारों को बेहतर बनाने के लिए दिए गए सभी सुझावों का [350] स्वागत करूँगा, चाहे वे आप सबसे मिलें, चाहे मेरे साथी राजनीतिक नेताओं से, चाहे व्यवसाय विशेषज्ञों से मिलें, चाहे जनता से। और यह सब [375] हमारी सुधारों की नीति के अनुरूप होगा और वास्तव में तो यह उस नीति को मजबूत बनाएगा, कभी उस नीति को परिशुद्ध करने पर [400] जोर देकर और कभी उसमें मानव हित पर ध्यान देकर, और ये दोनों पहले दिन से ही हमारी नीति का एक भाग थे। [425] इस संबंध में मैं हाल में उस वाद-विवाद की चर्चा करना चाहूँगा जिसमें सुधारों की आलोचना की गई है। यह कहा गया है कि [450] नई नीतियों से जनता के अपेक्षाकृत गरीब वर्गों को कोई लाभ नहीं हुआ। कालेज के दिनों में मैंने भी इस बात का अनुभव [475] किया है कि दिन में एक बार खाना मिलने का क्या अर्थ होता है। इसलिए गरीबों के बारे में मेरी चिंता सचमुच वास्तविक है। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 52

महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के सभी दशकों में सरकार ने गरीबी से जूझने की चेष्टा की है । इस समस्या पर अब तक काबू न [525] पा सकने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम वृद्धि और प्रगति की उस दर को प्राप्त नहीं कर सके जो पर्याप्त ऊँची [550] हो । इस वृद्धि और प्रगति के जो लाभ पहुँचे हैं, उनसे समस्या हल नहीं हुई । इन सुधारों का उद्देश्य यह है कि हमारी [575] वृद्धि की दर की रफ्तार त्वरित हो जाए । परंतु चूँकि वृद्धि के लाभ पहुँचने में काफी समय लगता है, इसलिए मैंने यह फैसला किया [600] कि केवल गाँव के स्तर पर अलग से साधनों का एक पार्श्व टीका लगाया जाए ताकि पहले के मुकाबले गाँवों के गरीब लोगों के लिए [625] रोज़गार पैदा करने तथा उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक समस्याओं पर कहीं अधिक ध्यान दिया जा सके । इसे 'बाई-पास' माडल कहा जाने [650] लगा है जो गाँवों में गरीबी के एक महत्वपूर्ण कारण पर ध्यान देता है- अर्थात वर्ष भर गाँव में पूर्ण रोज़गार का अभाव [675] जिसके फलस्वरूप रोज़गार ढूँढने के लिए गाँव वाले गाँव छोड़ कर शहरों की ओर जाने को विवश होते हैं ।

विश्व भर में [700] आम तौर पर सुधारों के साथ मुद्रास्फीति आती है । उसकी कठिनाइयों को पूरी तरह मिटाने की बात तो नहीं हो सकती परंतु उन्हें कम [725] करने के लिए मैंने नए सिरे से मजबूत बनाई गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया है जिसके अंतर्गत गरीब लोगों को अनाज विशेष [750] रियायती दरों पर दिया जाएगा । मुसीबत में पड़े कारखानों के मजदूरों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष शुरू किया गया है । मुद्रास्फीति [775] को न्यूनतम करने का कोई भी प्रयास छोड़ा नहीं गया। मैं यह चर्चा आपको इस बात की जानकारी देने के लिए नहीं कर [800] रहा कि हमने क्या किया है बल्कि इस बात पर जोर देने के लिए कर रहा हूँ कि हमने आँख मूँद कर ये [825] सुधार नहीं किए बल्कि इस बात पर अच्छी तरह विचार करने के बाद किए हैं कि क्या कठिनाइयाँ सामने आ सकती हैं और इस दिशा [850] में समझते-बूझते हुए प्रयास किए हैं कि उन कठिनाइयों को किस तरह कम किया जा सकता है ताकि इन सुधारों का लाभ समाज [875] के सभी वर्गों तक पहुँच सके ।

अंततः इन सुधारों की कसौटी यह होगी कि ये लाभ सभी तरफ पहुँचे हैं या नहीं । जब तक इन [900] सुधारों का लाभ व्यापक रूप से न पहुँचे, मैंने जनता के उन वर्गों के हितों के लिए विशेष योजनाएँ बनाई हैं जिन तक ये लाभ [925] पहुँचने में समय लगता है । मेरे लिए वृद्धि की दर के आँकड़ों का कोई मतलब नहीं । मैंने तो शुरू से मानव हितों पर ध्यान दिया [950] है और इसी दिशा में हम ने अपने प्रयास आगे बढ़ाए हैं । आज जरूरत इस बात की है कि हम बड़ी सावधानीपूर्वक [975] यह देखें कि समय-समय पर हमारे सामने क्या बाधाएँ आ सकती हैं और उनको तत्काल और प्रभावकारी ढंग से दूर करें । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 53

महोदय, मैं मानता हूँ कि यदि हम चाहें कि किसी भी भाग को अपनी इच्छा के अनुकूल बना लें तो यह संभव नहीं हो सकता । [25] किसी भी देश में जितने लोग बसते हैं, उन लोगों के हृदय में जो भावनाएँ पैदा होती हैं, उनमें जो विचार उठते हैं उन्हीं से [50] भाषा निकलती है । हिंदी कहिए या हिंदुस्तानी, दोनों ही हिंदुस्तान में पैदा हुईं और आज भी चल रही है । इसलिए मैं सदा से यह [75] बात कहता आया हूँ कि किसी विदेशी शब्द को अपनी भाषा में न घुसने देने का विचार बिल्कुल गलत है । यदि कोई भी जीती-जागती [100] भाषा आगे बढ़ रही है, उन्नति कर रही है तो उसमें बाहर के शब्द आए बिना रह नहीं सकते । यदि आप अंग्रेजी भाषा के किसी [125] भी शब्दकोश को खोल कर देखें तो उसके अंत में 20-25 पृष्ठ परिशिष्ट के जोड़े जाते हैं । उन पृष्ठों में अंग्रेजी भाषा [150] में जो नए-नए शब्द आते हैं, वे ही दिए जाते हैं । कुछ दिन हुए मुझे चैम्बर्स का एक पुराना शब्दकोश मिल गया । मैंने [175] देखा कि आज का चैम्बर्स शब्दकोश पुराने शब्दकोश से दुगना मोटा था । पिछले 60 वर्षों में जितने नए शब्द लिए गए वे सब [200] नए शब्दकोश में थे । विदेशी भाषा के जो शब्द प्रचलित हैं, यदि उन्हें निकाल देने का प्रयास किया गया तो भाषा का रूप ही दूसरा [225] होगा ।

हिंदी वालों का यह प्रयास कि अरबी तथा अंग्रेजी भाषा के शब्द हिंदी में नहीं आने देने चाहिए, उतना ही हानिकारक हैं, जितना [250] उर्दू वालों का यह प्रयास कि उर्दू में केवल अरबी और उर्दू भाषा के ही शब्द रखे जाएँ, संस्कृत के नहीं । उसके साथ-साथ [275] हमको यह भी मानना होगा कि हिंदुस्तान में जो बहुत-सी भाषाएँ हैं, वे अलग-अलग प्रदेशों की अलग-अलग भाषाएँ हैं जैसे [300] उत्तर भारत में मराठी, गुजराती, हिंदी, बंगला, उड़िया तथा असमिया और दक्षिण में तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ । इन सब भाषाओं में संस्कृत के [325] शब्द बहुत हैं । हिंदी को छोड़कर और किसी भी भाषा में उर्दू के शब्द नहीं मिलेंगे । देश में हिंदी को इस योग्य बनाना है [350] कि लोग उसे सरलता से सीख सकें । इसलिए उसमें संस्कृत के शब्द लेने ही पड़ेंगे, उससे बचा नहीं जा सकता । हमारे संविधान में [375] हिंदी की व्याख्या इस प्रकार दी गई है कि हम उसी भाषा को हिंदी मानते हैं जिसके मूल में संस्कृत है । यह कोई नई [400] बात नहीं है । इसे सभी लोग मानते और समझते हैं । आज लोग कुछ ऐसी हिंदी लिखने लगे हैं, जिसमें संस्कृत के बड़े-बड़े शब्द अधिक [425] आते हैं जो मेरे जैसे आदमी को जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी है, समझ में ही नहीं आते । जो व्यक्ति संस्कृत या अरबी भाषाओं [450] में से किसी को भी अधिक नहीं जानते परंतु अच्छी हिंदी या हिंदुस्तानी लिख सकते हैं, उनको इतना समय नहीं कि वे संस्कृत और [475] अरबी के बड़े-बड़े शब्द लें । वे तो छोटे शब्दों में ही अपना काम निकाल लेते हैं। बड़े शब्द लेने हों तो वह दूसरी चीज है । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 54

महोदय, बोलचाल की तथा अखबारों में प्रयुक्त होने वाली भाषा जितनी सरल हो, उतना ही अच्छा है और उसको समझने में हिंदी और [525] उर्दू बोलने वालों, दोनों को ही कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए । वही भाषा ठीक चलेगी । मैं उत्तर भारत के लोगों से जहाँ हिंदी अथवा [550] हिंदुस्तानी बोली जाती है, यही कहना चाहता हूँ कि यदि वे चाहते हैं कि हिंदी अथवा हिंदुस्तानी सारे भारतवर्ष में चले तो उनको [575] अहिंदी-भाषियों को अपने साथ लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वे जिस भाषा को नहीं अपनाते वह सारे देश की भाषा नहीं हो [600] सकती । कभी-कभी अहिंदी-भाषी भी हिंदी में लिखने का प्रयास करते हैं । यदि उनकी हिंदी हिंदी के व्याकरण की दृष्टि से जाँची जाए [625] तो हिंदी भाषी, उसे स्वीकार नहीं करेंगे । मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूँ कि उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि केवल हिंदी भाषा [650] में ही नहीं बल्कि उसके व्याकरण में भी इतना हेर-फेर करना पड़ेगा कि दूसरी भाषाओं के मुहावरे हिंदी भाषा में खप सकें । [675] भाषा तभी विकसित हो सकती है । मैं आशा करता हूँ कि भाषा के इस प्रश्न को सांप्रदायिक रूप नहीं दिया जाएगा । उसे एक बार सांप्रदायिकता [700] का रूप दे देने पर उसका उसमें से निकलना कठिन हो जाएगा । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इस प्रश्न को [725] सांप्रदायिकता से परे केवल एक भाषा के रूप में देखें और भाषा का अर्थ यह है कि अपनी भावनाओं और अपने विचारों को उसी के [750] द्वारा दूसरों तक पहुँचा जा सके । यदि राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा बना दी गई जिसे कुछ ही लोग समझें तो हमारी समस्या हल नहीं हो [775] सकती । हमें संकीर्ण विचारों से दूर रहना चाहिए।

भाषा के संबंध में विचार करते समय किसी एक राज्य की दृष्टि से नहीं, बल्कि सारे देश [800] की दृष्टि से विचार करना चाहिए और तभी भाषा को वह रूप प्राप्त होगा जिसका मैंने उल्लेख किया है । महात्मा गांधी देश में उस [825] भाषा को चलाना चाहते थे जिसे वह कभी हिंदुस्तानी अथवा कभी हिंदी कहते थे । दोनों में कोई अंतर नहीं है । यदि ऐसी भाषा को जिसे [850] सभी लोग समझ सकें हम हिंदी कहें या हिंदुस्तानी उसमें कोई अंतर नहीं । मैं नहीं समझ पाता कि इसमें झगड़े की क्या बात है । [875] एक दूसरा झगड़ा लिपि के बारे में भी है । हिंदुस्तानी अरबी और नागरी दोनों लिपियों में लिखी जाती है । हमारे संविधान ने नागरी लिपि को [900] ही माना है । इसमें जबरदस्ती की गुंजाइश नहीं है । यह खुशी की बात है । मगर हिंदुस्तान में जितने लोग बसते हैं, हम उनके विचारों [925] से अवगत होना चाहते हैं । यदि हम उनको समझना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की जितनी लिपियाँ हैं, उनको हमें सीखना होगा । दक्षिण वालों [950] को हिंदी भाषा भाषियों से यही शिकायत रही है कि वे तो हिंदी सीखते हैं पर हिंदी वाले दक्षिण की भाषा कभी नहीं सीखते । [975] उसी प्रकार उर्दू के अक्षर हम जाने और उर्दू की किताबों से अपना परिचय रखें तो उनसे हमारा संबंध और अधिक घनिष्ट हो सकता है । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 55

महोदय, संसद सदस्यों से बहुधा उनके निर्वाचक उनके चुनाव में पूँजीगत स्वरूप के छोटे-छोटे कार्यों को कराए जाने के लिए संपर्क [25] करते हैं । इसलिए संसद सदस्यों की एक माँग थी कि उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र में कार्य कराए जाने की सिफारिश करने में समर्थ होना [50] चाहिए । इन सुझावों पर विचार करते हुए प्रधान मंत्री जी ने दिनांक 23 दिसंबर, 1993 को संसद में 'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' की घोषणा की । [75] इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक संसद सदस्य को अपने चुनाव क्षेत्र में एक करोड़ रुपये तक की लागत के कार्य, जिसमें प्रत्येक कार्य [100] 10 लाख रुपये से अधिक लागत का नहीं होगा, कार्यान्वित किए जाने के लिए जिला कलेक्टरों को सुझाव देने होंगे । राज्य सभा का सदस्य [125] जिस राज्य से चुना गया है उस राज्य का कोई भी एक जिला इस योजना के अंतर्गत कार्यों का चयन करने के लिए [150] चुन सकता है । सांसदों द्वारा भेजे गए सुझावों के आधार पर इन मार्गदर्शिकाओं के अनुसार प्राथमिकताएँ निर्धारित की जाएँगी । इस योजना के अंतर्गत जिन [175] कार्यों की सिफारिश की गई हो वे जिले के अंदर चल रही जिला योजनाओं और केंद्रीय प्रायोजित तथा केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों के [200] अंतर्गत परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के सामान्य पैटर्न के अनुरूप होंगे । उनका कार्यान्वयन अन्य सभी कार्यों के साथ-साथ ही किया जा सकता है, [225] लेकिन एक तरह से वे संसद सदस्य द्वारा अनुशासित कार्य के रूप में अभिव्यक्त होंगे । इस प्रकार इन कार्यो की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया [250] समान कार्यों की सामान्य स्वीकृति एवं कार्यान्वयन को संचालित करने वाली प्रक्रियाओं, जिनका कार्यान्वयन लोगों की प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा किया जाता है,से भिन्न [275] नहीं हैं । सांसदों के सुझावों को जिला कलेक्टरों द्वारा संकलित किया जाएगा एवं इन मार्गदर्शिकाओं के अंतर्गत उन पर विचार किया जाएगा तथा सामान्य [300] प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए यथासंभव उनको जिले में चल रहे जिला योजना कार्यक्रमों एवं अन्य केंद्रीय प्रायोजित तथा केंद्रीय क्षेत्र [325] कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा ।

सांसदों को जिले में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समग्र रूप देने के लिए [350] और पूरे जिले के लिए विकास योजना मसौदा तैयार करने के लिए संवैधानिक रूप से गठित जिला योजना समितियों का सदस्य बनाया जाएगा । अधिनियम 1992 [375] के अंतर्गत गठित किए जा रहे नए पंचायती राज निकायों में जिला तथा माध्यमिक स्तरों पर जिनमें उनके चुनाव क्षेत्र पूर्ण या आंशिक रूप [400] से आते हैं, पंचायत सदस्यों के रूप में प्रतिनिधित्व भी दिया जाता है । इसके अतिरिक्त, सांसद जिलों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के [425] शासी निकाय के सदस्य हैं, जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और इसके संबद्ध कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यों [450] के प्रभारी हैं । यह सब उन्हें इस योजना के अंतर्गत उनके द्वारा चुने एवं सुझाए गए कार्यों को जिला स्तर विकास कार्यक्रमों की [475] योजना एवं कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर संस्थागत ढाँचे द्वारा कार्यान्वित कराए जाने को सुनिश्चित करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करता है । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 56

महोदय, इन मार्गदर्शिकाओं की सीमा के अंतर्गत आने वाले कार्यों जिनके लिए सांसदों ने अपनी अनुशंसा दी है, की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति [525] संबंधित राज्यों में सामान्य विभागीय प्रक्रियाओं के अनुरूप की जाएगी । कार्यों को जिला कलेक्टर द्वारा जिले की सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित कराया जाएगा । [550] इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य मुख्य रूप से परिसंपत्ति सृजन स्वरूप के होंगे तथा सामग्री, उपकरण आदि की खरीद अथवा राजस्व [575] खर्च की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । कार्य इस तरह के होने चाहिए, जो काम के एक अथवा दो मौसमों में पूरे हो सकते हों [600] तथा जिनसे टिकाऊ स्वरूप की परिसंपत्तियाँ सृजित होती हों । योजना के तहत स्थानीय अनुभूत आवश्यकताओं के आधार पर छोटे-छोटे विकास कार्यों का [625] चयन किया जाना है और उनकी सिफारिश की जानी है । सुझाए गए प्रत्येक कार्य की लागत 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए । [650] सुझाव के अनुसार लिए जाने वाले कार्य जिला योजना, विशेषकर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत आने वाले कार्यों की श्रेणी के होने चाहिए । [675] इस योजना के अंतर्गत कार्यों के बारे में सुझाव प्राप्त करने के लिए जिला कलेक्टरों द्वारा सांसदों से लिखित सुझाव माँगे जाने चाहिए अथवा [700] अपने जिले के सभी सांसदों के साथ वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में एक बैठक बुलाई जानी चाहिए । ऐसे मामलों में जहाँ संसदीय चुनाव क्षेत्र [725] एक से अधिक जिले तक फैला हुआ है संबंधित सांसद राज्य योजना विभाग तथा जिला कलेक्टरों को इन मार्गदर्शिकाओं में उल्लिखित समग्र सीमाओं के [750] भीतर उनके जिलों में कार्यों की प्राथमिकता का उल्लेख कर सकते हैं । इन मार्गदर्शिकाओं के आलोक में संसद सदस्यों द्वारा सुझाए गए [775] कार्यों की संवीक्षा करने के पश्चात् जिला कलेक्टरों द्वारा योजना के अंतर्गत इन्हें विचारार्थ एवं जिला योजनाओं तथा जिलों में चल रहे केंद्रीय [800] प्रायोजित व केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों में योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दर्शाने वाले कार्यों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए । इस प्रकार निर्धारित सूची को [825] जिले में संबंधित योजना तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को भेजा जाना चाहिए, जिसमें संबंधित राज्यों की सामान्य विभागीय प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए प्राक्कलन तैयार [850] करने तथा तकनीकी व्यवहार्यता और स्वीकृतियों के लिए पंचायती राज संस्थाओं, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, शहरी स्थानीय निकायों, अन्य जिला स्तरीय विकास विभागों आदि को [875] शामिल किया जाएगा ।

जिला कलेक्टरों द्वारा योजना के अंतर्गत सांसदों द्वारा सुझाए गए कार्यों की सूची इस प्रकार निर्धारित करने के पश्चात यह सुनिश्चित [900] किया जाना चाहिए कि उसमें निर्दिष्ट कार्यों को अनुमोदन और कार्यान्वयन हेतु जिले में संबंधित विभागों/संगठनों के विचारार्थ भेजा जाए । कलेक्टर राज्य योजना [925] विभागों की मार्फत विभिन्न विभागों/संगठनों में कार्यों के विभाजन के ब्यौरों और भारत सरकार के संबंधित लेखा शीर्ष के अंतर्गत किए गए खर्च के [950] बारे में भी सूचित करेंगे । यदि जिला कलेक्टर उल्लिखित रूप से सांसदों द्वारा सुझाए कार्यों की सूची में किसी कार्य पर विचार कर उसका [975] कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं है, तो उनके द्वारा यथाशीघ्र राज्य योजना विभाग को उसकी आवश्यकताओं के बारे में रिपोर्ट अवश्य भेजी जानी चाहिए । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 57

अध्यक्ष महोदय, भारत, संसार के सभी देशों के साथ शांति और मैत्री की नीति का अनुसरण करता रहा है और ऐसे अवसरों पर जब भी [25] यह आशा हुई कि हम शांति-स्थापना के हेतु कुछ कर सकते हैं, हमारे देश ने जिम्मेदारियों को उठाने में कोई संकोच नहीं किया। [50] कोरिया में मेरी सरकार ने तटस्थ राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता स्वीकार की और युद्ध-बंदियों के भविष्य के संबंध में अंतिम निर्णय होने तक [75] उनकी देखभाल के लिए संरक्षण सेना वहाँ भेजी। दुर्भाग्यवश विराम-संधि समझौते में सुझाई गई पद्धति के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा सकी, [100] जिसके कारण एक कठिन स्थिति पैदा हो गई। कुछ दिनों में ही आयोग अपना काम समाप्त कर देगा और संरक्षण सेना अब धीरे-धीरे [125] भारत वापस आ रही है। कोरिया में प्रमुख विवादग्रस्त प्रश्नों का अभी तक निबटारा नहीं हुआ है। मुझे पूर्ण आशा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ [150] की महासभा में अथवा कहीं और इन आवश्यक मामलों को सुलझाने का शीघ्र ही प्रयत्न किया जाएगा। आप सबकी ओर से और अपनी [175] ओर से, मैं कोरिया में तटस्थ राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन आयोग में अपने प्रतिनिधियों और संरक्षण सेना के अधिकारियों तथा सिपाहियों की इस बात के लिए प्रशंसा [200] करना चाहूँगा कि उन्होंने एक कठिन और नाजुक काम को बड़ी योग्यता तथा निष्पक्षता के साथ निभाया।

विदेशों से भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण बने [225] रहे हैं, यद्यपि कभी-कभी गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं। इस समय मेरी सरकार के प्रतिनिधि चीनी गणतंत्र की सरकार से तिब्बत के संबंध में [250] सामान्य हित के विभिन्न मामलों पर बातचीत कर रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि इस बातचीत के परिणामस्वरूप सभी विशिष्ट समस्याओं के बारे [275] में समझौता हो सकेगा। सोवियत संघ और कई अन्य देशों से हमारी व्यापारिक संधियाँ हुई हैं। पिछले वर्ष हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री [300] से मिले। ये मुलाकातें मैत्रीपूर्ण थीं और इनके फलस्वरूप दोनों देशों के बीच कई एक विवादग्रस्त मामलों के बारे में, जो बहुत दिनों [325] से चले आ रहे थे, पारस्परिक सद्भावना पैदा हो सकी। इस दिशा में हम कुछ आगे बढ़े थे पर दुर्भाग्य से कुछ ऐसी घटनाएँ घटीं [350] हैं जिनके कारण प्रगति में रुकावटें पड़ रही हैं। मुझे खुशी है कि मेरी सरकार और श्रीलंका की सरकार के बीच श्रीलंका के भारतीय [375] प्रवासियों के प्रश्न पर समझौता हो गया है। इस समझौते द्वारा उक्त समस्या का अंतिम रूप से निबटारा नहीं होता, परंतु उस दिशा में यह [400] पहला कदम है और समस्या के हल के लिए गंभीर प्रयास है इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। अपने पड़ोसी राष्ट्रों, श्रीलंका तथा [425] बर्मा से जिन के साथ हमारे भौगोलिक ही नहीं बल्कि चिरकाल से सांस्कृतिक संबंध भी हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध को उन्नत करने का मेरी सरकार [450] सतत प्रयत्न करती रही है। पश्चिमी एशिया के देशों और मिस्र के साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक सहयोग के रहे हैं। सूडान के निर्वाचन [475] आयोग के अध्यक्ष के रूप में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवाओं की प्रशंसा की गई है और चुनाव व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो गए हैं। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 58

अध्यक्ष महोदय, मैं सूडान में स्वाधीनता के उदय का स्वागत करता हूँ। जो स्वयंमेव तो शुभ है ही, चिरकाल से त्रस्त और आजकल [525] भी अनेक संकटों के शिकार अफ्रीकी भूखंडों की भावी उन्नति के लिए भी यह एक शुभ लक्षण है। गत वर्ष इस अवसर पर मेरे अभिभाषण [550] के बाद भारतीय संघ में आंध्र नामक नए राज्य का उदय हुआ है। भारतीय राज्यों में इस अभिवृद्धि का मैं स्वागत करता हूँ और[575] नए राज्य की सफलता की कामना करता हूँ। भारत में राज्यों के पुनर्गठन की माँग को देखते हुए मेरी सरकार ने इस कार्य के [600] लिए एक आयोग की स्थापना की है, जिसमें योग्य और अनुभवी सदस्य रखे हैं। यह कार्य बड़ा और ऐतिहासिक महत्व का है। इसे वस्तुगत रूप [625] से पूर्ण शांतचित्तता के साथ करना है, जिससे संबंधित क्षेत्रों की जनता का और इसके साथ ही समस्त राष्ट्र का अधिक कल्याण [650] हो सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस आयोग के काम में सभी लोग सद्भावना और समझदारी के साथ सहयोग देंगे। हमारे संघ के दो [675] राज्यों में, तिरुवांकुर-कोचीन और पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासती संघ में, आजकल आम चुनाव हो रहे हैं। उपर्युक्त दूसरे राज्य में संविधान सुचारू [700] रूप से नहीं चल सका और नए चुनाव होने तक प्रशासन का कार्यभार मुझे अपने अधीन लेना पड़ा।

हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना की आधी [725] अवधि समाप्त हो चुकी है। कुछ मामलों में प्रगति इतनी अच्छी नहीं हुई जितनी हम आशा करते थे, परंतु कुछ अन्य मामलों में महत्वपूर्ण प्रगति [750] हुई है। सामुदायिक योजना कार्यों के कार्य में विशेष रूप से उन्नति हुई है और राष्ट्रीय विकास कार्य में भी, जिसका श्रीगणेश अक्तूबर, [775] 1953 में हुआ था, संतोषजनक उन्नति हुई है। इस कार्य में जनसाधारण का योगदान बहुत उत्साहवर्धक है। इस कार्य का यह पहलू बहुत [800] ही आशाजनक है। यद्यपि औद्योगिक उत्पादन में और कई एक दूसरे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हुई है, फिर भी व्यापक बेरोज़गारी की समस्या मेरी सरकार [825] के लिए चिंता का विषय है। लोगों को अधिक रोज़गार दिलाने के उद्देश्य से योजना आयोग पहली पंचवर्षीय योजना पर पुनर्विचार कर रहा है। [850] साधारण आर्थिक स्थिति में बराबर सुधार हुआ है। 1952-53 में अनाजों का उत्पादन उसके एक वर्ष पहले की अपेक्षा पाँच लाख टन अधिक[875] हुआ है और इस वर्ष की स्थिति भी अच्छी है। खाद्य की स्थिति में सुधार बहुत संतोषजनक है और देश इस दिशा में आत्मनिर्भरता [900] के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। औद्योगिक उत्पादन में, विशेषकर सूती कपड़े, कागज़, रासायनिक पदार्थ, बाइसिकल, नमक और बहुत-से [925] इंजीनियरिंग संबंधी उद्योगों के क्षेत्र में उत्पादन काफी ज्यादा होता रहा है। औद्योगिक उत्पादन की सूचक संख्या बढ़कर 1953 में 1345 हो गई [950] जबकि 1952 में वह 129 थी। युद्ध के बाद से हमारे औद्योगिक उत्पादन का यह उच्चतम स्तर है। इस्पात उद्योग के विस्तार और इस्पात [975] के एक नए कारखाने की स्थापना के संबंध में इस समय अंतिम कार्यवाही हो रही है। पटसन और चाय उद्योग अब अच्छी स्थिति में हैं। [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 59

महोदय, मैं आपके यहाँ बहुत उत्सुकता के साथ इसलिए आया हूँ कि मैं अपनी आँखों से यह देख सकूँ कि यहाँ क्या-क्या [25] हो रहा है और क्या करने का विचार है । स्वागताध्यक्ष जी ने अपने भाषण में अभी दिग्दर्शन कराया कि यहाँ क्या तो आप करने [50] जा रहे हैं, क्या-क्या सरकार की ओर से किया जा रहा है और किन चीजों की कमी है । मैं इन सब चीजों के संबंध [75] में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि जहाँ तक मुझे मालूम है, आपकी राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों इस बात के लिए [100] तत्पर हैं कि आदिवासियों की उन्नति के लिए यथेष्ट और प्रत्येक संभव प्रयत्न किए जाएँ । जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ और हमको स्वतंत्र [125] संविधान बनाने का अवसर मिला तो हमने उस संविधान में इस बात का ध्यान रखा कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको आगे [150] बढ़ाना और दूसरों के समान स्तर पर ला देना हमारा पहला कर्तव्य है। इसीलिए संविधान में कुछ ऐसी विशेष धाराएँ रखी गईं जिनके [175] अनुसार पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने का भार हमारे ऊपर आया । पिछड़े हुए लोगों में तीन प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग तो वे [200] हैं जो अछूत माने जाते हैं। अस्पृश्यता दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने इतना बड़ा प्रयत्न किया और आज ईश्वर की दया से वह [225] बहुत सीमा तक कम होती भी जा रही है और आशा की जाती है कि दूर हो जाएगी । दूसरे लोग जो पिछड़े हुए समझे जाते [250] हैं, आदिमजाति के लोग हैं । ये सारे भारतवर्ष में अलग-अलग स्थानों में फैले हुए हैं, विशेषकर पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में [275] इनकी संख्या देश में प्रायः दो करोड़ है । 35 करोड़ में यदि 2 करोड़ व्यक्ति इस प्रकार पीछे रह जाएँ तो वह हमें शोभा [300] नहीं देता। उनकी उन्नति करना हमारा परमावश्यक काम है । उनके अतिरिक्त कुछ वे लोग हैं जो इन दोनों से अलग परंतु वे भी [325] किसी कारणवश अन्य की तुलना में पीछे हैं। इन सबके लिए हमारे संविधान में अलग-अलग व्यवस्था की गई है ।

जहाँ तक आदिवासियों का [350] प्रश्न है उनके लिए विधान मंडलों और संसद में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं । इन स्थानों के लिए वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो [375] वहाँ जाकर उनके सुख-दुख को रख सकते हैं और वहाँ से उनकी भलाई के लिए कुछ करवा सकते हैं । आज दिल्ली में [400] जो संसद है और सभी राज्यों में जो विधानमंडल हैं, उन सबके सदस्यों में आदिवासियों के प्रतिनिधि भी हैं और उनको [425] वही अधिकार प्राप्त हैं जो और किसी दूसरे प्रतिनिधि को । इसके अतिरिक्त आदिवासियों के संबंध में विशेषकर असम में जहाँ उनकी संख्या [450] बहुत अधिक है और जो अन्य स्थानों के आदिवासियों से कुछ भिन्न भी हैं, उनको कुछ विशेष सुविधाएँ दी गई हैं । अन्य स्थानों [475] में, जैसी यहाँ स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार प्रबंध करने के लिए मैं समझता हूँ कि आदेश दे दिए गए हैं । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 60

महोदय, गौड लोग खेती का काम करते हैं और उन्होंने खेती के काम को भली प्रकार सीख लिया है। बैगा जाति के लोग दूसरे प्रकार से खेती करते हैं। यह एक स्थान से दूसरे स्थानों को जाते रहते हैं। एक खेत में खेती करके उसकी फसल आदि को लेकर फिर उस खेत को जलाकर वे आगे बढ़ जाते हैं। इससे भूमि को बहुत हानि होती है। जंगल को भी हानि होती है। वे जितना परिश्रम करते हैं उसका उनको पूरा फल नहीं मिलता। सरकार ने उन लोगों को यह समझाने-बुझाने का निश्चय किया है कि वे कहीं एक स्थान में रहकर खेतीबाड़ी करें तो उनको थोड़ी-सी भूमि से ही अधिक अन्न प्राप्त हो सकता है और वे अधिक सुख से रह सकते हैं। आज सारे देश में खेती की उन्नति के लिए जहाँ-तहाँ पानी का अभाव है, वहाँ अधिक पानी पहुँचाने का प्रबंध किया जा रहा है। लोगों को गड्ढे खोद कर तथा उनमें कूड़ा-कचरा आदि डाल कर खाद तैयार करना सिखाया जा रहा है, जिससे खेती की उन्नति की जा सके। लोगों को अच्छे बीज देकर अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह सब कुछ आदिवासियों को भी बताया जा रहा है। अभी यह सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि सरकार ने यहाँ पर एक हजार एकड़ भूमि में उनको बसाने का निश्चय किया है। उनकी हर प्रकार से सहायता की जाएगी। यों तो हम लोग खेती करते हैं और अपने तथा अपने बाल-बच्चों के लिए, अन्न पैदा करते हैं पर हमारे देश के किसानों के पास बहुत थोड़ी भूमि है और थोड़ी भूमि में अधिक पैदा नहीं किया जा सकता। इसलिए सोचा यह गया है कि यदि कई किसान मिलकर अपनी खेती सामूहिक रूप से एक साथ करें तो उससे उनको अधिक लाभ होगा।

मान लो कि एक किसान के पास दो बैल हैं परंतु उसके पास भूमि इतनी है कि वह दो बैलों से नहीं जोती-बोई जा सकती। ऐसी स्थिति में उस भूमि में खेती पूरे रूप से नहीं हो सकती क्योंकि वह चार बैल रख नहीं सकता और दो बैलों से उसका काम पूरा नहीं होता। तो यदि दो किसान परस्पर मिल-जुलकर खेती करें तो उन सबकी समस्या का समाधान हो जाता है। दो व्यक्ति मिल-जुलकर खेती के आसपास पानी की भी व्यवस्था कर सकते हैं। इस प्रकार यदि कई आदमी मिलकर एक साथ खेती करें तो उनको खेती में व्यय भी कम करना पड़े और आय अधिक हो। इसलिए यहाँ सामूहिक रूप से खेती करने का प्रयास किया जा रहा है और यदि इसमें भलीभाँति सफल हुए तो इस चीज का औरों में भी प्रसार होगा और विशेषकर आदिवासी लोग, जो अभी तक इस प्रकार खेती नहीं करते, इस चीज को अधिक सरलता से सीख लेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे। और यदि वे इस पद्धति को अपनाएँगे तो इससे उनको बहुत लाभ होगा।

प्रतिलेखन संख्या - 61

सभापति महोदय, इस समय जब कि हमें अपने नेताओं के अनुभव और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है, यह दुर्भाग्य की बात है कि अपने ज्येष्ठ राजनायकों [25] में से अत्यंत प्रमुख और लगन वाले एक राजनायक को हमने खो दिया है। बड़े दुख के साथ मैंने यह सुना कि बड़े सवेरे [50] कल श्री अय्यंगार की मृत्यु हो गई। अपने पूरे जीवन में उन्होंने अनेक उच्च पदों को दुर्लभ योग्यता से सुशोभित किया था। अपने स्वास्थ्य [75] तथा अपने आराम का जिसके कि वह पूरी तरह अधिकारी हो चुके थे, विचार न करके वे अपने जीवन के अंतिम दिनों तक [100] देश और जनता की सेवा में लगे रहे। जब कोई भी कठिन समस्या हमारे सामने आती थी, तो सरकार में उनके सहकारी [125] उनकी परिपक्व बुद्धिमत्ता पर निर्भर करते थे। उनकी मृत्यु देश और हम सबके लिए भारी हानि है। जब कि हम नवीन और समृद्ध [150] भारत का निर्माण करने में तथा उन लाखों लोगों को सुख-सुविधा पहुँचाने में लगे हुए हैं, जिन्हें दरिद्रता के अभिशाप से भूतकाल में [175] काफी पीड़ित रहना पड़ा। संसार की समस्याएँ हमारे सामने बलात आ खड़ी होती हैं और हम न तो उनसे बच सकते हैं और [200] न अपने को उनसे अलग रख सकते हैं। मेरी सरकार की अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप करने की लेशमात्र भी इच्छा नहीं [225] है किंतु स्वतंत्रता के साथ-साथ अनिवार्यरूपेण भारत पर जो जिम्मेदारी आ पड़ी है, उसको तो इसे निभाना ही है। जैसा कि सर्वविदित [250] है, हमने संसार के सब देशों के प्रति मैत्री और शांति की नीति बरतने का प्रयास किया है। शनैः शनैः वे लोग भी, [275] जो इससे सर्वदा सहमत नहीं होते, इसे समझने और इसका आदर करने लगे हैं, और यह बात मानी जाने लगी है कि भारत [300] संसार में शांति का समर्थक है और वह ऐसा कोई कदम न उठाएगा जिसका परिणाम लड़ाई की प्रवृत्ति को जगाना हो।

इसी नीति के [325] अनुसरणार्थ मेरी सरकार ने कुछ ऐसे प्रस्ताव पेश किए थे, जिनसे उसे यह आशा थी कि कोरिया-युद्ध के बारे में समझौता हो जाएगा। [350] इन प्रस्तावों को बहुत भारी समर्थन मिला, किंतु दुर्भाग्यवश उन महान देशों में से कुछ इन्हें स्वीकार न कर सके जिनका उससे निकटतम [375] संबंध था। वह युद्ध जारी है, और उससे न केवल कोरिया की जनता को ही कठोर यातना सहन करनी पड़ रही है, वरन अवशिष्ट [400] संसार के लिए भी वह खतरे का निशान है। सुदूर पूर्व पर प्रभाव डालने वाले हाल में किए गए कुछ वक्तव्यों से और [425] उनके परिणामस्वरूप कोरिया के युद्ध का विस्तार होने से समस्त संसार में बहुत आशंका पैदा हुई है। मेरी सरकार भी इन बातों [450] को गंभीर चिंता से देखती है। मुझे विश्वास है कि युद्ध का, जो अपने साथ पहले ही भारी विपत्ति लाया है, विस्तार न [475] होने दिया जाएगा तथा राष्ट्र और जातियों के हृदय को इन समस्याओं को शांतिपूर्ण रीति से सुलझाने की ओर मोड़ दिया जाएगा। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 62

सभापति महोदय, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरी सरकार प्रयत्नशील रहेगी और किसी भी प्रकार का किसी राष्ट्रपुंज से [525] कोई गठबंधन किए बिना सब देशों के प्रति मैत्री की नीति पर चलती रहेगी । अपने देश में जिन लोकतंत्रात्मक तरीकों से [550] हम आबद्ध हैं, उनमें समस्याओं को सुलझाने का शांतिपूर्ण तरीका निहित है । यदि लोकतंत्र को बचाए रखना है तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शांति का [575] वातावरण और समझौते की प्रवृत्ति अपनाई जानी चाहिए । संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा की बैठक निकट भविष्य में फिर होगी और उसमें उन गंभीर [600] समस्याओं पर विचार किया जाएगा जिन पर संसार में शांति अथवा युद्ध के महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्णय आश्रित है । मेरी यह हार्दिक आशा है कि [625] वे महान राष्ट्र जिनके प्रतिनिधि वहाँ इकट्ठे होंगे, संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणापत्र में समाविष्ट उद्देश्यों के परिपालन तथा समझौते की प्रवृत्ति को [650] बढ़ाने का प्रयास करेंगे । अफ्रीका महाद्वीप में, जो उपनिवेशवाद का आज भी सबसे बड़ा अड्डा है, हालत पहले से खराब हो रही है । [675] दक्षिण अफ्रीका में मूलवंशीय प्रभुता के सिद्धांत का खुले आम ढँढोरा पीटा जा रहा है और पूरी शक्ति से उसे लोगों पर लादा जा [700] रहा हे । संयुक्त राष्ट्रसंघ ने इस समस्या को तय करने के जो प्रयत्न किए हैं, दक्षिण अफ्रीका की सरकार उनकी अवहेलना कर रही है । [725] मूलवंशीय विभेद के विरुद्ध आंदोलन को, जो शांति और अनुशासनपूर्ण ढंग के लिए उल्लेखनीय है, ऐसे कानूनों और सरकारी कार्यवाही द्वारा कुचलने [750] की कोशिश की जा रही है जो लोकतंत्रात्मक तरीकों और संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र में उद्घोषित प्रयोजन की अवहेलना के लिए इससे पूर्व [775] कभी नहीं अपनाए गए । पूर्वी अफ्रीका में आज जो मूलवंशीय संघर्ष चल रहा है उसे यदि जनता के संतोष के साथ समाप्त न किया [800] गया, तो वह अफ्रीका के बहुत अधिक क्षेत्रों में भी फैल जाएगा। अब भी ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो इस बात को नहीं [825] पहचानते कि आज के संसार में मूलवंशीय प्रभुता और विभेद को सहन नहीं किया जा सकता और इनको जारी रखने के किसी भी प्रयास का परिणाम भयानक [850] ही होगा ।

पश्चिमी और दक्षिणपूर्व एशिया के हमारे पड़ोसी देशों से हमारे संबंध घनिष्ट और मैत्रीपूर्ण हैं और हममें पारस्परिक सहयोग की मात्रा [875] बढ़ती जा रही है । पाकिस्तान से भी जिससे कि दुर्भाग्यवश हमारे संबंध कुछ खिंचे से रहे हैं, हमारे संबंधों में कुछ सुधार हुआ है । [900] यह सुधार कुछ बड़ा नहीं है, किंतु यह ऐसा चिह्न है जिसका मैं स्वागत करता हूँ । दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच हाल में [925] हुए सम्मेलन मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुए और मुझे आशा है कि ये फलदायी सिद्ध होंगे । पारपत्र प्रणाली आरंभ किए जाने से दोनों [950] देशों में जो उथल-पुथल हुई थी वह अब शांत हो गई है और इसके कारण बहुत-सी कठिनाइयाँ पैदा हुई थीं । [975] वे अब धीरे-धीरे समाप्त की जा रही हैं । मुझे विश्वास है कि विश्व शांति के लिए हरेक देश प्रयत्नशील रहेगा ।[1000]

प्रतिलेखन संख्या - 63

महोदय, समीक्षाधीन वर्ष में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को और कारगर तथा सुदृढ़ बनाया गया। मंत्रालय के कार्यक्रमों में दूरगामी प्रभाव वाले [25] कई तरह के सुधार करने की पहल की गई। इन सभी सुधारों में मंत्रालय से संबंधित दो मुख्य मुद्दे हैं - ठोस जल संभरण विकास नीति [50] के जरिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को स्थायित्व प्रदान करना और इन कार्यक्रमों में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना। [75] ये नए कदम ऐतिहासिक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 की पृष्ठभूमि में उठाए गए थे जिनका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियाँ प्रदान [100] करना तथा ग्राम पंचायतों के स्तर तक सही मायनों में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। अब पहले से कहीं अधिक इस बात को [125] महसूस किया जा रहा है कि ग्रामीण गरीबी के दलदल में फँसी हुई काफी अधिक ग्रामीण जनता को इसके चंगुल से छुड़ाने [150] के लिए यह आवश्यक है कि हम ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में अधिक लोगों को शामिल करें। दसवीं योजना दस्तावेज के आमुख [175] में इस मौलिक मुद्दे का संक्षेप में उल्लेख किया गया है कि विकास कार्यों के लिए सरकार की ओर ताकते रहने तथा उस पर [200] पूरी तरह से निर्भर रहने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जिसे बदलना होगा। विकास की प्रक्रिया में लोगों को पूरी तरह से भाग लेना [225] चाहिए और सरकार को उसमें सहयोग करना चाहिए। लोगों की जरूरतों और निचले स्तर पर योजना बनाने में उनकी भागीदारी को मंत्रालय के [250] एजेंडा में शामिल किया गया है। इससे कार्यक्रमों की आयोजना तैयार करने हेतु ऊपर के स्तर से नीचे की ओर पहले से चली [275] आ रही पद्धति में निश्चित रूप से परिवर्तन आया है और यह लोगों, स्वैच्छिक एजेंसियों और सरकार का सहयोग लेने की प्रक्रिया से संभव [300] हुआ है। कार्यक्रमों में नई पहल के परिणामस्वरूप लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है और यदि यह प्रयास इसी गति से [325] आगे जारी रहा तो इससे निकट भविष्य में विकास की प्रक्रिया में उल्लेखनीय परिवर्तन आ सकता है।

इसी पृष्ठभूमि में वर्ष 2000-2001 में [350] मंत्रालय की उपलब्धियों को देखा जाना चाहिए। मजदूरी, रोज़गार तथा ऋण से जुड़े स्वरोज़गार कार्यक्रम गरीबी निवारण के कार्यक्रम हैं, जिन्हें [375] मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले काम की कार्यसूची में प्राथमिकता दी जाती रही है। गाँवों में कम उत्पादकता और अल्प रोज़गार सहित बेरोज़गारी [400] की समस्या से विशेष रूप से जुड़ी हुई अपनाई गई नीति ग्रामीण गरीबों पर तीव्रता से सीधा प्रहार करने की रही है। लक्ष्य यह है [425] कि इस शताब्दी के अंत तक जरूरतमंद लोगों को पूरा रोज़गार उपलब्ध कराया जाए। ग्रामीण विकास की योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य गरीबी को कम करना [450] है। इसके लिए केंद्रीय योजना आबंटन में 3 वर्षों के दौरान उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए [475] 2001-2002 में 7010 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है जोकि देश में ऐतिहासिक तथा सबसे अधिक आबंटन है। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 64

महोदय, बढ़ाई गई इस धनराशि से ग्रामीण विकास के लिए सरकार की इस चिंता और इच्छा शक्ति का पता चलता है कि वह [525] आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के जरिए और बिचौलियों के द्वारा उत्पन्न हर संभावित प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए बाजार ढाँचे में सुधार लाकर [550] ग्रामीण गरीबों को सुरक्षा प्रदान करना चाहती है। मंत्रालय के कार्यक्रमों में इतना अधिक निवेश पहले कभी नहीं किया गया है, इससे [575] वास्तव में ग्रामीण गरीबों को प्रभावी सुरक्षा मिलेगी । बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी और अल्परोज़गार की समस्या से निपटने के लिए नई-नई नीतियाँ [600] तथा कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का ध्यान विशेष तौर पर विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों और कृषि मजदूरों, मुक्त बंधुआ मजदूरों, छोटे [625] और सीमांत किसानों, कारीगरों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों आदि जैसे उपेक्षित वर्गों के विकास पर किया गया है । संक्षेप में इन कार्यक्रमों [650] का उद्देश्य गरीबी की प्रचंडता को कम करना तथा उसका उन्मूलन करना है । जवाहर रोज़गार योजना एकमात्र सबसे बड़ा रोज़गार कार्यक्रम है । [675] इसके अलावा गहन जवाहर रोजगार योजना उन अत्यधिक पिछड़े 120 जिलों में शुरू की गई हे, जहाँ बेरोज़गारी और अल्प रोज़गार की समस्या [700] काफी अधिक है, जहाँ लोग रोज़गार की तलाश में अन्य स्थानों पर पलायन कर जाते है, और जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की काफी कमी है । [725] जवाहर रोज़गार योजना और गहन जवाहर रोज़गार योजना से लगभग 1037 मिलियन श्रम दिनों का रोज़गार पैदा होने की संभावना है जिसके लिए केंद्र [750] का अंश 3,855 करोड़ रुपए है । इसी प्रकार सुनिश्चित रोज़गार योजना गरीबों को खेती के खाली मौसम के दौरान 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार [775] उपलब्ध कराने की दृष्टि से अक्तूबर, 1993 में शुरू की गई थी । इसने ग्रामीण क्षेत्रों में अपना स्थान बना लिया है और वहाँ [800] इसका बेरोज़गारी और अल्प रोज़गार की समस्या को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में काफी स्वागत किया गया है । [825]

इस योजना के अंतर्गत एक करोड़ से अधिक लोगों को पंजीकृत किया गया है जो कि देश के पिछड़े और कम साधन वाले खंडों में [850] निर्धनतम लोगों को रोज़गार की सुरक्षा तथा खाद्य उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण तथा मुख्य माध्यम है । शुरू में यह योजना सूखाग्रस्त, [875] मरुस्थली, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों के 1778 पिछड़े इलाकों में शुरू की गई थी जहाँ पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई है । [900] इस वर्ष से इस योजना को और 409 पिछड़े खंडों में लागू किया गया है । इस योजना से लोगों को मजदूरी, रोज़गार के लिए बहुत [925] बड़ा आश्वासन मिला है और उन्हें रोज़गार के लिए एक नई दिशा प्राप्त हुई है । यह योजना गति पकड़ रही है और चालू वर्ष के [950] दौरान 1200 करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय से लगभग 200 मिलियन श्रम दिनों का रोजगार सृजित होने की संभावना है । ग्रामीण गरीबों के सबसे कमजोर वर्गों [975] को मकान उपलब्ध कराना न केवल उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है बल्कि इससे उन्हें स्थायित्व मिलता है तथा एक सामाजिक स्तर उपलब्ध होता है । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 65

महोदय, आधारभूत, युक्तिपरक, व्यावहारिक और अनुकूलित अनुसंधान निरंतर और अबाध गति से चलने चाहिए । नीतिगत प्रश्नों को सुलझाने के लिए अधिक अनुसंधान [25] प्रयासों की आवश्यकता होगी । क्योंकि अंततः इन्हीं के आधार पर उत्पादन प्रणालियों को अपेक्षित स्थायित्व मिल पाएगा । प्रथम पंक्ति में आने के लिए भारतीय [50] कृषि अनुसंधान को श्रेष्ठता के केंद्रों और कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक बंधनों को मजबूत बनाना होगा । [75] बदलते परिवेश में किसी भी तंत्र की दक्षता और प्रभावशीलता परखने के मानदंड भी मात्रात्मक से गुणात्मकता की ओर परिवर्तित हो रहे हैं । [100] अंतिम विश्लेषण में हम यही पाते हैं कि किसी भी वैज्ञानिक संगठन की सामर्थ्य अब भौतिक साधनों से नहीं आँकी जाएगी बल्कि उसके निष्पादन [125] पर आधारित होगी । कृषि अनुसंधान में प्रभाव मूल्यांकन अभी तक अनुसंधान में किए गए निवेश और नई तकनीकों के प्रसार और अंगीकरण के आर्थिक लाभों [150] को लेकर ही मुख्यतया आँके गए हैं। प्रभाव मूल्यांकन से यह पता चलता है कि कृषि अनुसंधान के अंतिम सुफल प्राप्त करने में आर्थिक नीतियों [175] और प्रौद्योगिकी की परस्पर क्रिया का क्या प्रभाव पड़ा । जिस समय अनुसंधान नियोजित किया जा रहा है या प्रायोजना क्रियान्वित की जा रही है, उसी [200] समय मूल्यांकन कर लिया जाए तो नीति निर्माताओं को अनुसंधान की भावी दिशाएँ खोजने में सहायता मिलती है । अतः इस बात की तीव्र आवश्यकता है कि [225] राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली में उसकी क्षमताओं को आँकने के लिए आंतरिक समीक्षा का कार्यक्रम चलाया जाए ताकि प्रभाव मूल्यांकन की अंतर्निहित [250] व्यवस्था मजबूत बने । इस तरह के अभ्यासों से अनुसंधान कार्यक्रमों में व्याप्त रिक्तियों की पहचान होगी और कार्यक्रम की कमजोरियों को दूर करके, [275] जहाँ जरूरी है वहाँ काट-छाँट या मजबूत बनाने का निर्णय लिया जा सकेगा । इसके साथ ही उपलब्धियों और बाधाओं का सही विवेचन [300] करने तथा खेतों तक पहुँचाने के लिए तैयार तकनीकों को पहचानने में मदद मिलेगी ।

कृषि के फलस्वरूप आए व्यापक परिवर्तन का प्रभाव बहुत [325] स्पष्ट है, जैसे कि (क) सन् 1961 में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की कुल उपलब्धता 468 ग्राम थी जोकि 55 साल बाद सन् 2001 [350] में 40 प्रतिशत बढ़कर 2 किलो प्रति व्यक्ति प्रति दिन हो गई । 101 करोड़ की आबादी को देखते हुए यह उपलब्धि थोड़ी [375] नहीं है, (ख) भूख और खपत के बीच की असमता को समाप्त करना, (ग) समाज के सभी वर्गों को सामर्थ्य के अनुसार उचित [400] दामों पर राशन उपलब्ध कराना, और (घ) विविध कृषि उत्पादों और प्रशोधित उत्पादों के निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी। अनाज और खाने के तेल [425] के निर्यात में कमी से विदेशी मुद्रा की बचत को अलग करते हुए भी कृषि क्षेत्र से निर्यात की राशि गत वर्ष 100 अरब रुपये [450] की सीमा को पार कर गई । इन उपलब्धियों के बावजूद और माँग में वृद्धि को देखते हुए कृषि उत्पादन की ओर से आपूर्ति में भी [475] वृद्धि का वही स्तर बनाए रखते हुए भी हम अपनी भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की ढील नहीं दे सकते । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 66

महोदय, उदाहरण के लिए खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता का वर्तमान स्तर बनाए रखने के लिए भी हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर साल खाद्यान्न में कम से कम 70 लाख टन की वृद्धि बराबर होती रहे । वर्तमान में अनेक प्रकार की बाधाओं को देखते हुए यह स्वाभाविक ही है कि हम अपने भीतर झाँककर इस प्रश्न का उत्तर खोजें कि क्या अगले दो दशकों में उत्पादन वृद्धि की वर्तमान दर को बनाए रखने और इसी रफ्तार से बढ़ाए रखने की संभावनाएँ उपलब्ध हैं अथवा नहीं । इसके साथ ही हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि हमारे अनुसंधान का आधार क्या इतना मजबूत है कि इन भावी चुनौतियों का टिकाऊ आधार पर सामना कर सकें । भारत सरकार की नई कृषि नीति को देखें तो उसमें यह लक्ष्य रखा गया है कि ग्रामीण भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा बराबर बनी रहे, आमदनी बढ़ाने और रोज़गार के अवसर बढ़ते रहें । इस दृष्टि से टिकाऊ कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण नीतियाँ कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए । खाद्य उत्पादन में पौध प्रारूप को सुधार कर विकसित की गई गेहूँ और धान की अधिक उपजशील किस्मों और मक्का, ज्वार तथा बाजरा में संकर ओज का उपयोग करके ही विशाल प्रगति की गई । लेकिन अब भी इन फसलों की उन्नत किस्मों की आनुवंशिक संभावनाओं का पूरा-पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया, नहीं तो किसानों के खेतों पर और प्रयोगशालाओं के खेतों पर उपज के स्तर में इतना भारी फर्क देखने को नहीं मिलता । उदाहरण के लिए मध्यम अवधि वाले बौने धान की किस्में छह टन प्रति हैक्टर तक पैदावार दे सकते हैं, जबकि सिंचित क्षेत्रों में इन किस्मों की औसत उपज तीन टन प्रति हैक्टर भी नहीं है । इससे साफ पता चलता है कि बौने धान की उपज संभावना का केवल 40 से 50 प्रतिशत इस्तेमाल किया गया । यही बात गेहूँ, ज्वार और बाजरा पर भी लागू होती है । यदि उपज को अस्थिर बनाने वाले कारकों को पहचान कर उनका सुधार कर दिया जाए तो इस समय उपलब्ध किस्मों का ही उपयोग करके अगले वर्षों में ढाई करोड़ से तीन करोड़ टन अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा किया जा सकता है ।

जहाँ तक बाधाओं की बात है, जैविक और अजैविक दबाव 30 से 35 प्रतिशत तक उपज तबाह कर देते हैं । यदि किस्मों और संकरों में बाधा का वांछित स्तर दिया जाए और समेकित कीट प्रबंध की तकनीकें अपनाई जाएँ तो यह हानि काफी हद तक कम की जा सकती है । पोषक तत्वों के असंतुलित और कम मात्रा में उपयोग करने, अनुचित किस्मों को चुनने और घटिया बीज के कारण भी उपज की बहुत हानि होती है, जिसे कम किया जा सकता है । इस तरह उपज का अधिकतम स्तर प्राप्त किया जा सकता है । हाल ही के वर्षों में जहाँ नई तकनीकें नहीं पहुँची हैं, वहाँ उनका प्रसार करके आशातीत सफलताएँ मिली हैं। उदाहरण के लिए पूर्वी राज्यों में 'बोरो' यानी बसंत के मौसम में धान के क्षेत्र में विस्तार हुआ है ।

प्रतिलेखन संख्या - 67

महोदय, मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग जो आदिम जातियों के हित में अपने-अपने तरीकों से कार्य करने में रत [25] रहे हैं और जिन्हें आदिमजातियों की सेवा करने का प्रयास करने वालों के सामने आने वाली समस्याओं से अब तक काफी परिचय हो गया है, [50] आज इस सम्मेलन में इस विचार से समवेत हुए हैं कि इस महान समस्या पर सम्मिलित रूप से विचार किया जा सके और आदिमजातीय लोगों [75] की सेवा के लिए एक समन्वित योजना तैयार की जा सके। भारत के संविधान ने देश की सरकार का यह अनिवार्य कर्तव्य विहित कर दिया [100] है कि वह इस समस्या पर विशिष्ट ध्यान दे। अपने इस अनिवार्य कर्तव्य का पालन करने के लिए सरकार ने इस कार्य की देख-भाल [125] हेतु एक विशिष्ट पदाधिकारी नियुक्त किया है। आप सब लोग श्री लक्ष्मीदास श्रीकांत को जानते हैं। आदिमजातियों के हितार्थ कार्य करना उनके [150] जीवन का उद्देश्य है और अब तक रहा है। किंतु यह समस्या इतनी उलझी हुई और जटिल है कि इसके लिए अनेक विचारवान व्यक्तियों [175] के सहयोग की आवश्यकता है और इसलिए आज आप यहाँ एकत्रित हुए हैं जिससे आप इस समस्या के स्वरूप को और अधिक स्पष्ट [200] करने तथा इसको शीघ्र सुलझाने के लिए प्रभावी कार्यक्रम तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण अंशदान कर सकें।

भारत में अनुसूचित आदिमजातियों के नाम से [225] ज्ञात लोगों की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। वे समस्त देश में फैले हुए हैं किंतु उनकी जनसंख्या का बड़ा भाग बिहार, बंबई, [250] उड़ीसा, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्यभारत, मद्रास और राजस्थान के राज्यों में है। उनसे संबंधित अनेक समस्याएँ हैं जिनका सहानुभूतिपूर्ण और [275] समझ-बूझ से हल करना आवश्यक है। वे देश की अन्य जनसंख्या से बहुत बातों में भिन्न हैं। उदाहरणार्थ उनकी भाषाएँ विभिन्न हैं, [300] उनके रीति-रिवाज भिन्न हैं, उनके रहन-सहन का तरीका अलग है और साधारणतया यह कहा जा सकता है कि वे इन [325] विभेदों के कारण अन्य लोगों से सहज में ही अलग पहचाने जा सकते हैं। परस्पर भी वे लोग एक-दूसरे से बहुत भिन्न हैं। [350] विभिन्नताओं के कारण उनकी समस्या को सुलझाना कठिन हो जाता है। वे देश के अनेक भागों में जंगल भरे पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं [375] और इसलिए उन तक पहुँचना सरल बात नहीं है। इस कारण भी वे समाज के अन्य लोगों से न्यूनाधिक अलग बने रहे हैं। [400] यह स्वाभाविक है कि वे लोग शिक्षा में अन्य लोगों से पिछड़े हुए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब है। कुछ स्थानों में [425] तो उन्होंने खेतीबाड़ी आरंभ कर दी है किंतु अनेक स्थानों में वे अभी स्थायी दृष्टि से कृषक नहीं हो पाए हैं। वे जो कुछ [450] खेती-बाड़ी करते हैं वह भी बहुत ही पुराने युग की सी है। उनके यहाँ कातने-बुनने की किस्म के कुछ कुटीर-उद्योग हैं [475] और कुछ आदिमजातियाँ तो बुनावट में बड़ी ही सुंदर डिजाइन डाल लेती हैं। ये साफ-सुथरे और खूबसूरत बने हुए घरों में रहते हैं। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 68

महोदय, सामान्यतः जीवन की आधुनिक सुविधाओं में से उन्हें कोई भी प्राप्त नहीं है। संसार के विभिन्न देशों में ईसाई धर्म प्रचारकों तथा संस्थाओं ने 525 उनमें काफी काम किया है । उन्होंने उनमें शिक्षा का प्रसार किया है और उनकी रहन-सहन की स्थिति में भी सुधार करने में 550 काफी सहायता की है । ईसाई धर्म प्रचारक उन्हें ईसाई बनाने में भी सफल हुए हैं। आस-पास की जनसंख्या में घुलमिल 575 जाने की एक अन्य अज्ञात और संभवतः अदृष्ट क्रिया भी बराबर चलती रही है और विशेषतया जिन प्रदेशों में वे रहते हैं उनके छोर 600 वाले क्षेत्रों में आज भी ऐसे लोग बसे हुए हैं जिनमें से अनेक किसी न किसी समय वहाँ की आदिमजातियों की जनसंख्या 625 के भाग अवश्य रहे होंगे। किंतु वे लोग उस प्रदेश के समाज में इस प्रकार आत्मसात हो गए और घुलमिल गए हैं कि 650 अब यह संभव नहीं कि उन लोगों को वहाँ के अन्य लोगों से अलग पहचाना जा सके । मेरा अपना यह विश्वास है कि आदिमजातियों 675 और अन्य भारतीयों के बीच बहुत काफी रक्त अभिमिश्रण हुआ है और यदि कोई यह कहे कि उदाहरणार्थ तथाकथित बिहार के हिंदुओं की 700 उच्च जातियों में से अनेकों में ऐसा अभिमिश्रण नहीं हुआ है तो वह सचमुच में ही अनुचित साहस करने का दोषी होगा। ऐसे लोगों 725 का अभाव नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए इन लोगों के शिक्षा में पिछड़े होने के कारण इनका शोषण करने में रुकते नहीं । 750 अतः हमें जिस समस्या को बड़े पैमाने पर हल करना है वह यही है कि हम ऐसी सुविधाएँ पैदा करें जिनसे ये आदिमजातियाँ शिक्षा 775 और आर्थिक विकास के क्षेत्र में अन्य लोगों के स्तर पर आने में समर्थ हो सकें ।

प्रश्न यह उठता है कि हम उनके लिए 800 किस प्रकार की उन्नति और प्रगति चाहते हैं । क्या यह वांछनीय नहीं है कि उन्हें ऐसी सुविधाएँ प्रदान की जाएँ जिनसे वे अपनी 825 रीति-रिवाज़ों, रहन-सहन और संस्कृति को बनाए रखकर भी अपना आर्थिक और अन्य प्रकार का विकास कर सकें ? चाहे जो कोई भी तरीका 850 अपनाया जाए, एक बात तो मान ही लेनी है और हर हालत में उस पर चलना है । वह यह है कि धर्म, भाषा, रहन-सहन, 875 अथवा रीति-रिवाज़ों की दृष्टि से उन पर किसी चीज को लादने का विचार या अभिप्राय न तो हो सकता है और न होना ही 900 चाहिए । यह बात बिलकुल न्यायसंगत नहीं हो सकती कि हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी उन पर लादें । मेरा अपना विचार है 925 कि हमें उनकी शिक्षा और उनके आर्थिक जीवन में साधारण दृष्टि से सुधार के लिए उन्हें सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए और यह बात 950 उन पर छोड़ दी जाए कि वे अपने चारों ओर के समाज से घुलमिल जाना चाहते हैं अथवा अपना 975 अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। अपने यहाँ की रहन-सहन की विभिन्नताओं के कारण भारत में आदिमजातियों के लिए इस बात के लिए पर्याप्त अवसर है । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 69

सभापति महोदय, स्त्री के शोषण से उद्वेलित और उसके आर्थिक तथा सामाजिक हितों की रक्षा में सभी लोग आज यह मानकर चल रहे [25] हैं कि भारतीय स्त्री के चारों ओर यदि कानून का ऊँचा घेरा डाल दिया जाए तो वह बहुत कुछ सीमा तक शोषण से मुक्त [50] तथा सुरक्षित हो जाएगी। यकीनन कानून की सत्ता के प्रति इनकी गहरी आस्था यह संकेत देती है कि अनेक कानूनी अधिकारों से वंचित [75] होने के कारण ही भारतीय स्त्री उत्पीड़ित और शोषित है। इनके पास उनकी बहुत-सी समस्याओं का सीधा-सादा समाधान है : कानून [100] के रामबाणों का निर्माण। इन रामबाणों के हाथ में आते ही भारतीय स्त्री सबल और सक्षम हो जाएगी। कानून की शक्ति के प्रति [125] इनका विश्वास इस तथ्य के बावजूद भी है कि अब तक जितने कानून बने हैं, यथार्थ और व्यवहार के धरातल पर, आमतौर से [150] काठ की तलवार ही साबित हुए हैं। काठ की तलवार तभी तक भयभीत कर सकती है जब तक उसे दूर से चमकाया [175] जाता है या उसे आजमाया नहीं जाता। इसके भरोसे जो स्त्री संघर्ष में विजयी होने का स्वप्न देखती है, उसे यह स्वप्न [200] बहुत महँगा पड़ता है। कानून की पुस्तकों में बताए अधिकारों को जीवन के यथार्थ में उतारने के साधन सामान्य भारतीय स्त्री के पास नहीं हैं। [225] जो मुट्ठी खाली है, कानून भी उस मुट्ठी के बाहर रहता है। इसके साथ समय और शिक्षा का अभाव और जुड़ जाता है। [250] भारतीय स्त्री की लाचारी मूलतः साधनों की लाचारी है। इसलिए उसके पक्ष में बनाए गए कानून भी उसके जीवन को नई [275] दिशा देने में तब तक असफल ही रहेंगे जब तक भारतीय स्त्री साधनसंपन्न नहीं हो जाती।

शोषण के कई मामले ऐसे भी हैं जिनसे [300] भिड़ने का रास्ता कानून के पास भी नहीं है। अविवाहित स्त्री का परिवार द्वारा सम्मिलित शोषण इस प्रकार के शोषण का सबसे अप्रिय [325] उदाहरण है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें शोषण पुरुष समुदाय के साथ-साथ स्त्री का योगदान लगभग बराबर का ही होता है। [350] आज़ादी के बाद के दशकों की तुलना हम आज करें तो एक नए समाज का रूप उभरकर सामने आता है। शहरी निम्न मध्यम वर्ग [375] और कुछ सीमा तक मध्यम वर्ग में भी शिक्षित अविवाहित स्त्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है किंतु इस वर्ग में अविवाहित स्त्रियों [400] की बढ़ती संख्या को नारी मुक्ति के साथ जोड़ना सरासर गलत होगा। यह नारी मुक्ति का नहीं, उस पर हो रहे एक नए प्रकार के [425] शोषण का प्रमाण है। आज इस वर्ग के माता-पिता का अपनी कमाऊ बेटी के पीले हाथ करने के प्रति उत्साह घटता जा रहा है। [450] वे उसे हर तरह से अविवाहित रहने को प्रेरित करते हैं। जहाँ प्रेरणा पर्याप्त नहीं होती वहाँ युक्तियाँ भिड़ाकर उसे अविवाहित रखा जाता है। [475] हालाँकि बहुत-सी लड़कियों ने खुद अविवाहित रहना एक जीवनशैली के रूप में चुना है और अपने रहने के लिए एक अलग ठिकाना भी बनाती हैं। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 70

सभापति महोदय, इस कारण परिवार वाले उस पर हावी नहीं हो पाते । ऐसी अविवाहित स्त्री अपने आचरण की संहिता भी स्वयं गढ़ती है । यहाँ केवल [525] उन अविवाहित स्त्रियों की ओर संकेत किया जा रहा है जिनको परिवार ने किसी स्वार्थवश किसी भी प्रकार के जीवन का चुनाव [550] करने का अवसर नहीं दिया है जो माँ बाप द्वारा तय किए गए जीवन को ही जीने को मजबूर हैं । बहुत-से अभिभावक सामाजिक [575] रूप से काफी प्रगतिशील हो गए हैं । उन्हें यह स्वीकार नहीं है कि धन कमाने वाली बेटी को 'पराया धन' मानकर किसी पराए के [600] साथ घर से विदा कर दिया जाए । अपनी कमाऊ बेटी को अपनी ही बनाए रखना उनका ध्येय बन गया है । इस ध्येय तक [625] पहुँचने के लिए वे प्रशंसा बाणों का सहारा भी लेते हैं "वैसे तो सब नालायक हैं, पर बेटी बहुत जिम्मेदार है ! हमे अकेला छोड़ने [650] को तैयार नहीं है । इसलिए शादी का नाम लेते ही गुस्सा हो जाती है । हमारी बेटी तो बेटों से बढ़कर है, सारा [675] उसी पर टिका है ।" जिम्मेदार होने का आला खिताब पाने के बाद बेटी का तन-मन-धन से माता-पिता की सेवा में समर्पित हो [700] जाना स्वाभाविक है । इसमें उसे नैतिक रूप से भाइयों से आगे निकल जाने का मानसिक संतोष भी मिलता है । प्रशंसात्मक ऐसे जुमले वास्तव में [725] एक मनोवैज्ञानिक अस्त्र का काम करते हैं । अपनी हर आज्ञा मनवाने वाले माता-पिता बेटी के जीवन के अहम प्रश्न पर उसकी तथाकथित [750] इच्छा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं । बेटी की ऐसी इच्छा में उन्हें विद्रोह की गंध नहीं आती । अतः ऐसे में किसी प्रतिवाद या [775] भर्त्सना का प्रश्न भी नहीं उठता है । इस विद्रोह को जग जाहिर करके वे एक गहरे गौरव का अनुभव करते हैं । अविवाहित स्थिति को [800] स्वीकार करके बेटी अपने शरीर के नकार को भी स्वीकार कर लेती है ।

भारतीय परंपरा में शरीर के नकार का ऊँचा स्थान है । [825] शरीर का यही नकार संतो की सबसे बड़ी पहचान है । संतों का अनुसरण करके बेटी माँ-बाप का यश बढ़ा देती है, [850] विवाह के लिए बेटी की अनिच्छा के सार्वजनिक प्रचार के पीछे एक विशेष उद्देश्य छिपा रहता है, माता-पिता का अपनी सार्वजनिक आलोचना से बचाव । [875] उन्हें इस बात का भी पूरा भरोसा है कि उनके सार्वजनिक प्रचार के प्रतिवाद में बेटी अपने होठ नहीं खोलेगी । खुल कर शादी [900] की इच्छा व्यक्त करना, इस वर्ग की शहरी लड़कियों के लिए भी उतनी ही लज्जाजनक बात है जितनी गाँवों में रहने वाली लड़कियों [925] के लिए है । विवाहित स्त्री का गौरव यदि पतिव्रता होने में है तो अविवाहित स्त्री का परिवार-व्रता होना ठहरा दिया जाता है । [950] परिवार-व्रता को अपना आचरण किन नियमों के अनुसार ढालना चाहिए, ये सब माता-पिता द्वारा रचित आचार संहिता में विस्तार से दर्ज कर दिया जाता है [975] जैसे पतिव्रता पर-पुरुषों पर दृष्टि नहीं डालती है, वैसे ही परिवार-व्रता परिवार से परे पुरुषों को कोसों दूर रखने को बाध्य है । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 71

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि गंगा नहर शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन के लिए मैं यहाँ आ सका। यह नहर भारत की वर्तमान नहरों [25] में शायद सबसे पुरानी है। इस नहर से इस क्षेत्र के लोगों को जो अनेक लाभ पहुँचे हैं और अनाज तथा बिजली के उत्पादन [50] से यहाँ जिस संपन्नता के युग का आरंभ हुआ है, उसके कारण नदियों की उपयोगिता में जनसाधारण का परंपरागत विश्वास और भी दृढ़ [75] हुआ है। इस देश में नदियों को सदा ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। आज भी हम नदियों को सिंचाई का और इसके द्वारा [100] धनधान्य की उत्पत्ति का सर्वोत्तम साधन मानते हैं और उन्हें यातायात का साधन भी समझते हैं। आधुनिक विज्ञान ने नदियों की उपयोगिता में कुछ [125] और वृद्धि कर दी है जिसमें सबसे प्रमुख जलप्रपात द्वारा विद्युत शक्ति का उत्पादन है। हमारे देश में नदियों का जाल बिछा हुआ [150] है। मैं समझता हूँ कि सिंचाई की दृष्टि से संसार में भारत का स्थान दूसरा है। केवल एक देश ही हमसे आगे बढ़ा है। [175] भारत की जनता के लिए यह बात महत्वपूर्ण है कि नहरों की इस शृंखला का श्रीगणेश इस देश में गंगा की नहर से हुआ। [200] पुनीत पावन गंगा जो एक प्रकार से हमारे प्राचीन साहित्य और पौराणिक विचारधारा का आधार रही है और जो आज भी भारतीय साहित्य तथा भारतीयों [225] के सामाजिक और धार्मिक रीति-रिवाज़ों पर छाई हुई है, हमारे इतिहास में एक विशेष स्थान रखती है। अब से हजारों वर्ष पूर्व भी यहाँ [250] के लोग गंगा को पावनता का स्रोत और वरदानदात्री मानते थे। इसीलिए आज यदि वास्तव में भारत के सबसे बड़े राज्य [275] के एक भाग ने अपनी संपन्नता गंगा की नहर से प्राप्त की है, तो हम यही कह सकते हैं कि पुरातन विचारधारा इतिहास के रूप [300] में प्रकट हुई है। यह तथ्य चाहे एक संयोग-मात्र ही हो, किंतु हम सबके लिए निश्चय ही इसका महत्व है।

संभव है [325] कुछ लोग सोचें कि सौ वर्ष पुरानी किसी घटना को इस प्रकार सामने लाकर उत्सव के रूप में मनाने का क्या अभिप्राय है। ऐसी शंका [350] का आधार मानव स्वभाव से अनभिज्ञ और प्रेरणा के एक महत्वपूर्ण स्रोत को ग्रहण न करने की इच्छा ही हो सकता है। बीती बातों पर [375] विवेकपूर्ण विचार का अपना ही महत्व है। इसके द्वारा ही क्रमागत उन्नति संभव है। इसीलिए अतीत की सफलताओं को भावी प्रगति की [400] नींव माना जाता है। आप मुझसे सहमत होंगे कि गंगा नहर मानव-कल्याण और वैज्ञानिक विकास, दोनों की दृष्टियों से एक महान सफलता है। [425] आज जबकि हम इस सफलता की शताब्दी मना रहे हैं तो अनिवार्य रूप से इससे हमें स्फूर्ति और प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर [450] हमें उन इंजीनियरों के प्रति भी आभार प्रगट करना चाहिए जिनके परिश्रम और सतत प्रयास के कारण ही यह योजना फलीभूत हो सकी। [475] आज हमें कर्नल कोटले और उनके साथी विदेशी महानुभावों का स्मरण होता है जिन्होंने निजी प्रयत्नों से इस कठिन कार्य को संपन्न किया। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 72

उपाध्यक्ष महोदय, आज यहाँ गंगा के पुल का शिलान्यास करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है । बिहार में गंगा पर यह पहला पुल होगा [525] और मैं भली प्रकार जानता हूँ कि इस राज्य के लोगों के लिए यह कितना बड़ा वरदान है और इसके द्वारा कितनी बड़ी आवश्यकता [550] की पूर्ति होगी । मैं इसी राज्य का रहने वाला हूँ और अपने सार्वजनिक जीवन में मुझे बराबर इस राज्य के सभी भागों का दौरा करने [575] का अवसर मिला है । इसलिए मैं निजी अनुभव से कह सकता हूँ कि इस पुल के निर्माण से बिहार के लोगों को विशेष रूप [600] से और देश के लोगों को साधारण रूप से अनेक सुविधाएँ प्राप्त होंगी । बिहार के मध्य से होकर गंगा प्राचीनकाल से बहती आ रही [625] है और आरंभ से ही इसके कारण यह राज्य दो भागों में विभक्त रहा है जो मिथिला और मगध के नाम से प्रसिद्ध थे । [650] प्राचीन काल में जबकि यातायात के साधन इतने उन्नत नहीं थे और लोगों को प्रायः महीनों तक लंबी यात्रा करनी पड़ती थी और जब [675] भारत के सभी भूभागों में आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था का आधार थी, उस समय संभव है इस प्रदेश में गंगा पर पुल का [700] अभाव इतना न खलता हो । परंतु आज के युग में विज्ञान के आविष्कार स्थान तथा दूरी पर विजय पा चुके हैं और यातायात के गतिमय [725] साधनों का बहुत महत्व है । इसलिए उत्तर तथा दक्षिण बिहार के बीच सीधा रेल तथा सड़क मार्ग न होना निश्चय ही बहुत बड़ी असुविधा [750] है । बिहार के इन दोनों भूभागों की अर्थ-व्यवस्था ऐसी है कि अपने पूर्ण विकास के लिए एक भाग दूसरे पर निर्भर करता है । [775] उत्तर बिहार कृषि-प्रधान क्षेत्र है और वहाँ गन्ना तथा खाद्यान्न भारी परिमाण में होते हैं, किंतु दक्षिण बिहार कोयला, लोहा, तांबा, अभरक, सीमेंट आदि [800] खनिज पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं पदार्थों द्वारा आधुनिक उद्योगों की मौलिक आवश्यकताएँ पूरी होती हैं । यातायात के साधन दोषपूर्ण होने के कारण [825] उत्तर बिहार के विकास पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है । क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि धनबाद से दिल्ली कोयला पहुँचाना गंगा के [850] उस पार उत्तरी बिहार के जिलों में पहुँचाने की अपेक्षा कहीं अधिक सरल है ।

इस शताब्दी के आरंभ में इन असुविधाओं का अनुभव किया जाने [875] लगा और तभी मोकामाघाट के निकट नाव द्वारा यात्री और सामान इधर-उधर ढोने के स्थान पर गंगा पर पुल बनाने की चर्चा होने लगी । [900] गंगा के दोनों ओर दो विभिन्न रेल कंपनियों की गाड़ियाँ चलती थीं। इन कंपनियों का दृष्टिकोण विशुद्ध रूप से व्यापारिक था । इसलिए लोगों [925] की सुविधा अथवा देश के यातायात साधनों के विकास की अपेक्षा वे अपने लाभ और साझेदारों के लाभ को अधिक ऊँचा स्थान देती थीं । यही [950] कारण है कि पुल के संबंध में यद्यपि 40 वर्ष तक सोच-विचार होता रहा किंतु दूसरे विश्व युद्ध तक कोई निर्णय नहीं किया जा सका । [975] जब कभी यह प्रश्न रेल अधिकारियों के सामने आया, इस पर रेल कंपनियों के साझेदारों के लाभ-हानि की दृष्टि से ही विचार किया गया । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 73

महोदय, मेरा यह हार्दिक विश्वास है कि जो बड़े-बड़े काम हमारे सामने हैं, उन्हें करते समय आप भारत के इस प्राचीन तथा चिर-नवीन [25] संदेश को याद रखेंगे और छोटे उद्देश्यों की तुलना में राष्ट्र और मानवता के हित की ओर अधिक ध्यान देकर सहकारी प्रयास की भावना से [50] कार्य करेंगे। हमें भारत की एकता का, अर्थात् अपने भावी भाग्य निर्माण के लिए प्रयत्नशील स्वतंत्र लोगों की एकता का निर्माण करना है। इसलिए [75] हमें उन सब प्रवृत्तियों को, जो इस एकता को क्षीण करती हैं तथा हम लोगों में एक दूसरे के बीच दीवारें, सांप्रदायिक दीवारें, [100] प्रांतीयता की दीवारें और जातपाँत की दीवारें खड़ी करती है, खत्म कर देना है। अनेक राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर मतभेद होगा और होना [125] भी चाहिए, किंतु यदि भारत और उसके लोगों का हित ही हमारा प्रधान उद्देश्य हो और हम इस बात को समझें, जैसा कि [150] हमें समझना ही चाहिए, कि इस हित की प्राप्ति पारस्परिक सहयोग और लोकतंत्रात्मक रीतियों से ही की जा सकती है तो ये मतभेद हमारे [175] सार्वजनिक जीवन को समृद्ध ही करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसी दृष्टिकोण से देश की समस्याओं को हल करें और [200] संसार के अन्य देशों के साथ निर्भयतापूर्वक और मैत्रीपूर्ण ढंग से व्यवहार करें। आज सारा संसार किसी आने वाली विपत्ति के भय से भयभीत [225] है। किसी व्यक्ति अथवा किसी राष्ट्र का उत्कर्ष भय से नहीं होता, वह तो जैसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है, केवल अभय से [250] ही हो सकता है।

हमने संसार के सभी देशों के साथ बराबर मैत्री की नीति बरती है और यद्यपि कभी-कभी इसके बारे [275] में भ्रांति हुई है तो भी इस नीति को दूसरे लोग अधिकाधिक समझने लग गए हैं और इसका परिणाम भी अच्छा हुआ है। [300] मुझे विश्वास है कि हम इस नीति का दृढ़ता से पालन करते रहेंगे और आज संसार के अधिकांश भागों में जो तनातनी है, इस प्रकार [325] उसको कुछ कम करने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती क्योंकि हम अपने देश में [350] दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। जहाँ कहीं संभव हुआ है, हमने सहयोग से ही काम लिया है और हम शांति-स्थापना में सहायता [375] देने के लिए सदा तत्पर हैं। हम अपनी सहायता का भार किसी पर लादना नहीं चाहते किंतु हम इस बात को समझते हैं [400] कि आज के संसार में कोई भी देश बिल्कुल अलग होकर नहीं रह सकता और यह अनिवार्य भी है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता रहे [425] ताकि सुदूर भविष्य में मानव जाति की उन्नति के लिए संसार के सारे राष्ट्र महान सहकारी प्रयास में सम्मिलित हो जाएँ। प्राय: एक वर्ष से [450] कोरिया में विराम संधि स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है जिससे उन बहुतेरी समस्याओं को, जिन्होंने सुदूरपूर्व एशिया में [475] उथल-पुथल मचवा रखी है, शांतिमय ढंग से निबटाया जा सके। मैंने कई बार यह आशा प्रकट की है कि ये प्रयत्न सफल होंगे। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 74

महोदय, आज जितनी तेजी के साथ लोगों के ख्यालों में तबदीली हो रही है उससे इंसान यह महसूस करने लगा है कि वह जो 525 चाहे कर सकता है और करा सकता है । मगर वह करने और कराने की ताकत क्या है ? वह एक दिन के अंदर कोई एक शहर 550 ही नहीं सैकड़ों इलाकों को बर्बाद कर सकता है । अभी तक किसी आदमी के हाथ में बर्बाद करने की ताकत के अलावा पैदा करने की 575 ताकत नहीं आई है । हो सकता है कभी वह ताकत भी आ जाए । पर आज बर्बाद करने की ताकत है, पैदा करने की ताकत नहीं । 600 गांधी जी जिस समाज का स्वप्न देखा करते थे वह एक ऐसा समाज था जिसमें सब लोग खुशहाल होंगे और किसी को किसी दूसरे को 625 सताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इंसान, इंसान रहेगा । वह न तो शैतान बनने की कोशिश करेगा और न खुदा बनने की । वह चाहते थे 650 कि मनुष्य के लिए चारों तरफ से जो हदें बांधी गई हैं, उन्हीं के अंदर रहकर जितनी हो सकती है वह अपनी उन्नति करें 675 पर उन हदों के बाहर न जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज साइंस की काफी तरक्की हो गई है, पर किस ओर ? आज रोगों 700 की परीक्षा के तरीकों में बहुत कुछ तरक्की हो गई है और साथ ही साथ रोगों में भी तरक्की होती जा रही है । इस दौड़ 725 का एक ही नतीजा हो सकता है कि हजारों की तादाद में रोगियों की संख्या बढ़ती जाए । जहाँ सिर्फ नाड़ी देखकर ही सब कुछ 750 पहचाना जाता था, वहाँ आज कम से कम पाँच-सात लेबोरेटरीज़ की जरूरत पड़ती है ।

इसी तरह से जहाँ घर में चरखा चलाकर हम 775 अपना कपड़ा बना सकते थे वहाँ आज हमको रुई दुनिया के एक कोने से लानी पड़ती है । उसे लाने के लिए जहाज, रेल आदि 800 हर तरह के वाहनों की जरूरत पड़ती है । इसके अलावा उसे एक कारखाने से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे में भेजना 825 पड़ता है और उसके बाद एक दुकान से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी में । तब कहीं हमारे घर में कपड़ा आता 850 है । जिसको हम पहले आसानी से घर पर तैयार कर लिया करते थे, उसमें अब कितनी देर होती है । मैं यह नहीं कहता कि 875 जो कुछ हुआ है, सब गलत हुआ है क्योंकि ऐसा कहने से लोग समझते हैं कि यह पिछड़ा आदमी है । हम तो यह 900 चाहते हैं कि साइंस के द्वारा आज हमें जितनी अच्छी चीजें मिलनी हैं उनमें से हम एक को भी न छोड़ें और उनसे 925 जो लाभ उठा सकते हैं जरूर लाभ उठाएँ । मगर इसके पहले हम यह सोच-समझ लें कि किसी चीज की कीमत क्या है और 950 यह हमें कहाँ तक ले जाएगी और किस ओर । यदि हम इतना समझ-बूझकर करेंगे तो इंसान, इंसान रह सकता है । मैं 975 यही चाहता हूँ कि जो रचनात्मक कार्यक्रम गांधी जी ने बताया वह बहुत अनुभव के बाद इन सब चीजों को परख करके ही उन्होंने निकाला था । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 75

डिप्टी स्पीकार महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने मुझे गांधी भवन के उद्घाटन का मौका दिया। महात्मा गांधी ने अपनी [25] जिंदगी में जो कुछ किया वह सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए है। हम उनकी यादगार में कोई इमारत [50] खड़ी करके या संस्था बनाकर किसी तरह से अपने काम में बल हासिल करना चाहते हैं, इसलिए हम उनके नाम में स्मारक के [75] रूप में जहाँ-तहाँ कुछ बना रहे हैं। आज सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जहाँ-तहाँ गांधी जी के स्मारक के [100] रूप में इमारतें बनाई जा रही हैं। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हैदराबाद के निवासियों को भी ऐसा ख्याल हुआ कि यहाँ [125] इस प्रकार का स्मारक बनाया जाए। यह सिर्फ एक इमारत ही न रहे बल्कि जैसे सरदार पटेल ने कहा था यह जानदार स्मारक हो। [150] इसका अर्थ यह है कि वह केवल ईंट-पत्थर का न हो बल्कि महात्मा गांधी ने जो हमें सिखाया और बताया था तथा उनके [175] जो विचार थे उनका कोई जीता-जागता रूप यहाँ देखने में आए। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कई बार कहा था कि किसी [200] आदमी के लिए उसका शरीर कोई कीमत नहीं रखता, वह तो मिट्टी का पुतला है और फिर मिट्टी में मिल जाता है। मगर उसके [225] पास कोई चीज रह जाती है तो एक तरफ उसकी आत्मा और दूसरी तरफ उसके किए हुए अच्छे या बुरे काम। इसलिए [250] उन अच्छे कामों का नमूना हमारे सामने होना चाहिए और आपने यह बहुत अच्छा सोचा कि रचनात्मक काम के बारे में गांधी जी के [275] जो विचार थे, जिन-जिन चीजों में उनको खास दिलचस्पी थी उन चीजों को लेकर आप इस स्मारक में काम करें और जो-जो [300] संस्थाएँ इस तरह के काम में लगी हों यहाँ आप उनको भी जगह दें।

इस भवन में रचनात्मक काम करने वालों के अलग-अलग [325] दफ्तरों के लिए अलग-अलग स्थान रखा गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपका काम दिन-प्रतिदिन बढ़ेगा और गांधी जी का [350] जो चित्र यहाँ बना रखा है, उसकी ओर आपका ध्यान जाएगा। गांधी जी ने हमें जो कुछ सिखाया उसकी तरफ भी [375] आपका ध्यान जाएगा। अपनी जिंदगी में उन्होंने कई बार कहा था कि यदि चरखा चलाने वाले को उस पर विश्वास न हो [400] और उसको वह ठीक से समझ नहीं पाता और केवल उनके कहने से या देखा-देखी चरखा चलाता या खद्दर पहनता है तो [425] काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसका अर्थ तो केवल इतना ही हो सकता है कि जब तक लोग उनको मानते रहेंगे इस काम [450] को करते रहेंगे और जिस दिन वह आँखों से ओझल होंगे उस दिन यह काम बंद हो जाएगा। इसलिए वह कहते थे [475] कि ठीक समझ करके करना चाहते हो तो करो और नहीं तो चरखे को जला दो, उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 76

डिप्टी स्पीकर महोदय, उन्होंने अपनी आँखों के सामने समाज का एक ढाँचा रखा था और वे चाहते थे कि समाज की पुनर्रचना उस नए 525 ढाँचे के अनुसार की जाए। अभी हम उस रास्ते पर नहीं चल सके हैं। मैं इस बात को दुख से मगर सच्चाई के साथ मानता 550 हूँ कि समाज का जो रूप गांधी जी ने अपनी आँखों के सामने रखा था हम उसके मुताबिक नहीं चल रहे हैं। हमारे सामने 575 एक दूसरा ढाँचा है और हम उस पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि उसमें से कौन बेहतर है 600 और कौन बुरा। मैं तो इतना ही कह देना काफी समझता हूँ कि हम जिस रास्ते पर चलकर आज आगे बढ़ना चाहते हैं, वह 625 रास्ता वह नहीं जो हमें उस जगह पर ले जाए जहाँ गांधी जी हमको ले जाना चाहते थे। हम अगर उसके ठीक 650 विपरीत रास्ते पर नहीं तो कम से कम कुछ अगल-बगल या कुछ दूसरी तरफ तो जरूर जा रहे हैं। हो सकता है कि हमारी 675 आँखें आहिस्ता-आहिस्ता खुलें और फिर हम सीधे रास्ते पर आ जाएँ। आज देश में जो रचनात्मक काम हो रहा है उसकी मैं बड़ी 700 कीमत इसलिए लगाता हूँ कि फिर कभी हम उस रास्ते पर आ सकेंगे। और अगर हमने इस काम को भी छोड़ दिया तो फिर 725 इधर लौटने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इस रचनात्मक काम को पूरे बल और ताकत के साथ 750 आगे बढ़ाते जाएँ।

बहुत जमाना हुआ जब एक अंग्रेज यहाँ आया था। वह बड़ा विद्वान था। उनकी किताबें अब भी चल रही हैं। गांधी 775 जी उस समय खादी और ग्रामोद्योग की बात चला रहे थे। आप जानते हैं कि पश्चिमी देशों में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो 800 बिना यंत्र के हो। वहाँ सब काम मशीनों के द्वारा किए जाते हैं, यहाँ तक कि मेज पर खाना परोसने का काम भी खुद व 825 खुद हो जाता है और आदमी को लाकर रखने की खास जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ के आदमी ने आकर यह देखा कि हमारे यहाँ के 850 लोग घर में बैठे-बैठे रुई का सूत बना लेते हैं, उस सूत से कपड़ा बुनते हैं और उसी से घर में कपड़ा सी लेते 875 हैं। उसने यह भी देखा कि यहाँ के लोग इसी प्रकार खेती के काम में भी धान को कूट-पीसकर चावल बना लेते 900 हैं, रोटी और तरह-तरह की चीजें घर में ही बना लेते हैं और खा लेते हैं। हमारी इन सब चीजों को देखकर उसने 925 कहा कि हम इन चीजों को अपने यहाँ कायम रखें, अगर पूरी तरह से नहीं तो कम से कम नमूने के तौर पर तो कायम 950 रखें ही। एक दिन आएगा जब दुनिया सब मशीनों को छोड़ फिर इसी चक्की का उपयोग करेगी और इसी चरखे पर सूत कातेगी। यह बात मैंने 975 25-30 बरस पहले की कही है। पिछले ढाई हजार वर्षों में साइंस की तरक्की हुई है और पिछले 10-15 वर्षों में तो बहुत ही हुई है। 1000

प्रतिलेखन संख्या - 78

महोदय, आर्थिक पर्यावरण में सब तरफ समायोजन होने लगा है । कृषि के क्षेत्र ने आर्थिक पुनरुत्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निबाही है और 525 वास्तव में तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था के बाकी सभी क्षेत्रों को गति मिली है । हमारे खाद्यान्न का भंडार 3 करोड़ टन से 550 अधिक है और हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग 20 अरब डालर का है । इससे हमें अपने पर विश्वास भी होता है और 575 आश्वासन भी मिलता है । यह सचमुच 1991 की परिस्थितियों के मुकाबले भारी परिवर्तन है । आज हम जो यह पुनरुत्थान देख रहे हैं, निस्संदेह यह 600 हमारी कड़ी मेहनत और अत्यधिक प्रयासों का फल है । गाँव में किसान ने कड़ी मेहनत की है, कारखानों में मजदूर ने कड़ी मेहनत की है 625 और ऐसे ही मैनेजरों या प्रबंधकों और उद्योग के अग्रणी व्यक्तियों ने की है । 1991 में हमने जिन सुधारों की घोषणा की थी 650 उसे व्यापक स्वागत और समर्थन मिला है और उसी के परिणामस्वरूप यह संभव हुआ है कि हम सब मिलकर देश को 675 संकट से उबार सके । चाहे इसे आप किसी भी स्तर से मापिए, यह एक भगीरथ प्रयास था । अब तक हमें जो सफलता मिली है, 700 उससे हमें उत्साह मिलना चाहिए और हमें नई प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना चाहिए ।

मैंने यह कई बार कहा है कि किसी भी प्रयास 725 के सफल होने की सबसे पक्की गारंटी यह होती है कि उसके पीछे आम सहमति हो । हमारे सुधार अब तक इसलिए आगे 750 बढ़ सके हैं कि उन्हें व्यापक स्वीकृति मिली है । अब तक मेरा यह प्रयास रहा है, अब भी यही प्रयास है और आगे भी यही 775 प्रयास रहेगा कि इन सुधारों पर आधारित हमारी आर्थिक नीतियों के पैरामीटर को आम सहमति मिलनी चाहिए ताकि यह नीति सच्चे अर्थों में 800 स्थिरता ला सके । आज जब मैं स्थिति का जायजा ले रहा हूँ, तो मुझे यह देख कर प्रोत्साहन मिलता है कि सचमुच में ऐसी ही 825 स्थिति है । मुझे निश्चय है कि सभी राज्य यह चाहते हैं । और यह उनकी आवश्यकता भी है कि तेजी से औद्योगीकरण हो, निजी क्षेत्र 850 में भी । कुछ राज्य सरकारें कभी-कभी केंद्रीय सरकार से इसलिए रुष्ट हो जाती हैं कि वह उन्हें उतना धन नहीं देती जिसकी 875 वे माँग करती हैं। परंतु उनकी नाराज़गी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि वे जानती हैं कि केंद्रीय सरकार के पास 900 भी उस प्रकार का धन नहीं होता जिसकी वे माँग करती हैं । वे सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की माँग करती हैं जो उचित भी 925 है परंतु फिर वे अनिच्छापूर्वक इस बात के लिए सहमत हो जाती हैं कि वे उद्योग निजी क्षेत्र में खोले जाएँ और उसके पीछे 950 सबसे बढ़िया कारण यह है कि वे भी जनता के लिए आवश्यक हैं । इस तरह विभिन्न कारणों से इन सुधारों या उनकी भावना 975 के प्रति आम सहमति हो गई है । मैं और किसी चीज की माँग नहीं कर रहा और मैं बिना किसी हिचक के आज यह घोषणा करना चाहूँगा । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 79

महोदय, किसी भी देश या समाज के विकास हेतु शिक्षा अत्यंत सशक्त एवं महत्वपूर्ण साधन है । व्यापक रूप में शिक्षा जीवनपर्यंत चलने वाली ऐसी [25] प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसकी नैसर्गिक शक्तियों के विकास में सहायता पहुँचाती है तथा उसे अपने वातावरण से समायोजन स्थापित करने की योग्यता [50] प्रदान करती है । साथ ही व्यक्ति को उसके वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह करने की योग्यता, ज्ञान एवं कौशल प्रदान करती है । [75] भारतीय संदर्भ में उद्देश्य एवं उपयोगिता की दृष्टि से प्रौढ़ से प्रौढ़ शिक्षा भी इससे भिन्न नहीं है, बल्कि आज की सामाजिक, आर्थिक, [100] राजनीतिक परिस्थितियों में प्रौढ़ शिक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है । डॉ॰ मुखर्जी ने भारत में प्रौढ़ शिक्षा के दो महत्वपूर्ण पहलू बताए हैं [125] प्रथम : प्रौढ़ साक्षरता अर्थात उन प्रौढ़ों को शिक्षा प्रदान करना, जिनको विद्यालय में किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है । [150] दूसरा : साक्षर प्रौढ़ों की अनवरत शिक्षा ।

भारत एक जनतांत्रिक देश है । जनतंत्र की सफलता के प्रमुख आधार हैं - उसके नागरिकों की [175] साक्षरता, उनका प्रगतिशील दृष्टिकोण तथा उनमें नागरिकता की समान भावना का विकास । इस दृष्टि से भारत के लिए प्रौढ़ शिक्षा को केवल [200] प्रौढ़ साक्षरता तक सीमित रखना देश के समुचित विकास एवं देश की जनतंत्रीय व्यवस्था के लिए हितकर नहीं माना गया । वैसे भी [225] यह निर्विवाद तथ्य है कि शिक्षा केवल साक्षरता ही नहीं है । हाँ, साक्षरता शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग अवश्य है । इस संदर्भ में [250] डॉ॰ विद्यानिवास मिश्र का कथन उल्लेखनीय है कि भारत का व्यक्ति निरक्षर होते हुए भी शिक्षित है । अपनी बात को अधिक स्पष्ट करते [275] हुए उन्होंने कहा है कि - यदि हमारे प्रौढ़ अशिक्षित होते तो सदियों से चली आई हमारी संस्कृति, मर्यादाएँ कैसे बनी रहतीं । डॉ॰ मिश्र [300] के शब्दों में - प्रौढ़ शिक्षा का तात्पर्य है - निरक्षर, अर्ध साक्षर या विस्मृताक्षर प्रौढ़ों को पुनः साक्षरता का संस्कार देना साथ ही जीवन [325] क्षेत्र में आवश्यक जानकारी को विशेष बल देना । एक समृद्ध मौखिक परंपरा में हमारा प्रौढ़ शिक्षित है और उसे यदि साक्षर बनाने की योजना [350] बनानी है तो उसके मौखिक परंपरा से प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखना होगा ।

एक तथ्य तय है कि - देश की प्रगति के लिए निरक्षर [375] व्यक्तियों को साक्षर बनाने के अतिरिक्त उनका नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान भी आवश्यक है । इसी दृष्टि से प्रौढ़ शिक्षा को व्यापक अर्थों में [400] लेते हुए 1948 में श्री मोहनलाल सक्सेना की अध्यक्षता में नियुक्त समिति के परामर्शों को स्वीकार करके सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा [425] की संज्ञा से अभिहित किया । जनवरी 1949 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के इलाहाबाद में संपन्न 15वें अधिवेशन में भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने [450] प्रौढ़ शिक्षा की नवीन धारणा का संदेश देते हुए कहा - प्रौढ़ शिक्षा को केवल व्यक्तियों को साक्षर बनाने तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए । [475] प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत व्यापक रूप से सभी व्यक्तियों को साक्षर बनाने का प्रयास करना चाहिए । यह सबसे अच्छा रास्ता होगा और हमें सफलता मिलेगी । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 80

महोदय, इसमें उस शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जो प्रत्येक नागरिक को लोकतांत्रिक व्यवस्था का विवेकपूर्ण सदस्य बना दे । इसी समय [525] से प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा में परिवर्तन हुआ और उसे 'समाज शिक्षा' के नाम से पुकारा गया। 1949 में मैसूर में संपन्न 'ग्रामीण प्रौढ़ शिक्षा'[550] के यूनेस्को सेमीनार में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने समाज शिक्षा को स्पष्ट करते हुए कहा था- समाज शिक्षा से हमारा तात्पर्य है - पूर्ण मानव की [575] शिक्षा । यह उसको साक्षरता प्रदान करेगी जिससे कि विश्व का ज्ञान उसे उपलब्ध हो सके । यह उसको बताएगी कि वह अपने आपका [600] वातावरण से अनुकूलन किस प्रकार करे एवं जिन प्राकृतिक दशाओं में वह निवास करता है उसका सर्वोत्तम प्रयोग किस प्रकार करे । इसका [625] अभिप्राय उसे उत्तम कला कौशलों तथा उत्पादन की विधियों की शिक्षा देना है जिससे कि वह अधिक उत्तम आर्थिक स्थिति को प्राप्त कर सके । [650] इसका उद्देश्य उसे व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए स्वास्थ्य विज्ञान के प्राथमिक सिद्धांतों की शिक्षा देना भी है जिससे हमारा गृहस्थ [675] जीवन स्वस्थ तथा समृद्ध हो सके । इस शिक्षा को उसे नागरिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए जिससे कि उसे संसार की बातों का ज्ञान [700] प्राप्त हो जाए और वह अपनी सरकार को उन निर्णयों के निर्माण में सहायता दे सके जो शांति तथा प्रगति में योगदान करें । [725] प्रो॰ कबीर ने समाज शिक्षा की परिभाषा देते हुए लिखा है कि समाज शिक्षा को अध्ययन के एक प्रकार के पाठ्यक्रम के रूप में परिभाषित [750] किया जा सकता है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों में नागरिकता की चेतना का उदय और उनमें सामाजिक समैक्य की उन्नति करना है । [775]

स्वाभाविक उपलक्ष्य के रूप में समाज शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं समाज के सदस्य के रूप में नागरिकता के अधिकारों तथा कर्तव्यों की तीव्र भावना [800] का समावेश करने का प्रयत्न करती है - अब आइए जरा गौर करें कि वर्तमान भारतीय परिवेश में प्रौढ़ शिक्षा या समाज शिक्षा प्रयास कितना [825] सार्थक हुआ है । आज से तेईस साल पूर्व सन् 1978 में साहित्य परिचय-प्रौढ़ शिक्षा विशेषांक के अपने एक लेख में डॉ॰ चौबे ने प्रारंभ [850] में ही लिखा है जब कोई समाज जातिवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी तथा असमानता से ग्रस्त रहता है तो उसका विकास अवरुद्ध [875] हो जाता है । ऐसी यही ग्रस्तता आज हमारे समाज में, हमारे क्रियाकलापों के विविध अंगों में परिलक्षित हो रही है । जब तक हम [900] इस ग्रस्तता से मुक्त न होंगे तब तक हमारा विकास संभव नहीं होगा । इस ग्रस्तता से दूर होने के लिए हमें अनेक उपाय करने होंगे। [925] इन उपायों में शिक्षा का स्थान बहुत ऊँचा है । हमारे देश की अधिकांश जनता अभी भी साक्षर नहीं हो पाई है । जब तक हम [950] इस प्रयास में सफल नहीं होते तब तक हमारी जनतंत्रीय व्यवस्था खोखली रहेगी । उल्लेखनीय है कि प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी [975] स्तर पर स्वतंत्रता के पूर्व से ही प्रयास प्रारंभ हो गया था जिसमें आज तक कई मोर्चों पर प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार-प्रसार का कार्य जारी है । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 79

महोदय, किसी भी देश या समाज के विकास हेतु शिक्षा अत्यंत सशक्त एवं महत्वपूर्ण साधन है । व्यापक रूप में शिक्षा जीवनपर्यंत चलने वाली ऐसी [25] प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसकी नैसर्गिक शक्तियों के विकास में सहायता पहुँचाती है तथा उसे अपने वातावरण से समायोजन स्थापित करने की योग्यता [50] प्रदान करती है । साथ ही व्यक्ति को उसके वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह करने की योग्यता, ज्ञान एवं कौशल प्रदान करती है । [75] भारतीय संदर्भ में उद्देश्य एवं उपयोगिता की दृष्टि से प्रौढ़ से प्रौढ़ शिक्षा भी इससे भिन्न नहीं है, बल्कि आज की सामाजिक, आर्थिक, [100] राजनीतिक परिस्थितियों में प्रौढ़ शिक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है । डॉ॰ मुखर्जी ने भारत में प्रौढ़ शिक्षा के दो महत्वपूर्ण पहलू बताए हैं [125] प्रथम : प्रौढ़ साक्षरता अर्थात उन प्रौढ़ों को शिक्षा प्रदान करना, जिनको विद्यालय में किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है । [150] दूसरा : साक्षर प्रौढ़ों की अनवरत शिक्षा ।

भारत एक जनतांत्रिक देश है । जनतंत्र की सफलता के प्रमुख आधार हैं - उसके नागरिकों की [175] साक्षरता, उनका प्रगतिशील दृष्टिकोण तथा उनमें नागरिकता की समान भावना का विकास । इस दृष्टि से भारत के लिए प्रौढ़ शिक्षा को केवल [200] प्रौढ़ साक्षरता तक सीमित रखना देश के समुचित विकास एवं देश की जनतंत्रीय व्यवस्था के लिए हितकर नहीं माना गया । वैसे भी [225] यह निर्विवाद तथ्य है कि शिक्षा केवल साक्षरता ही नहीं है । हाँ, साक्षरता शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग अवश्य है । इस संदर्भ में [250] डॉ॰ विद्यानिवास मिश्र का कथन उल्लेखनीय है कि भारत का व्यक्ति निरक्षर होते हुए भी शिक्षित है । अपनी बात को अधिक स्पष्ट करते [275] हुए उन्होंने कहा है कि - यदि हमारे प्रौढ़ अशिक्षित होते तो सदियों से चली आई हमारी संस्कृति, मर्यादाएँ कैसे बनी रहतीं । डॉ॰ मिश्र [300] के शब्दों में - प्रौढ़ शिक्षा का तात्पर्य है - निरक्षर, अर्ध साक्षर या विस्मृताक्षर प्रौढ़ों को पुनः साक्षरता का संस्कार देना साथ ही जीवन [325] क्षेत्र में आवश्यक जानकारी को विशेष बल देना । एक समृद्ध मौखिक परंपरा में हमारा प्रौढ़ शिक्षित है और उसे यदि साक्षर बनाने की योजना [350] बनानी है तो उसके मौखिक परंपरा से प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखना होगा ।

एक तथ्य तय है कि - देश की प्रगति के लिए निरक्षर [375] व्यक्तियों को साक्षर बनाने के अतिरिक्त उनका नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान भी आवश्यक है । इसी दृष्टि से प्रौढ़ शिक्षा को व्यापक अर्थों में [400] लेते हुए 1948 में श्री मोहनलाल सक्सेना की अध्यक्षता में नियुक्त समिति के परामर्शों को स्वीकार करके सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा [425] की संज्ञा से अभिहित किया । जनवरी 1949 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के इलाहाबाद में संपन्न 15वें अधिवेशन में भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने [450] प्रौढ़ शिक्षा की नवीन धारणा का संदेश देते हुए कहा - प्रौढ़ शिक्षा को केवल व्यक्तियों को साक्षर बनाने तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए । [475] प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत व्यापक रूप से सभी व्यक्तियों को साक्षर बनाने का प्रयास करना चाहिए । यह सबसे अच्छा रास्ता होगा और हमें सफलता मिलेगी । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 81

महोदय, संयुक्त राष्ट्रसंघ के कई सर्वेक्षणों के आधार पर यह तथ्य सामने आया है कि दुनिया का दो-तिहाई श्रम महिलाएँ करती हैं । [25] महिलाओं का आर्थिक योगदान 30 प्रतिशत है, और तिहाई महिलाएँ घरों में काम करती हैं । 83 प्रतिशत महिलाएँ खेतिहर मजदूर हैं तथा [50] उनमें अधिकतर पशुपालन, दुग्ध संबंधी उद्योगों में काम कर रही हैं। आज लगभग 80 प्रतिशत कामगारों में अधिकांश महिलाएँ हैं जो अपने [75] घरों में, झुग्गियों के भीतर बैठ कर कताई, रंगाई आदि का भी काम करती हैं । बड़े-बड़े शहरों में अधिकांश महिलाएँ जो फुटपाथों [100] पर झुग्गियाँ डालकर अपने बच्चों और आदमी के साथ रहती हैं, सुबह उठ कर अधिकांश घरों या कोठियों में झाड़ू-पोछा लगाना, बर्तन [125] साफ करना, कपड़े धोना आदि का काम करती हैं, इन्हें नाममात्र की मजदूरी दी जाती है ।

इस प्रकार की महिलाओं की ओर देश का [150] सबसे पहले ध्यान अहमदाबाद की स्वाश्रयी कामगार सेवा संस्था ने खींचा । इसी संस्था ने पहले बुनकरों कपड़ा, बीड़ी तथा बाँस उद्योग में [175] लगी लाखों स्त्रियों के सहकारी संगठन स्थापित किए और उनके लिए एक सरकारी सेवा बैंक की स्थापना की । महिला मुक्तिवाद अंग्रेजी के फैमिनिज्म [200] शब्द का पर्यायवाची है । इस शब्द की आज तक कोई परिभाषा नहीं बनी जो हर समय और स्थान पर लागू की जा सके । यह [225] एक ऐसा आंदोलन है जो महिलाओं को अपनी आजादी हासिल करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए चलाया गया है । समय-समय पर इसके [250] उद्देश्यों को कभी अत्यधिक कठोर, अपेक्षाकृत उदार, लचीला एवं व्यापक बनाने की कोशिश की जाती रही है । फिर भी उसने अपने बुनियादी ध्येय में [275] और न ही उसने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की लड़ाई में शिथिलता आने दी । यह प्रश्न इस मुहिम के प्रवर्तकों और [300] संचालकों को आंदोलित करता रहा है कि महिलाओं के किन विशेष अधिकारों की प्राप्ति के लिए इस संघर्ष को चालू रखा जाए ? इस संदर्भ में [325] यह ज्ञातव्य है कि औरतों के समस्त अधिकार परिवार के इर्द-गिर्द घूमते हैं । इसलिए अधिकार प्राप्ति की यह लड़ाई पारिवारिक सुख-सुविधा में [350] अधिक बड़ा हिस्सा या कुटुंब संस्था को जड़ से खत्म करने में एक ही लक्ष्य के लिए लड़ी जा सकती है । आज महिलाओं की [375] दुविधा यह है कि वह वर्तमान सामाजिक-पारिवारिक यथार्थ को स्वीकार कर उसमें ही किस प्रकार अधिक अधिकार पाने की कोशिश करें । महिलाओं के [400] अनुभव और आवश्यकतागत भिन्नता को पूरी संवेदनशीलता के साथ ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं के समाधान हेतु चलाए जा रहे आंदोलन [425] को अंतर्दृष्टि से जोड़ा जाए । दरअसल किसी एक समान मकसद के लिए दुनिया की सारी महिलाओं को एक मंच पर एक साथ [450] लाना संभव नहीं है । जातीय, आर्थिक और सांस्कृतिक भिन्नता महिलाओं की समस्याओं में आड़े आती हैं क्योंकि ये समस्याएँ परिवर्तनशील होती हैं । [475] यही वजह है कि आज तक विश्व की महिलाओं की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध नहीं किया जा सका । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 82

महोदय, हालाँकि आज महिलाएँ अपार इच्छाशक्ति लिए पुरुषों के समान अधिकार पाने का दावा पेश कर रही हैं, साथ ही चाहती हैं [525] कि वे आत्मनिर्भर होकर स्वतंत्रता के साथ समाज में रह सकें। इसके बावजूद ऐसी असंख्य महिलाएँ भी हैं जो मात्र औरत होने [550] की वजह से अभिशप्त हैं। कहीं कम अधिकार पाना उनकी मूल समस्या है तो कहीं काम करने का अधिकार प्राप्त करना उनकी [575] आवश्यकता। इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानों पर महिलाओं का मान व स्थान भिन्न-भिन्न रहा है, उसके उदाहरण सर्वत्र बिखरे हुए हैं। [600] सुखद स्थिति यह है कि आज महिलाएँ भी ऊँचे-ऊँचे पदों पर कार्यरत हैं। आज वे मात्र खाना पकाने वाली सेविका नहीं हैं [625] बल्कि सर्वसंपन्न गृहस्वामिनी भी हैं। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने, मत देने तथा बोलने का पूरा अधिकार है। वे अपरिचितों से बातें [650] कर सकती हैं, सभाओं में बोल सकती हैं, निर्वाचन में भाग ले सकती हैं। अब वे बंदी नहीं हैं, स्वच्छंद विचरण करने वाली आजाद [675] भारत की आजाद नारी हैं। वे मनुष्य की सहकर्मी हैं, समानधर्मी भी। वे पति की सलाहकार भी हैं और परिवार की शुभचिंतक भी। [700]

आज वे केवल मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति का साधन नहीं हैं। आज की जीविकोपार्जन करने वाली महिला को घर तथा समाज [725] में अधिक सम्मान प्राप्त है। सिनेमा हालों में सिनेमा देख सकती हैं और शादी-ब्याह में भी जा सकती हैं। उद्यमी बन सकती हैं, [750] विदेश घूम सकती हैं। विदेश जाकर सर्वोत्तम शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं। आज महिला को संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। इसके [775] बावजूद आज भी महिलाएँ दहेज की कुप्रथा से पीड़ित हैं। उन्हें मारा-पीटा जाता है, जलाया जाता है, सताया जाता है, जिनसे तंग आ [800] कर कई महिलाएँ आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाती हैं और कोई-कोई तो आत्महत्या भी कर डालती हैं। क्या इन स्थितियों के [825] रहते महिलाओं का संपूर्ण विकास माना जाएगा।

वर्तमान में जिस रफ्तार से हमारे देश में श्रमिक महिलाओं का शोषण जारी है, उस हिसाब से [850] अनेक मामले आयोग के सामने आने चाहिए, लेकिन नहीं आ पाए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे देश में श्रमिक महिलाओं की [875] स्थिति बेहतर है या उनकी कोई समस्याएँ नहीं हैं, न ही उनका कोई शोषण हो रहा है। बल्कि यह स्थिति शांत [900] समुद्र की तह में घुमड़ते तूफान के आने का द्योतक है। वर्ष 1986 के समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार तो महिला तथा पुरुषों को [925] समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार श्रमिक को 31 रुपए दिए जाने [950] का प्रावधान है। लेकिन घरों तथा लघु उद्योगों में दिहाड़ी पर एवं बाजार में काम कर रही महिलाओं को इससे बहुत कम मजदूरी दी [975] जाती है। सिलाई-कढ़ाई के कामों में लगी महिलाओं को निश्चित अवधि से ज्यादा काम करने के बाद भी 15-20 रुपए से ज्यादा नहीं मिल पाते। [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 83

महोदय, भगवान बुद्ध ने अपने शील में इन सभी गुणों पर यथोचित बल दिया है और व्यवहार की दृष्टि से उनका विवेचन किया है । [25] बुद्ध जयंती समारोह द्वारा संसार के राष्ट्रों को सुख तथा शांति देने वाले भगवान के संदेश को स्मरण करने और उसका चिंतन करने का [50] जो अवसर मिला है, मैं समझता हूँ कि यह मानव जाति का सौभाग्य है । मेरी यह धारणा है कि निजी सुख और शांति के [75] हित में मानव उस संदेश की ओर अधिकाधिक ध्यान देगा । यह प्रसन्नता की बात है कि कई एक राष्ट्रों ने पंचशील के सिद्धांतों को [100] स्वीकार कर लिया है । इस सिद्धांत पर आचरण द्वारा पारस्परिक मतभेद निस्संदेह कम किया जा सकता है और राष्ट्र बल प्रयोग अथवा युद्ध से [125] मुक्त हो सकते हैं । भगवान बुद्ध का समस्त जीवन, उनके सारगर्भित प्रवचन और उनका संदेश प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है । कोई [150] भी व्यक्ति उनसे लाभ उठा सकता है और अपनी आत्मा को उन्नत कर सकता है । हमारे देश में, जहाँ भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया [175] और प्रथम उपदेश दिया, महात्मा बुद्ध का जनता के हृदयों में ऊँचे से ऊँचा स्थान है । प्राचीन परंपरा के अनुसार भारत के लोगों ने उन्हें कालांतर में [200] ईश्वरीय अवतार का पद दिया था और इस देश से बौद्ध मत के लुप्त हो जाने के बाद भी विष्णु के रूप में उनकी [225] पूजा बराबर होती रही । भगवान बुद्ध की विचारधारा तथा उनके सदुपदेश का हिंदू विचारधारा पर गहरा प्रभाव पड़ा है और बौद्ध शील आज [250] भी हिंदू धर्म का एक अंग है ।

मैं विनम्रतापूर्वक एक और बात कहना चाहूँगा । भगवान बुद्ध ने इसी भूमि में निर्वाण प्राप्त किया और यहीं [275] उन्होंने धर्म प्रचार की व्यवस्था की । सदियों तक इस देश की अधिकांश जनता बौद्ध मत की अनुयायी रही और यहाँ के प्रतापी नरेशों और [300] धर्मरत भिक्षुओं के अध्यवसाय से बौद्ध मत का अनेक देश-देशांतरों में प्रसार हुआ । किंतु संयोग से अथवा कुछ ऐतिहासिक कारणों से बौद्ध मत [325] प्रायः भारत से लुप्त हो गया । यह सब होते हुए मैं कह सकता हूँ कि दो हजार वर्ष की इस समस्त अवधि में भगवान बुद्ध [350] के प्रति यहाँ के लोगों की आस्था तथा श्रद्धा बराबर रही । विश्व के इतिहास में शायद और कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। मुझे कोई भी [375] दूसरा देश ऐसा दिखाई नहीं देता जहाँ कोई अवतार हुआ हो और समस्त जनता कुछ समय तक उसकी अनुयायी रह कर किसी अन्य [400] मत को अपना चुकी हो परंतु फिर भी उस देश में उस अवतार का वही आदर और उसके प्रति वही आस्था की भावना बनी [425] रही हो जैसी भारत में भगवान बुद्ध के प्रति हजारों वर्षों से रही है । हो सकता है कि यह सहिष्णुता और यह उदारता इस देश [450] को स्वयं भगवान बुद्ध की ही देन हो । इस समय मानव एक संध्याकालीन समय से होकर गुजर रहा है । भौतिक विज्ञान एक पराकाष्ठा [475] तक पहुँच चुका है । ऐसा मालूम पड़ता है कि मानव ने भौतिक संपन्नता को ही सुख का एकमात्र साधन मान लिया है । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 84

महोदय, भारत विशेषकर गाँवों में ही बसता है और यद्यपि इन दिनों शहरी जनसंख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, पर यह [525]आज भी सच है कि भारत ज्यादातर गाँवों में ही बसता है । गाँवों और गाँववालों की उन्नति के लिए जो कुछ भी [550] किया जाए उसका केवल स्वागत ही नहीं होना चाहिए बल्कि उसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार और लोगों को प्रत्येक संभव प्रयत्न करना [575] चाहिए । महात्मा गांधी इसलिए गाँवों के विकास पर बहुत जोर दिया करते थे । यह एक बड़ा शुभ विचार है कि आज उनके [600] जन्म दिन पर इस सामुदायिक विकास योजना को प्रारंभ किया जा रहा है । इस देश में 'सामुदायिक विकास' और 'सामुदायिक योजना' नए शब्द हैं पर [625] यह विचार बहुत पुराना है । इसका मौलिक तात्पर्य किसी एक दिशा में उन्नति के विपरीत चहुमुखी उन्नति से है । 'अधिक अन्न उपजाओ' संबधी [650] कार्यक्रम से तथा विभिन्न राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा देहात-सुधार के क्षेत्र में किए गए कार्य के हमारे अनुभव से यह [675] सिद्ध हो चुका है कि देहाती जीवन के सभी पहलू एक-दूसरे से संबद्ध हैं और यदि एक-एक पहलू को अलग-अलग लिया लाए [700] तो स्थायी परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता । इसका यह अभिप्राय नहीं कि विशिष्ट समस्याओं को महत्व न दिया जाए परंतु उनसे संबंधित आयोजन [725] किसी विस्तृत योजना के ही अंग होने चाहिए और वे समस्याएँ उस योजना के अंतर्गत आ जाएँ । इस काम में सफलता तभी मिल सकती है [750] जब सरकारी व्यवस्था, गैर-सरकारी नेतृत्व और जनता के उत्साह में परस्पर सहयोग हो और खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, पशु सुधार तथा बेकारी दूर करना [775] इत्यादि सभी प्रकार के काम एक-साथ हाथ में लिए जाएँ । महात्मा गांधी की प्रेरणा से उनके अनुयायियों ने देश के अनेक भागों [800] में इस प्रकार के काम बहुत निस्स्वार्थ भाव से किए हैं और दूसरी संस्थाओं तथा व्यक्तियों ने भी इस दिशा में बहुत-कुछ किया है । लेकिन [825] पर्याप्त धन और यथेष्ट मात्रा में विशिष्ट काम करने वाले न मिलने के कारण उनका विस्तार न तो उतनी दूर तक हुआ और न [850] उतनी तेजी के साथ हुआ जितना हम चाहते थे । भारत और अमेरिका के बीच जनवरी, 1952 में हुए प्राविधिक सहयोग समझौते से इस दिशा में [875] उन्नति की नवीन संभावनाएँ पैदा हो गई हैं।

मेरा बराबर यह विश्वास रहा है कि भारतीय किसान खेती के काम में कुछ नौसिखिया नहीं और [900] उसे इसका कई पीढ़ियों का अनुभव है। बिहार के किसानों ने पिछले 20 वर्षों में जिस तेजी के साथ नए प्रकार के गन्ने की खेती [925] अपना ली है उससे यह बात प्रमाणित हो जाती है कि भारतीय किसान लकीर का फकीर नहीं जो नए सुधरे हुए तरीकों को अपनाना [950] नहीं चाहता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उसे इस बात का संतोष और विश्वास दिला दिया जाए कि किसी [975] नई पद्धति से या किसी नई किस्म की चीज उपजाने से उत्पादन अधिक होगा । देश के सामने खाद्यान्नों का प्रश्न अत्यंत महत्व का है । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 85

उपसभापति महोदय, आज का दिन केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि सभी देशों के लिए एक बहुत ही शुभ दिन मानना चाहिए क्योंकि [25] आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया था और यह हमारे देश का सौभाग्य था कि उनका जन्म इस देश में [50] हुआ। 80 वर्षों तक काम करके और एक प्रकार से अपना काम पूरा करके वह चले गए और जो काम वे अधूरा छोड़ गए [75] उसका भार जो लोग बच गए हैं उन पर पड़ गया है। आप जानते हैं कि महात्मा जी ने अपने जीवन में जितने काम [100] किए वह सब एक सिद्धांत के अधीन और एक सिद्धांत के अनुसार थे। उनका कार्यक्रम जब-तब समय के अनुसार बदलता था और [125] बदल सकता था पर वह जो भी कार्यक्रम बनाते थे, अपने सिद्धांतों के अनुसार ही बनाते थे। उनके चले जाने के बाद जब हम [150] सभी बातों पर विचार करके देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने मानव जीवन के और विशेषकर भारतवर्ष के लोगों [175] के जीवन के किसी भी पहलू को अछूता नहीं छोड़ा और सभी विषयों पर केवल अपना मत ही प्रकट नहीं किया बल्कि जो-जो प्रश्न [200] तथा समस्याएँ सामने आईं, सभी को सुलझाने का कोई न कोई प्रयत्न उन्होंने बतलाया। उस समय देश स्वाधीन नहीं था, इसलिए उनका [225] ध्यान बहुत करके स्वाधीनता-प्राप्ति की ओर गया और उसमें उनका समय भी बहुत लगा। स्वाधीनता के लिए जो संग्राम उन्होंने छेड़ा [250] देश के लोगों ने भी उसी ओर अधिक ध्यान दिया और उसी में अधिक भाग लिया। महात्मा गांधी केवल एक राजनीतिक पुरुष नहीं थे। [275] महात्मा गांधी सचमुच में महात्मा थे और महात्मा का अर्थ आप यह समझें कि जिसकी अंतरात्मा सभी बातों को समझती है। जीवन की किसी एक [300] बात को लेकर नहीं बल्कि जो व्यक्ति सभी बातों का हल बताता है और अपने जीवन में उसको कार्यरूप में परिणत करके [325] दिखलाता है, वही महात्मा होता है। इसलिए आज जब महात्मा जी नहीं रहे, और जब हमको किसी प्रश्न पर सोचना पड़ता है तो [350] हमें यह चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हम उनके सिद्धांत के अनुसार जो कार्यक्रम बना रहे हैं, वह उनकी दृष्टि से [375] ठीक उतरता है या नहीं।

आज हम सबको एक बात मान लेनी पड़ेगी कि जब से हमने स्वराज्य प्राप्त किया और उसके [400] थोड़े ही दिनों बाद महात्मा जी चले गए तो हमारे ऊपर कई प्रकार की विपत्तियाँ आईं। हमारे सामने नित्य नए-नए प्रश्न तथा नई-नई [425] समस्याएँ आती रहीं और हम अपनी बुद्धि के अनुसार उनका हल निकालते रहे। पर हमको यह भी मानना होगा कि हम उस प्रकार [450] का व्यापक विचार नहीं कर सकते जितना महात्मा जी किया करते थे। हम लोग किसी एक चीज को लेकर उसमें बह जाते हैं [475] कि वही एक चीज है जिसको महात्मा जी चाहते थे और इसी कारण लोग गांधी जी के साथ रहे हैं। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 86

उपसभापति महोदय, हम गांधी जी की सारी सीख केवल एक ही चीज में सीमित कर देते हैं और जो दूसरे विषय हैं उनसे [525] अपना मतभेद स्पष्ट रूप से प्रकट किया करते हैं। उनके जीवन-काल में उनका जीवन किस प्रकार का था उस ओर हमारा [550] ध्यान नहीं जाता। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि जो मौलिक चीजें हैं उनको यदि हम ठीक रूप से समझ जाएँगे तो [575] हमारे लिए उन समस्याओं को हल करने का मार्ग भी शायद ठीक रूप से निकल सके। दुर्भाग्य से जब गांधी जी के लिए ऐसा समय [600] आया कि जब वह अपनी आवाज केवल इसी देश में ही नहीं बल्कि संसार के सभी देशों तक पहुँचा सकते थे और अपना संदेश दे [625] सकते थे, ठीक उसी समय वह हमसे छीन लिए गए। परंतु उन्होंने लिखकर, कहकर और उससे भी अधिक अपने जीवन [650] में बरत कर जो कुछ दिखला दिया है वह हमारी सभी समस्याओं को हल करने के लिए काफी है यदि हम ठीक रूप से समझें [675] और काम करें। सभी युद्धों में जो बड़ी क्षति देश, विदेश और सब लोगों को पहुँचा करती है वह यही है कि लोगों में चरित्रहीनता [700] आ जाती है। उनमें कितने प्रकार के दोष आ जाते हैं। उन दोषों से वे लोग भी जो स्वयं युद्ध में न पड़े हों परंतु [725] किसी न किसी रूप से उनका उससे कोई संबंध हो, अपने को नहीं बचा सकते। विगत महायुद्ध का एक बहुत बुरा प्रभाव [750] सभी देशों पर पड़ा है। संसार भर के लोग इस बात को मानते हैं कि आज हमारा नैतिक स्तर पहले की अपेक्षा निम्न कोटि का [775] हो गया है और उससे हम इस देश में भी नहीं बचे हैं। मैं यह नहीं कहता कि वह केवल युद्ध का परिणाम है, [800] हमारी अपनी कमजोरियाँ भी हैं तथा अन्य दूसरे बाहरी कारणों का भी प्रभाव पड़ा है।

महात्मा गांधी जी ने अपनी तपस्या के बल से हमारा [825] पथप्रदर्शन किया और हमें बहुत ऊँचे तक उठा दिया था। उनकी तपस्या के बल से ही हममें एक प्रकार की स्फूर्ति, एक नया [850] जीवन, सच्चरित्रता और त्याग की शक्ति आ गई थी और उसी के बल पर हम आगे बढ़े। पर यह दुख की बात है कि [875] उनके चले जाते ही हम बहुत नीचे फिसल गए और ऐसा मालूम होता है कि फिसलते-फिसलते अब हम शायद गिर भी गए हैं [900] और कुछ देर में हम चित भी हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि यदि हम [925] गांधी जी की शिक्षा को समझने का प्रयत्न करें और उसके अनुसार चलना चाहें तो हम उनके मौलिक सिद्धांत 'सत्य' को ग्रहण करें [950] और उसे कभी भी छोड़ें नहीं। एक इसी चीज को लेकर हममें जितने दोष हैं हम उनको दूर कर सकते हैं। हम कमजोर [975] तो पहले से ही थे और हममें उतनी शक्ति नहीं आ पाई थी कि हम अधिक भार सह सकें, इसलिए उनके जाते ही हम फिसल पड़े। [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 87

महोदय, आइए ! पर्यावरणीय कानून को लागू न करने के घातक परिणामों पर एक दृष्टि डालें । कार्यकारिणी और न्यायपालिका दोनों में संकल्प की कमी है। खेद है कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ नहीं कर सके और यदि उन्होंने कोशिश की तो उद्योगपतियों के दबाव में आकर राजनीतिज्ञ आड़े आ जाते हैं और अपराध के बड़े से बड़े मामले में भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते चाहे प्रदूषक उद्योग निजी क्षेत्र के हों या सार्वजनिक क्षेत्र के । मेहता वाले मुकदमे में उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरण सुरक्षा संबंधी क़ानूनों को लागू करने के लिए न्यायालयों की सहायता के लिए पर्यावरणीय न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया था । न्यायमूर्ति भगवती के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिक क्षति और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित झगड़ों के मुकदमे दिन-पर-दिन बढ़ते जा रहे हैं और इन मामलों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी आँकड़ों का मूल्यांकन आवश्यक होता है । इसलिए क्षेत्रीय आधार पर पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए जिनमें एक न्यायाधीश के अतिरिक्त मामले की प्रकृति और अपेक्षित विशेषज्ञता को देखते हुए पारिस्थितिक विज्ञान विषय के दो विशेषज्ञ हों । तथापि, पर्यावरणीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील का अधिकार हो ।

प्रदूषक उद्योगों में शक्तिशाली निहित स्वार्थों के कारण श्रीमती मेनका गांधी, पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्री, भारत सरकार के समर्थन के बावजूद इस प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की गई । प्रदूषण में पैसा है और नौकरशाही पैसे वालों का साथ देती है तथा पारंपरिक न्यायालय पर्यावरण न्यायालयों के प्रति अति संवेदनशील हैं । पर्यावरण विज्ञान उनके लिए यह एक नया विषय है । न्यायालयों के इस विषय से अनभिज्ञ होने से हानि होती है और नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण न्यायाधीश ऐसे मामलों में यथास्थिति बनाए रखने, स्थगन आदेश देने या मुकदमा खारिज करने जैसा आसान तरीका अपनाते हैं। उच्चतर और उच्चतम न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों ने इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया है । किंतु पारंपरिक न्यायालयों के विद्वान वकील प्रदूषण नियंत्रण के संरक्षक नहीं हैं क्योंकि वे कानूनी प्रक्रिया संबंधी जोड़-तोड़ में लगे रहते हैं और उन्हें (क) बनाम (ख) के पारंपरिक मुकदमों से ही फुर्सत नहीं मिलती और न ही उनमें पर्यावरणीय मामलों को निपटाने की विशेष योग्यता होती है । सामाजिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा दायर किए गए सामाजिक न्यास संबंधी मुकदमों की सुनवाई के लिए उनके पास समय कहाँ है ? इसका असर सारे समाज पर पड़ता है जिसमें न्यायाधीश भी शामिल हैं । अन्य लोगों की तरह उन्हें भी दूषित वायु में साँस लेना पड़ता है, प्रदूषित पानी पीना पड़ता है, वनों की कटाई और रेगिस्तान का वे भी रोना रोते हैं और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध अनेक नैसर्गिक लाभों से वंचित रहना पड़ता है । लेकिन प्रकृति का आनंद लेने के लिए कवि जैसा संवेदनशील हृदय होना चाहिए, जो जीवन की कविता से परिपूर्ण हो, जिसमें विश्व-बंधुत्व की भावना, प्रकृति से एकात्मकता और प्रत्येक मानव के जीवन के अधिकार के प्रति प्रेम हो । कभी-कभी न्याय करने वाले को न्याय और उसके विविध आयामों की जानकारी नहीं होती ।

प्रतिलेखन संख्या - 88

महोदय, हमें आवश्यकता है ऐसे संवेदनशील पर्यावरणीय न्यायालयों और न्याय प्रक्रिया की जिसमें सामाजिक प्रतिबद्धता और सतत विकास दोनों संभव हों। सभी प्रक्रियाओं को [525] तेज करने, मानीटर करने और निगरानी के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक पर्यावरणीय लोकपाल पद्धति की आवश्यकता है जो पर्यावरण सुरक्षा के सक्रिय [550] प्रहरी की भूमिका निभा सके और जिसमें उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त अन्य न्यायालय का हस्तक्षेप न हो सके, जो राजनीतिज्ञों की पहुँच के [575] बाहर हो, सामाजिक कार्यकर्त्ता और दीन से दीन आदिवासी भी जिस तक आसानी से पहुँच सके तथा जो जनता और संसद के प्रति [600] उत्तरदायी हो।

लोकपाल पद्धति का ढाँचा, कार्यविधि ऐसी होनी चाहिए कि वास्तव में पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण तथा जीव मंडल की अखंडता [625] बनी रहे। अति प्राचीन उपनिवेशवादी जटिल और मूल व्यवस्था से, प्रबंध कौशल, वैज्ञानिक साधन, नए-नए प्रयोग करने और नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की [650] क्षमता के अभाव में प्रौद्योगिक आतंकवाद और उन नई चुनौतियों का मुकाबला करना संभव नहीं है जिनका सामना इस उपग्रह पृथ्वी और इसके [675] निवासियों को करना पड़ रहा है। हमारी न्यायिक व्यवस्था अनेक प्रकार के संकटों से घिरी है और यदि हम वास्तव में पर्यावरण संबंधी [700] मामलों के साथ न्याय करना चाहते हैं तो ऐसे पर्यावरणीय न्यायाधिकरणों की आवश्यकता है जिनमें विधिवेत्ता और विषय-विशेषज्ञ दोनों का सक्रिय सहयोग प्राप्त [725] हो। इससे भी अधिक आवश्यकता है एक उच्चाधिकार प्राप्त बहुस्तरीय लोकपाल पद्धति और कार्मिकों की जिन्हें कार्रवाई शुरू करने, जाँच [750] करने, निर्णय लेने, निषेधाज्ञा जारी करने के व्यापक अधिकार प्राप्त हों। यह स्वायत्त संस्था होनी चाहिए जिसमें राजनीतिज्ञों और कार्यकारिणी का हस्तक्षेप, पेचिदा नकारात्मक [775] कानूनी अड़चनें न हों तथा कर्मचारियों को सरकारी भय और लालच प्रभावित न कर सकें। इन उच्च पदाधिकारियों का चयन प्रस्तावित लोकपाल बिल के [800] अनुसार हो सकता है तथा इनका कार्यकाल निर्वाचन आयोग के समान हो सकता है।

आम नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के लिए इन[825] उच्चाधिकारियों तक पहुँचने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें निःशुल्क क़ानूनी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सूचना प्राप्त [850] करने की स्वतंत्रता अमरीका के कानून की तरह स्पष्ट हो और कानून लागू करने का सांविधिक अधिकार इन अधिकारियों को प्रदान किया जाए ताकि [875] इसके अभाव में पर्यावरणीय न्यायालय संस्था का नैतिक पतन न हो। पूर्ण न्याय दिलाना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए न कि केवल आदेश जारी करना। [900] दीवानी न्यायालयों के सामान्य अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अधिकार और कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड का उल्लेख भी इस कानून में किया [925] जाना चाहिए। न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा प्रशासकों सभी को लोकपाल तथा पर्यावरण न्यायालयों की सहायता करनी होगी। इसके लिए शायद संविधान में [950] संशोधन आवश्यक होगा। इस विषय में सभी राजनैतिक दलों के सहमत होने के बाद संविधान कोई कठिन समस्या नहीं होगी। तकनीकी मामलों [975] में केवल खंडपीठ पूरी तरह न्याय नहीं कर सकती। इसके लिए इस क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्त्ताओं की सहायता आवश्यक होगी। [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 89

आदरणीय महानुभावो, 26 जनवरी, 1950 को हमारे गणराज्य की स्थापना हुई थी, जो हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा बनाए गए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर [25] आधारित है। उसके बाद के इन 50 वर्षों का समय हमारे देश में विकास का समय रहा है। लंबी दासता के बाद भारत का [50] दुनिया में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय, इस बीच की सबसे अधिक रोमांचकारी घटना है। संसार के इतिहास में भारत की [75] आजादी के संघर्ष जैसी इससे पहले कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इस मौके पर मुझे अपने उन करोड़ों देशवासियों की याद आ रही है, [100] जिन्होंने देश की आजादी के लिए भारी मुसीबतें सही थीं और बड़े-से-बड़े बलिदान दिए थे। मैं उन्हें बड़े आदर के साथ अपनी [125] श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे अपने उन नेताओं की राजनीतिक कुशलता और दूरदर्शिता की भी याद आती है, जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण [150] किया और देश को प्रगति और विकास के लिए दिशा दी। हमारे संविधान में हमारी युगों पुरानी परंपराओं और मान्यताओं के गुण मौजूद हैं, [175] जिससे वह देश में समाजवाद, धर्म-निरपेक्षता और लोकतंत्र को कायम रखने का महत्वपूर्ण साधन है। हमें अपनी इस राजनीतिक प्रणाली का लाभ [200] पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से मिल रहा है। हमारे देश के लोग बहुत ही सूझबूझ और समझदारी के साथ शांति और [225] प्रगति के मार्ग पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभर [250] कर सामने आया है, जिससे संसार में आशाएँ बंधती हैं और विश्वास पैदा होता है।

पिछले वर्ष आज के दिन जब मैंने आपके [275] सामने भारत द्वारा हासिल अनेक कामयाबियों का जिक्र किया था, तब से हमें और भी अनेक उपलब्धियाँ मिली हैं, जिनके आधार पर हम इस [300] बात का दावा कर सकते हैं कि निर्धनता के विरुद्ध हमारी लड़ाई सही तरीके से और ठीक दिशा में चल रही है। मैं महसूस करता [325] हूँ कि इनमें से कुछ सफलताओं का यहाँ जिक्र करना गैर-मुनासिब न होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम और भी ज्यादा विश्वास के [350] साथ तरक्की की राह पर आगे बढ़ते रहेंगे। आर्थिक विकास के मुख्य सूचक इस बात की गवाही देते हैं कि 'सामाजिक न्यास के साथ [375] विकास' को दृष्टि में रखते हुए हमने आर्थिक विकास की जो बुनियादी नीति तैयार की है, उसके उत्साहजनक परिणाम निकले हैं। [400] हमारे लिए यह गर्व की बात है कि पिछले तीन वर्षों में देश के कुल उत्पादन में पाँच प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि हुई है, [425] जब कि संसार में आमतौर से आर्थिक रूप में विकास की दरों में कमी हुई और मुद्रा के फैलाव तथा बेरोज़गारी में भारी बढ़ोत्तरी [450] हुई। हमारी अर्थव्यवस्था रोज़गार के अवसरों में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ-साथ आगे बढ़ रही है, जो देश में श्रम-शक्ति की वृद्धि की [475] दर से कहीं अधिक है। हमने अब तक जो प्रगति की है, वह विज्ञान और टैक्नोलॉजी में ठोस आधार तैयार करने के लिए की गई है। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 90

आदरणीय महानुभावो, सरकार की नीति का उद्देश्य तेजी के साथ आत्मविश्वास पैदा करना, स्वदेशी विज्ञान और टैक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, बाहर से आयात की 525 गई टैक्नोलॉजी को मुनासिब तरीके से अपनाना और यह देखना रहा है कि टैक्नोलॉजी ही का अंतरण कुशलता के साथ, प्रयोग के लिए हो। परमाणु, 550 अंतरिक्ष और सागर विज्ञान संबंधी खोजों में हमने जो कामयाबियाँ हासिल की हैं, वे इस बात का जीता-जागता सबूत हैं कि हमने 575 जो रास्ता चुना है और जिस ईमानदारी और पक्के इरादे के साथ हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया है, वह निश्चय ही प्रशंसनीय है। पृथ्वी के 600 चारों ओर चक्कर लगाता हुआ इन्सेट 1-बी और बर्फ से ढके महाद्वीप पर हमारा तीसरा दक्षिणी ध्रुव अभियान और महासागर की असीम गहराइयों 625 में खोज करने वाला 'सागर कन्या' समुद्री जहाज, हमारी वे सफलताएँ हैं, जिन पर हम सब गर्व कर सकते हैं और उनसे प्रेरणा ले 650 सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में भारत ने भारी प्रगति की है। उम्मीद है कि इस वर्ष में हमारी ख़रीफ और रबी की फसलों की 675 पैदावार पिछले सभी वर्षों से बढ़कर हो जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में हमारा एक ठोस बुनियादी ढाँचा तैयार हो गया है, जिसकी सहायता से 700 हमने औद्योगिक क्षेत्र में भी भारी प्रगति की है। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि खनिज तेल के 725 उत्पादन और उसे साफ करने की दृष्टि से हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती जा रही है। हाल ही के वर्षों में जिस गति के साथ हमारे 750 कार्यकलापों में वृद्धि हुई है,उसे और भी ऊँचे स्तर पर लगातार बनाए रखने की जरूरत है। मैं खेतों, कारखानों, प्रयोगशालाओं, शिक्षा-संस्थाओं, सरकारी 775 दफ्तरों और सभी जगह काम करने वाले देशवासियों से अपील करता हूँ कि वे और कड़ी मेहनत और पूरे उत्साह के साथ काम करें। 800 हम जरा-सा भी समय नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम गरीबी, भुखमरी, बीमारी और अज्ञानता के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं।

मैं देश 825 के कुछ भागों में हो रही अशांति की कुछ घटनाओं का भी ज़िक्र करना चाहूँगा। जिस प्रकार से देश में हिंसा की घटनाएँ घट रही 850 हैं और जिस तरह से आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उन पर मुझे गहरी चिंता है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। 875 मुझे यह देखकर दुख होता है कि धर्म के नाम पर हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। मैं, फिर इस बात को दोहराना 900 चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा मामला नहीं होता, जो शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए न सुलझाया जा सके। दूसरे धार्मिक विश्वासों 925 के प्रति आदर और दूसरे लोगों के प्रति सहनशीलता हमारी प्राचीन परंपराएँ रही हैं। देश के दूर-दराज के इलाकों की अपनी यात्रा के दौरान 950 मुझे लोगों के जीवन में भाईचारे और प्रेम-भावना के दर्शन हुए हैं। अपने संकीर्ण उद्देश्यों के लिए इस भावना को नष्ट 975 नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बड़ी मुसीबतों के साथ हासिल की गई हमारी आजादी खतरे में पड़ जाएगी। 1000

प्रतिलेखन संख्या - 91

महोदय, जन्म से ही बच्चा अनेक वस्तुओं का उपभोक्ता बन जाता है। दूध, दवाएँ, साबुन, सुरमा, पाउडर, कपड़ा, बिस्तर, खिलौने इत्यादि कितनी ही चीजों की बच्चों [25] को आवश्यकता पड़ती है । बहुत-सी चीजों में होने वाली मिलावट या घटिया चीजें बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं । माँ के दूध के [50] स्थान पर डिब्बे का दूध, मिलावटी दवाएँ, नुकसानदेह साबुन, पाउडर, काजल इत्यादि बच्चों में नाना बीमारियों को उत्पन्न करते हैं । यहीं से बाल उपभोक्ताओं [75] के रूप में बच्चों की शारीरिक क्षति प्रारंभ हो जाती हैं । बच्चे ज्यों ही चलना सीखते हैं उनके कदम टॉफी, आइसक्रीम, इमली, चूरन [100] इत्यादि खरीदने के लिए घर से बाहर निकलने लगते हैं । ये बाल-उपभोक्ता अपने भले-बुरे का ज्ञान नहीं रखते हैं। इसीलिए ये बच्चे [125] एक ओर मिलावटयुक्त खाद्य पदार्थ खाकर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, तो दूसरी ओर पैसे की बर्बादी करते हैं । स्वभाव से बच्चे [150] जिद्दी होते हैं। वे जिस चीज को देखते हैं, उसी को खरीदने की माँग करने लगते हैं । कोई भी फेरीवाला, ठेले वाला घर के [175] आगे से गुजरते ही वे उस वस्तु को खरीदने की जिद करने लगते हैं । भले ही वह वस्तु उनके मतलब की हो या नहीं । [200] फेरी वाले भी बच्चों का मनोविज्ञान जानते हैं । जिस घर में उन्हें बच्चों की उपस्थिति का आभास होता है, उसके आसपास देर [225] तक खड़े हो कर आवाज लगाते रहते हैं, बिक्री के संकेत के रूप में घंटी आदि बजाते रहते हैं। इन आवाजों को सुनकर बच्चे [250] सहज ही घर के बाहर आ कर वस्तु खरीदने की जिद स्वजनों से करने लगते हैं। अनेक बार तो जब घर के लोग बच्चों की [275] माँग को पूरा नहीं करते हैं तो वे दूसरों से चीज दिलाने के लिए रिरियाने लगते हैं । यहीं से उनमें माँगने की आदत विकसित होती [300] है और वे बेशर्म बन जाते हैं ।

मेलों-ठेलों या हाट-बाज़ारों में बच्चे प्रायः हर वस्तु खरीदने की इच्छा जाहिर करते हैं । कभी-कभी [325] तो वे फैल भी जाते हैं । ऐसे में मजबूर हो कर अभिभावकों को शर्म के कारण वस्तु दिलानी पड़ती है । दुकानदार बच्चों की जिद का [350] फायदा उठाकर मुँह माँगे दाम वसूल करते हैं । मेलों में बच्चे प्रायः एक खिलौना लेने के बाद दूसरे खिलौने की और दूसरे के बाद [375] तीसरे खिलौने की माँग करने लगते हैं । बच्चों की ऐसी हरकत पर माँ-बाप को गुस्सा भी बहुत आता है, पर वे विवश होते हैं । [400] बाजार में हँसी भी नहीं करा सकते । इसलिए जानकर भी ठगे जाते हैं । छोटे बच्चों को जैसे ही कागज और नोट में भेद [425] करना आ जाता है, वे नोट देखते ही चीज खरीदने चल देते हैं । आइसक्रीम, बुढ़िया के बाल या चूरन-इमली वाले की आवाज [450] सुनते ही पैसे या नोट ले कर दरवाजे के बाहर आ जाते हैं । उन्हें न तो यह ज्ञान होता है कि यह पाँच-दस पैसे [475] का सिक्का है और न ही वे जानते हैं कि नोट कितने का है । उन्हें तो हाथ का पैसा या नोट देकर चीज चाहिए । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 92

महोदय, श्रीमती नीरा ऐरन ने बताया कि उनका बेटा बंटी फेरी वाले की आवाज सुनते ही रोने और मचलने लगता है । आखिर उसकी [525] जिद पूरी की जाती है । एक दिन मैं सो रही थी, आँख खुली तो देखा कि बंटी आइसक्रीम खा रहा है । मैंने पूछा, यह [550] आइसक्रीम कहाँ से आई ? तो कहने लगा, मैंने आपके तकिए के नीचे से नोट निकाल कर आइसक्रीम खरीदी है । मेरा माथा [575] ठनका । तकिए के नीचे देखा तो सौ का नोट गायब था । मैंने उससे पूछा बाकी पैसे कहाँ हैं ? तो कहने लगा उसने [600] एक नोट की एक आइसक्रीम दे दी । मैं मन मार कर रह गई । दूसरे दिन कई आइसक्रीम वालों से पूछा, पर नोट कहाँ [625] मिलना था । इस प्रकार की खरीददारी के कारण कई बार तो बच्चों में चोरी की आदत ही पड़ जाती है । वे अपनी गुल्लक, मम्मी के [650] पर्स और पापा की जेब से पैसे निकालने लगते हैं । इस प्रकार के पैसों का अधिक महत्व नहीं समझने के कारण अधिक मूल्य [675] दे कर वे कम और घटिया वस्तु खरीद लेते हैं । स्कूल जाने वाले बाल उपभोक्ता स्कूल के वातावरण, परिवहन साधन तथा आधी छुट्टी के समय [700] मिलने वाले खाद्य पदार्थों से प्रभावित होते हैं । स्कूल में पूरी फीस देने के बाद भी यदि बच्चों को हवा, प्रकाश, जनप्रसाधन और स्वच्छ [725] वातावरण नहीं मिलता है, तो वे स्वाभाविक ही शोषण के शिकार बन जाते हैं । स्कूल बस या रिक्शे में बच्चों को भेड़-बकरियों की तरह [750] यदि ठूँस कर भरा जाता है तो इसका भी बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है । स्कूल के बाहर खोमचों और ठेलों पर बिकने वाली [775] चीजें प्राय: अस्वास्थ्यकर, हानिकारक होती हैं । बच्चे इन चीजों को बड़े स्वाद से खाते हैं । वे नहीं जानते कि मीठी इमली, चुस्की, [800] आइसक्रीम, मिठाई, चाट-पकौड़ी, चूरन इत्यादि में कृत्रिम हानिकारक रंगों तथा अखाद्य पदार्थों की मिलावट की गई है। इन्हीं से बच्चे को खाद्य-विषाक्तता होती है । [825]

इन सब कठिनाइयों से बचने के लिए बच्चों को प्रारंभ से ही जागरूक उपभोक्ता बनाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । आज के [850] आर्थिक उपभोक्तावादी संस्कृति के युग में बच्चों को खरीददारी से वंचित नहीं रखा जा सकता । इसलिए बच्चों को पैसे का महत्व समझाते हुए सही [875] खरीददारी का व्यावहारिक ज्ञान कराना चाहिए । मेलों और बाजारों में बच्चों को ले जाते समय उनको पहले ही समझा कर ले जाना चाहिए । [900] उनके माँगने से पहले ही उनके मतलब की कोई चीज उन्हें दिला देनी चाहिए । इससे उन्हें कुछ संतोष मिल सकता है । [925] विज्ञापन, विक्रय कला के भ्रमजाल में न फँसने की भी हिदायत उन्हें समय-समय पर देते रहना चाहिए । विश्वास की जगह से [950] वस्तु खरीदने और फेरी वालों की ठगी से बचने की बात बच्चों के मन में बैठा देनी चाहिए । रुपए पैसे की पहचान के [975] साथ-साथ सही नापतोल का ज्ञान भी बच्चों को कराना चाहिए । कुशल बाल उपभोक्ता ही भविष्य में अच्छे खरीददार सिद्ध हो सकते हैं । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 93

भाइयो और बहनो, आज रात मैं आपसे कश्मीर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इस प्रसिद्ध घाटी के सौंदर्य के बारे में नहीं, [25] बल्कि उस भयकंप के बारे में, जिसका कश्मीर को हाल में सामना करना पड़ा है। हम लोग बहुत संकट के दिनों से होकर [50] गुजरे हैं और हमें कितने ही महत्वपूर्ण और दूर तक प्रभाव डालने वाले निर्णय करने पड़े हैं। हमने ऐसे निर्णय किए हैं और मैं [75] आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ। पड़ोसी सरकार ने, ऐसी भाषा में, जो सरकारों की तो क्या बल्कि जिम्मेदार लोगों की भी [100] भाषा नहीं है, भारत सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उसने कश्मीर को धोखेबाजी से भारतीय संघ में सम्मिलित किया है। ऐसी [125] भाषा के प्रयोग से मैं, उनकी बराबरी नहीं कर सकता और न ऐसा करने की मेरी इच्छा ही है, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार [150] सरकार और जिम्मेदार जनता की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि कश्मीर में दंगा और बल-प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रश्न यह [175] है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? जम्मू और कश्मीर रियासत के बड़े हिस्से बाहरी आक्रमण-कारियों द्वारा, जो कि हथियारों और सामान से सुसज्जित [200] हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। उन्होंने गाँवों को लूटा तथा तबाह किया है। उन्होंने वहाँ बहुत-से निवासियों को तलवार [225] के घाट उतार दिया है। इस सुरम्य और शांत देश में भीषणता का आक्रमण हुआ और श्रीनगर का सुंदर शहर भी नष्ट होते-होते बचा। [250]

मैं यह सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि कश्मीर के संबंध में हमने हरेक कदम पूरे सोच-विचार के बाद [275] और परिणामों को ध्यान में रखते हुए उठाया है। और मुझे विश्वास है कि हमने जो कुछ किया है, ठीक किया है। इन कदमों [300] का न उठाना हमारे लिए एक दायित्व के प्रति धोखा देना होता और बल-प्रयोग के सामने, जिसके साथ ही साथ अग्निकांड, स्त्रियों [325] के साथ बलात्कार और कत्ल हो रहे हों, बुज़दिली के साथ झुक जाना होता। कुछ हफ्तों से हमें जम्मू प्रांत के रियासती प्रदेश में [350] आक्रमणकारी दलों के चुपके-चुपके प्रवेश करने के समाचार मिल रहे थे, इस बात के भी कि कश्मीर और पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत की सीमा [375] पर हथियारबंद आदमियों का जमाव हो रहा है। हम स्वभावतः इससे चिंतित हुए, न केवल इस ख्याल से कि कश्मीर और उसके लोगों [400] से हमारे निकट के संबंध हैं, बल्कि इसलिए भी कि कश्मीर बड़े-बड़े राष्ट्रों का सीमावर्ती इलाका है, इसलिए वहाँ जो कुछ हो [425] रहा है, उसमें दिलचस्पी लेना हमारे लिए अनिवार्य है। लेकिन हम किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे और न हम लोगों [450] ने हस्तक्षेप का कोई कदम उठाया, हालाँकि जम्मू प्रांत के एक हिस्से पर आक्रमणकारी चढ़ आए थे। यह कहा गया है कि [475] जम्मू की ओर से पाकिस्तान की सीमा पार करके हमले हुए थे और मुसलमान मारे, भगाए या निकाल दिए गए थे। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 94

भाइयो और बहनो, हमने बुराई की निंदा करने में कभी संकोच नहीं किया है, चाहे उसके करने वाले हिंदू हों या सिख हों [525] या मुसलमान हों । इसलिए अगर हिंदुओं या सिखों या रियासत के कर्मचारियों ने जम्मू प्रांत में कोई दुर्व्यवहार किया है, तो हम निश्चित रूप से [550] उसकी निंदा करते हैं और उनके किए पर खेद प्रकट करते हैं । लेकिन मेरे सामने जम्मू सूबे के 95 गाँवों की एक विस्तृत [575] सूची है जिनका पाकिस्तान से आए आक्रमणकारियों ने विध्वंस किया है । भिम्बर जैसे एक काफी बड़े कस्बे को लूटकर उसे ध्वस्त कर [600] दिया गया है । और भी कस्बों पर घेरा डाल दिया गया और पुंच्छ और मीरपुर के इलाकों के काफी बड़े हिस्से आज हमला करने वालों [625] के अधिकार में हैं । क्या यह इस बात का संकेत देता है कि कश्मीर की ओर से पश्चिमी पंजाब पर आक्रमण हुए । इससे क्या [650] यह नहीं प्रकट होता कि पश्चिमी पंजाब से कश्मीर रियासत में बराबर संगठित हमले होते रहे हैं ? इन हमला करने वालों के पास नए से [675] नए ढंग के आधुनिक हथियार हैं । यह कहा गया है कि आग फेंकने वाले अस्त्रों का भी प्रयोग हुआ है और उनके पास एक [700] बिगड़ा हुआ टैंक भी पाया गया है । इस समय के आसपास कश्मीर रियासत ने हमसे हथियारों की माँग की । हमने इस विषय [725] में कोई जल्दी नहीं की हालाँकि हमारे रियासती और रक्षा मंत्रियों ने मंजूरी दे दी थी, तथापि वास्तव में कोई हथियार भेजे नहीं गए । [750]

24 अक्तूबर की रात को पहली बार कश्मीर रियासत की ओर से भारत में मिलने की तथा सैनिक सहायता की प्रार्थना की गई । 25 तारीख [775] को हमने रक्षा समिति में इस पर विचार किया लेकिन सेना भेजने के विषय में इस कार्य की प्रत्यक्ष कठिनाइयों को ध्यान में [800] रखते हुए, कोई निर्णय नहीं किया । 26 तारीख को सवेरे हमने इस मामले पर फिर विचार किया । अब तक स्थिति और भी नाजुक हो [825] चुकी थी । धावा करने वालों ने कई कस्बों में लूटमार की थी और माहोबा के विशाल बिजलीघर को, जहाँ से सारे कश्मीर में [850] बिजली पहुँचती है नष्ट कर दिया था । वे घाटी में प्रवेश करने ही वाले थे । श्रीनगर और सारे कश्मीर का भाग्य अधर में था [875] हमारे पास सहायता माँगने के जरूरी संदेश न केवल महाराज की सरकार की ओर से, बल्कि जनता के प्रतिनिधियों की ओर से भी आए, [900] खासकर कश्मीर के उस बड़े नेता और नेशनल कांफ्रेस के सभापति शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के पास से । कश्मीर सरकार और नेशनल कांफ्रेंस दोनों [925] ही ने इस पर ज़ोर दिया कि कश्मीर का भारतीय संघ में प्रवेश हम स्वीकार करें । हमने इस प्रवेश को स्वीकार करने का और [950] हवाई जहाजों से सेना भेजने का निश्चय किया, लेकिन हमने एक शर्त लगाई कि इस प्रवेश पर रियासत में शांति और व्यवस्था स्थापित हो [975] जाने के बाद कश्मीर की जनता की राय ली जाए । हमें इस बात की चिंता थी कि हम कोई अंतिम निर्णय न कर लें । [1000]

प्रतिलेखन संख्या - 95

सभापति जी, जब से इस विश्वविद्यालय ने अपना नया रूप धारण किया है तब से यह पहला अवसर है कि मैं इसके आचार्यों [25] और स्नातकों से अपनी कुछ बात कहने के लिए यहाँ आया हूँ। भारत में जिन विश्वविद्यालयों को इस दृष्टि से कि उनकी स्थापना [50] को अभी पूरे 50 वर्ष भी नहीं हुए हैं नया कहा जा सकता है, उनमें वाराणसी विश्वविद्यालय को छोड़कर संभवत: यही विश्वविद्यालय [75] सबसे पुराना है। किंतु अभी कुछ ही दिन पहले इसने अपना वर्तमान रूप ग्रहण किया है। इस दृष्टि से यह इन सब नवीन विश्वविद्यालयों [100] में नवीनतम विश्वविद्यालय माना जा सकता है। अभी इसकी परंपराओं की, शृंखलाएँ इतनी कठोर नहीं हो गई हैं कि यह नए पथ पर [125] सरलता से अग्रसर न हो सके। अत: मैं इससे यह आशा करता हूँ कि यह अपनी शिक्षा का ढंग कुछ ऐसा रखेगा जिससे [150] कि यह मानव जीवन की शिक्षा के सब प्रयोजनों को पूरा कर सके। मैं यह कई अवसरों पर और कई स्थानों पर कह चुका [175] हूँ कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली, चाहे वह प्राथमिक विद्यालयों की, माध्यमिक विद्यालयों की अथवा विश्वविद्यालयों की हो, उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करती प्रतीत [200] नहीं होती। कम से कम यह बात तो है ही कि यह ऐसी नहीं है कि शिक्षा के उद्देश्यों को संतुलित रीति से पूरा कर [225] सके। आपकी अनुमति से इस संबंध में मैं आपसे कुछ शब्द कहना चाहता हूँ।

मेरा यह मत है कि शिक्षा के तीन उद्देश्य [250] होते हैं जिनमें से दो उद्देश्य तो व्यक्ति के अपने निजी जीवन से संबंध रखते हैं और तीसरा व्यक्ति के सामूहिक जीवन से संबंधित है। [275] प्रथमत: शिक्षा का यह प्रयोजन है कि वह व्यक्ति की ईश्वर प्रदत्त सहज विवेक-बुद्धि की सामर्थ्य और क्षमता को बढ़ाए। यह ठीक है कि [300] मानव को विवेक-बुद्धि जन्म से ही प्रकृति या ईश्वर से मिली हुई होती है किंतु अपनी नैसर्गिक अवस्था में इसकी सामर्थ्य और क्षमता [325] अत्यंत सीमित होती है। यदि कोई व्यक्ति केवल उसी के सहारे छोड़ दिया जाए तो अपनी देशकाल की सीमाओं के कारण वह उससे [350] न तो अपना ही कोई लाभ उठा सकेगा और न अपने अन्य भाइयों का कोई भला कर सकेगा। किंतु यदि उसकी विवेक-बुद्धि को [375] पिछली पीढ़ियों की संचित अनुभूति से संपन्न कर दिया जाता है तो उसकी शक्ति और क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है क्योंकि उस [400] अवस्था में उसे अपने और बाह्य चराचर जगत के बारे में ऐसी अनेक उपयोगी और आवश्यक बातें ज्ञात हो जाती हैं जिन्हें वह केवल अपने [425] विवेक या विचार-शक्ति से नहीं जान सकता था। दूसरे शब्दों में इस प्रक्रिया द्वारा उसकी विवेक-बुद्धि इतनी सक्षम और सामर्थ्यवान हो जाती [450] है कि उसके सहारे वह अपने को और अपने चारों ओर के जड़ और सजीव जगत को समझने और उसमें रहकर अपने जीवन [475] को ठीक दिशा में चलाने के योग्य हो जाता है। बुद्धि एवं विचार-शक्ति को और अधिक सामर्थ्यवान बनाने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहा जाता है। [500]

प्रतिलेखन संख्या - 96

सभापति जी, शिक्षा का दूसरा प्रयोजन यह है कि वह प्रत्येक मानव को अपनी कर्मेन्द्रियों का ऐसा प्रयोग सिखाए जो उसे अपनी शारीरिक और अन्य 525 प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के योग्य बना सके । इन कर्मेन्द्रियों के उचित प्रयोग के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता होती है । कितना ही 550 सबल व्यक्ति क्यों न हो, कितना ही स्फूर्तिमय कोई क्यों न हो, वह तब तक कुछ अधिक फलमय कार्य नहीं कर सकता जब तक कि 575 उस कार्य के संपादन के लिए उसकी कर्मेन्द्रियों को आवश्यक प्रशिक्षा न मिली हो अथवा उन्हें उसका अभ्यास न कराया गया हो । 600 शिक्षा का तीसरा प्रयोजन मेरे विचार में यह है कि व्यक्ति में अपने जैसे ही सब व्यक्तियों के साथ रहने और उनके साथ काम 625 करने के लिए आवश्यक गुणों का उदय हो जाए । इच्छा से अथवा अनिच्छा से प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही जैसे अन्य व्यक्तियों के साथ तो 650 रहना ही पड़ता है । संसार से दूर कोई भी अपनी अलग कुटिया नहीं बना सकता और न बना पाता है । एकाकी जीवन कवि की सुंदर 675 कल्पना के अतिरिक्त न तो वास्तविक तथ्य है और न हो सकता है । व्यक्ति चाहे कुछ क्षण के लिए एकाकी रह सके किंतु सर्वदा वह 700 एकाकी रह ही नहीं सकता । अत: जब सामूहिक जीवन मानव जीवन का अनिवार्य तथ्य है तब यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को साथ रहने 725 की कला आ जाए । पिछली शताब्दियों में जब सामूहिक जीवन का क्षेत्र सीमित था और जब आर्थिक क्रियाएँ इतनी केंद्रित नहीं हुई थीं, इन तीनों 750 प्रयोजनों के लिए संगठित प्रयास करने की तथा उनमें प्रतिक्षण संतुलन बनाए रखने की विशेष आवश्यकता न थी। किंतु आज तो सामूहिक जीवन का क्षेत्र 775 भूमंडलव्यापी है और आर्थिक क्रियाओं का सीमातिरेक संकेंद्रण हो गया है । अत: आज यह बात अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रक्रिया 800 द्वारा इन तीनों बातों से केवल पूर्ण परिचित ही न कराया जाए वरन उसको कार्यरूप में अपनाने के योग्य भी बना दिया जाए । 825

अत: पिछली कुछ दशाब्दियों में सारे जगत के लोगों को अतीत से दाय में मिली शिक्षा-व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता का 850 अनुभव होता रहा है और विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते भी रहे हैं । यह कहना अनुचित न होगा कि पिछले दिनों जगत 875 भर में शिक्षा के क्षेत्र में भी वैसी क्रांति होती रही है जैसी कि आर्थिक और राजनीतिक जगत में हुई है । किंतु दुर्भाग्यवश हमारे 900 देश में और विशिष्टतया इस बिहार राज्य में शिक्षा के बारे में वैसी कोई व्यापक क्रांति नहीं हुई । इस दिशा में लोगों का ध्यान तो 925 गया है किंतु कार्यक्षेत्र में उसका अभी कोई उल्लेखनीय फल दिखाई नहीं पड़ता । यह ठीक है कि किसी सीमा तक हमारी शिक्षा संस्थाएँ 950 शिक्षा के प्रथम प्रयोजन को पूरा करती हैं । इन संस्थाओं के सदस्यों को पिछली पीढ़ियों की संचित अनुभूति से किसी सीमा तक परिचित अवश्य कराया जाता 975 है । किंतु यह परिचय कराने का जो उद्देश्य है अर्थात् विवेक या विचार -बुद्धि को सजग, सक्षम और सामर्थ्यवान बनाना वह पूरा नहीं हो रहा है । 1000

प्रतिलेखन संख्या - 97

देशवासियो, मैंने अभी-अभी राष्ट्रपति के पद की शपथ ली है और इस महान देश की सेवा में अपने को समर्पण कर देने का दृढ़ निश्चय [25] व्यक्त किया है । मैं आपके सामने भारत के गणराज्य के प्रतीक और चिह्नस्वरूप राष्ट्रपति के रूप में खड़ा हूँ । हमें अपने प्राचीन [50] इतिहास में देश के विभिन्न भागों में और विभिन्न युगों में गणराज्यों की स्थापना के उल्लेख मिलते हैं, किंतु उनका प्रभुत्व देश के छोटे-छोटे [75] भागों तक ही सीमित था और हमें उनकी राज्य-पद्धति का भी पूरा ज्ञान नहीं है। यह पहला ही अवसर है जब यह सारा देश [100] एकछत्र गणराज्य के आधिपत्य और शासन के नीचे आया है । हमारे संविधान ने इस गणराज्य की व्यापक नींव का आधार इस देश [125] के सब वयस्क स्त्री-पुरुषों को बनाया है। भारत के प्रशासन और उसके भाग्य का निर्माण करने के लिए करोड़ से अधिक भारतीयों [150] ने अपने प्रतिनिधि चुने हैं । इन प्रतिनिधियों ने मुझे राष्ट्रपति चुना है और यह कार्य करके उन्होंने उस संविधान को कार्यान्वित [175] किया है जिसे हमने इतने परिश्रम से बनाया था । व्यक्तिगत रूप में, आपके एक देशवासी के नाते तथा इससे भी [200] कहीं अधिक भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में आपमें से अनेक के एक साथी के नाते, मैं आपके विश्वास के इस अपूर्व प्रदर्शन [225] के लिए अत्यंत कृतज्ञ हूँ । किंतु कृतज्ञता से भी कहीं अधिक मैं इस उच्च पद के गुरुतर उत्तरदायित्व और भार का अनुभव कर रहा हूँ । [250]

इस लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद ही हो सकती थी। अत: इस स्वतंत्रता को, जिसे हमने कई [275] पीढ़ियों के संघर्ष और तपस्या के बाद प्राप्त किया है सुरक्षित रखना हममें से प्रत्येक का प्रथम और सर्वोपरि कर्तव्य है । [300] हमारा अटल उद्देश्य यह है कि हम जनता की स्थिति सुधारें और उसकी उन्नति करें, किंतु देश के सुधार और उन्नति की हमारी सब [325] योजनाएँ हमारी स्वतंत्रता स्थिर बने रहने पर ही निर्भर करती हैं। उसी आधारभूत स्वतंत्रता पर ही तो हमारा वैयक्तिक और राष्ट्रीय जीवन निर्भर है । [350] अत: आपके समान ही मेरा भी यह कर्तव्य है कि चाहे जो भी त्याग करना पड़े, हम इस स्वतंत्रता को स्थिर बनाए रखें और [375] इसकी रक्षा करें। इस कर्तव्य को पूरा करने में मेरा प्रथम और सर्वोपरि प्रयास यह होगा कि देश के विभिन्न भागों, विभिन्न धर्मों और [400] विचारों के लोगों के प्रति मैं समता और निष्पक्षता बरतूँ । दूसरा कर्तव्य, जिसमें कि मैं आपका सहभागी हूँ, यह है कि मैं अन्य सब [425] देशों की मैत्री प्राप्त करने का प्रयास करूँ और उनसे सहयोग करने के रास्ते निकालूँ । इस देश के सब लोगों से मेरा निवेदन है [450] कि वे मुझे अपने में से ही एक मानें और मुझे ऐसा अवसर और प्रोत्साहन दें जिससे मैं यथाशक्ति उनकी सेवा कर सकूँ । [475] भगवान से मेरी विनती है कि वह मुझे शक्ति और सुबुद्धि दे ताकि मैं सच्ची सेवा-भावना से अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकूँ । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 98

आदरणीय सदस्यो, भारत गणराज्य की सर्वप्रथम संसद के, जो हमारे संविधान के अनुसार चुनी गई हैं, सदस्यों के रूप में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ । विधान सभाओं की रचना और राज्य के अधिपति संबंधी संविधान के उपबंधों को हमने पूरी तरह से कार्यान्वित किया है और इस प्रकार हमने अपनी यात्रा की एक मंजिल पूरी कर ली है। जैसे ही यह मंजिल समाप्त होती है दूसरी मंजिल शुरू हो जाती है । कोई भी जाति या राष्ट्र अपनी भावी निर्माण-यात्रा में आराम से नहीं बैठ सकता । 17 करोड़ से अधिक भारतीयों द्वारा नव-निर्वाचित संसद के सदस्यों के रूप में आप ऐसे यात्री हैं जिन्हें उनके साथ-साथ आगे बढ़ना है । आपका यह बड़ा सौभाग्य है और आप पर भारी उत्तरदायित्व है । इस ऐतिहासिक अवसर पर जब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मुझे अपने प्राचीन देश और उसमें बसने वाले करोड़ों नर-नारियों का ध्यान हो उठता है । भाग्य हमारे सामने है और यह हमारा काम है कि हम उसके निमंत्रण को स्वीकार करें । वह आवाहन महान भारत देश की सेवा के लिए है जिसने इतिहास के ऊषाकाल से ही, जबकि सहस्रों वर्ष पूर्व उसकी कहानी आरंभ हुई थीं सुदिन और दुर्दिन दोनों ही देखे हैं । इस दीर्घकाल में इस देश को महान गौरव भी मिला और हमारा भाग्य विपत्तिमय भी रहा । अब जबकि हम भारत की लंबी कहानी का नया अध्याय आरंभ करने वाले हैं, हमें पुनः यह निर्णय करना है कि हम उसकी सर्वोत्तम सेवा किस प्रकार कर सकते हैं । आपने और मैंने अपने इस देश की सेवा का व्रत लिया है । मेरी प्रार्थना है कि हम अपने व्रत में सत्य-निष्ठ सिद्ध हों और इसे पूरा करने के लिए अपना तन-मन-धन लगा दें ।

सुदीर्घ काल की पराधीनता के बाद भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की है । सब कुछ सह कर भी इस स्वतंत्रता को बनाए रखना है, बचाना है और बढ़ाना है, क्योंकि इसी स्वतंत्रता के आधार पर ही तो प्रगति की जा सकती है । किंतु केवल स्वतंत्रता ही पर्याप्त नहीं है । उसे अपने साथ जनता को भी कुछ सुख-लाभ कराना चाहिए और वे जिन बोझों से दबे हुए हैं, उनको कम करना चाहिए, इसलिए, यह बात हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है, कि हम तेजी के साथ जनता की आर्थिक उन्नति करने के लिए जुट जाएँ और समता तथा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के जो उच्च आदर्श हमारे संविधान में अंकित हैं, उनको पूरा करने के लिए हम प्रयास करने लगें । अपने सारे इतिहास में भारत ने मानवात्मा की कुछ अन्य प्रेरणाओं का प्रतिनिधित्व किया है । संभवतः भारतवर्ष का विशिष्ट लक्षण यही रहा है और अभी हाल में ही उस प्राचीन भावना के उत्तम प्रतीक को हमने महात्मा गांधी के रूप में देखा है, जिन्होंने अपने नेतृत्व में हमें स्वतंत्रता दिलाई । उनकी दृष्टि में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण कदम था, पर मानवात्मा की महत्तर स्वतंत्रता की दृष्टि से वह केवल एक प्रयास मात्र था ।

प्रतिलेखन संख्या - 99

महोदय, भारत सरकार देश की आर्थिक स्थिति पर बराबर गौर करती रही है । मैंने संसद के अपने पिछले अभिभाषण में थोक दामों में थोड़ी [25] कमी का उल्लेख किया था । कमी की ओर का यह झुकाव फरवरी और मार्च के महीनों में और जोर से बढ़ गया । कुछ अंश में [50] यह सारे संसार में चीजों की कीमतों के पुनः समायोजन के कारण हुआ। जो कमी 1950 में ही शुरू हुई थी, वह कोरिया में युद्ध [75] आरंभ हो जाने के कारण कुछ रुक-सी गई थी । कोरिया में विराम-संधि की आशा की झलक से कीमतों के पुनःसमायोजन की यह प्रक्रिया [100] जोर पकड़ गई है । देश में अधिक उत्पादन होने से और उपभोक्ताओं द्वारा ऊँची कीमतों का अधिकाधिक विरोध किए जाने से इस पुनःसमायोजन [125] के झुकाव को और भी बल मिला है । रुपए और साख संबंधी सरकारी नीति ने भी जो मुद्रास्फीति रोकने के विचार से आरंभ की [150] गई थी, दामों को गिराने में सहायता की है । जो लोग वाणिज्य और कारबार में लगे हैं, वे और विशेषकर कपड़े और पटसन की [175] बुनाई के कारबार वाले मूल्यों में गिरावट आने से कुछ संकट में पड़ गए हैं । इससे हमारे निर्यात से जो आय होती है उसमें [200] भी कमी होने लग गई है । हमारी सरकार स्थिति को बहुत ध्यानपूर्वक देख रही है जिससे इसका हमारे यहाँ के उत्पादन पर [225] और लोगों को धंधा मिलने पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े । उसका विचार है कि मूल्यों को एक उचित स्तर पर ठहरा देने के [250] लिए जो कार्यवाही आवश्यक होगी, वह करेगी । इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एक नया उत्पादन मंत्रालय स्थापित किया गया है । सरकार के [275] कारखानों के उत्पादन का बड़ा महत्व है और इस काम के लिए एक नए मंत्रालय की स्थापना किए जाने से स्पष्ट है कि इस [300] ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा ।

सरकार ने पिछले वर्ष संसद को आश्वासन दिया था कि समाचार-पत्रों संबंधी विविध प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक [325] पत्र-आयोग नियुक्त किया जाएगा । आशा है कि सरकार निकट भविष्य में ही ऐसा आयोग नियुक्त करेगी । ऐसा सोचा गया है कि संसद के [350] सामने समाचार-पत्र कानून जाँच समिति की सिफारिशों से उद्भूत एक विधेयक उपस्थित किया जाए। संसद का यह सत्र विशेष रूप से बजट का काम [375] करेगा और दूसरे प्रकार के कानून बनाने के लिए शायद बहुत समय नहीं मिलेगा । 1952-53 के वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की [400] आय-व्यय का अनुमान-पत्र पेश किया जाएगा और लोक-सभा के सदस्यों को खर्च की माँगों पर विचार करके उनको पारित [425] करना होगा । अंतर्कालीन संसद के अंतिम सत्र के बाद, सौराष्ट्र पोर्ट डवलपमेंट लेवी का निरसन करने के लिए एक अध्यादेश जारी करना आवश्यक [450] हो गया था । वह अध्यादेश आपके सामने एक नए विधेयक के रूप में आएगा और आपसे निवेदन किया जाएगा कि [475] आप उस पर विचार करें और उसको पारित करें । एक दूसरा अध्यादेश 1950 को जारी रखने के लिए जारी किया जाएगा । [500]

प्रतिलेखन संख्या - 100

महोदय, हमारे बीच आज पाकिस्तान के अध्यक्ष की उपस्थिति इस सुखद परिवर्तन का प्रमाण है । व्यक्तिगत असुविधा के बावजूद उन्होंने गणराज्य दिवस समारोह [525] देखने के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और वे यहाँ पधारे हैं। विदेशों के साथ महत्वपूर्ण संपर्क की दिशा में यह वर्ष चिरस्मरणीय रहेगा। इस [550] वर्ष बाहर से कई एक सम्माननीय महानुभाव हमारे देश में आए । उनमें यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति, चीनी लोकराज्य के प्रधानमंत्री, श्रीलंका के प्रधानमंत्री [575] और इंडोनीशिया के प्रधानमंत्री का मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा । इन महान नेताओं का स्वागत करना हमारा सौभाग्य था । रूस, चीन तथा अफ़गानिस्तान के सांस्कृतिक [600] शिष्टमंडल भी इस वर्ष हमारे देश में आए । इन शिष्टमंडलों को भारत में बहुत लोकप्रियता मिली । ऐसे आगमनों और राष्ट्रों में सांस्कृतिक [625] शिष्टमंडलों के आदान-प्रदान की उपादेयता निश्चय ही बहुत अधिक है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों में हमारी आस्था यथापूर्ण स्थिर है । फिर भी, [650] मेरे विचार से विभिन्न भूखंडों के राष्ट्रों द्वारा सामान्य समस्याओं पर विचार करने के लिए पारस्परिक विचार-विमर्श, उस महान विश्व संगठन के उद्देश्य अथवा [675] आदर्शों के प्रतिकूल नहीं । एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र इंडोनीशिया में अपना एक सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें वे निजी समस्याओं पर विचार करेंगे । [700] मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बोगोर सम्मेलन और प्रस्तावित जकार्ता सम्मेलन का आयोजन करने में भारत कुछ सहायता कर सका है । यह सब कार्य [725] निश्चय ही बहुत बड़े हैं, इनसे हमें आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वासी बने रहने की प्रेरणा मिलती है । यह उस नए [750] युग का आरंभ मात्र है जिस भू पर उतरने की हम प्रतिज्ञा कर चुके हैं । जो महान कार्य हमने अपने ऊपर लिए हैं, [775] उन्हें संपन्न करने के लिए भारत को अपने प्रत्येक नागरिक की सद्भावना, सहयोग तथा सहायता की अपेक्षा है । यह अब प्रत्यक्ष होता जा रहा है [800] कि लोगों में आशा तथा आत्मविश्वास की कमी नहीं और भारत के भविष्य में उन्हें पूर्ण विश्वास है । ये शुभ लक्षण हैं । अपने पिछड़े [825] हुए और दलित भाइयों से दो शब्द कह कर मैं इस संदेश को समाप्त करता हूँ । हम अपनी प्रतिज्ञाओं से मार्गदर्शन और उन उच्च [850] आदर्शों से उत्प्रेरित हों, जिनका सदियों से भारत ने आदर किया है और जिनका फिर से स्मरण कराने के लिए महात्मा गांधी [875] ने इतना गंभीर प्रयत्न किया, जो भारत में सच्चा कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए कटिबद्ध हैं- ऐसा कल्याणकारी राज्य बनाएँगे जिसमें प्रत्येक नागरिक को न [900] केवल समान अधिकार और समान अवसर मिलेगा, बल्कि वह अपने देश के प्रति कर्तव्य का भी स्वेच्छा से पालन करेगा । मेरी आज यह प्रार्थना है [925] कि हमारा यह आदर्श ध्रुव तारे के समान हमारे पथप्रदर्शन के लिए हमें प्रेरणा देने के लिए सदा हमारे सामने रहे । मैंने यह प्रयत्न [950] किया है कि संसद के इस सत्र में जो काम आपके सामने आएँगे उनमें से कुछ आपको बता दूँ । मुझे आशा है कि [975] आपका परिश्रम हमारे देश के कल्याण के लिए सफल होगा और भारत गणराज्य की यह नई संसद मैत्रीपूर्ण सहयोग का एक उदाहरण उपस्थित करेगी । [1000]